भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

परिचयात्मक सामग्री

दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार

http://coal.nic.in

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना और संगठन	1-5
2.	कोयला अन्वेषण, संसाधन, संरक्षण, धंसाव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाएं एवं सुरक्षा	6-23
3.	उत्पादन, वितरण और कोयला बिक्री बकाया	24-36
4.	कोयला क्षेत्र की परियोजनाओं का कार्यान्वयन	37-45
5.	कोयले का मूल्य निर्धारण और रायल्टी	46-55
6.	केप्टिव कोयला खनन ब्लॉक	56-59
7.	**कोयला उद्योग में वेतन समझौता**	60-65
8.	कोल इंडिया लि. के कर्मचारियों की कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा योजना	66-70
9.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	71-76
10.	आयोजना	77-78
11.	कोल इंडिया लि0 तथा एन.एल.सी. में बोर्ड स्तरीय नियुक्तियां	79-88
12.	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	89-90
13.	सतर्कता संबंधी कार्यकलाप एवं उपलब्धियां	91-95

अध्याय - 1

प्रस्तावना और संगठन

प्रस्तावना

मंत्रिमंडल ने 12 जनवरी, 2004 की अपनी अधिसूचना में अधिसूचित किया कि दो अलग-अलग मंत्रालयों अर्थात कोयला मंत्रालय तथा खान मंत्रालय को एक एकीकृत यूनिट अर्थात् कोयला तथा खान मंत्रालय में मिला दिया जाए जिसमें कोयला विभाग तथा खान विभाग नामक दो विभाग शामिल हैं । 24 जुलाई, 2004 को श्री शिबू सोरेन, कोयला और खान मंत्री ने कोयला और खान मंत्रालय का कार्यभार त्याग दिया और प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाल लिया । इसके पश्चात श्री शिबु सोरेन ने 27 नवम्बर, 2004 को कैबिनेट मंत्री के तौर पर कोयला मंत्रालय का कार्यभार पुनः ग्रहण कर लिया और उसके बाद दुबारा 2.3.2005 को उन्होंने कार्यभार त्याग दिया तथा प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाल लिया । वर्तमान में, कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री तथा एक राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) के अधीन है ।

कोयला मंत्रालय कोयला तथा लिग्नाइट के भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीति निर्धारण तथा आयोजना करने, उच्च लागत की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति देने तथा सभी संबद्ध मामलों पर निर्णय लेने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है । इन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वाह इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामतः कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल) एवं नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एन.एल.सी.) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एस.सी.सी.एल), जो आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है और जिसमें उनकी इक्विटी पूंजी का अनुपात 51:49 है, के माध्यम से किया जाता है ।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1.1.2005 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 1200 मीटर की गहराई तक 247.85 बिलियन टन कोयले के भंडारों का अनुमान लगाया गया है।

वर्तमान में, देश में लिग्नाइट का भंडार 36009 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से अधिकांश भंडार तमिलनाडु में हैं। अन्य राज्य, जहां लिग्नाइट भंडार पाये गए हैं, वे हैं - राजस्थान, गुजरात, केरल, जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी।

कोयला मंत्रालय के कार्य

कोयला मंत्रालय भारत में कोयला और लिग्नाइट के भंडारों के विकास और दोहन के लिए उत्तरदायी है । इस मंत्रालय को जिसमें सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय अथवा अपने-अपने विषयों से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित अन्य संगठन शामिल हैं, समय-समय पर यथा-संशोधित भारत सरकार कार्य आवंटन) नियमावली,1961 के तहत निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैं-

* भारत में कोककर कोयला तथा अ-कोककर कोयला और लिग्नाइट भंडारों का दोहन और विकास ।
* कोयले का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा कीमतों से संबंधित सभी मामले ।
* ऐसी वाशरियों को छोड़कर, जिनके लिए इस्पात मंत्रालय जिम्मेदार है, कोयला वाशरियों का विकास और कार्य-संचालन ।
* कोयले का निम्न तापीय कार्बनीकरण तथा कोयले से संश्लिष्ट (सिंथेटिक) तेल का उत्पादन ।
* कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन ।
* कोयला खान भविष्य निधि संगठन ।
* कोयला खान कल्याण संगठन ।
* कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन ।
* कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1947, (1947 का 32) का प्रशासन ।
* खानों से उत्पादित और प्रेषित कोक और कोयला पर लेवी तथा उत्पादन-शुल्क की उगाही और संग्रहण के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत नियम और बचाव निधि का प्रशासन ।
* कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन ।
* खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन, जहाँ तक उक्त अधिनियम और अन्य कानूनों का संबंध कोयला और लिग्नाइट तथा रेत भराई और इससे संबंधित कारोबार, जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं, से है ।

सचिवालय स्तर पर इस मंत्रालय के प्रमुख सचिव हैं जिनकी सहायता के लिए एक अपर सचिव, तीन संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार सहित) एक परियोजना सलाहकार, आठ निदेशक /उप सचिव, चार अवर सचिव, 11 अनुभाग अधिकारी, एक डेस्क अधिकारी, एक

अर्थशास्त्री, एक सहायक निदेशक (रा.भा.) और एक उप-लेखा नियंत्रक और उनके सहायक कर्मचारी हैं ।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कोल इण्डिया लि0 (सी.आई.एल.) और उसकी आठ (8) सहायक कंपनियां हैं, जिनके नाम हैं -

1. भारत कोकिंग कोल लिमिटिड (बीसीसीएल)
2. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)
3. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)
4. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
5. साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एसईसीएल)
6. नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
7. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
8. सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

कोल इंडिया लि0 का मुख्यालय कोलकाता में है जो कोयला उद्योग में शीर्षस्थ निकाय है और यह सहायक कंपनियों के नीति विषयक दिशा-निर्देशों का निर्धारण तथा समन्वय कार्य करने के लिए उत्तरदायी है । यह सभी सहायक कंपनियों की ओर से निवेश योजना, जनशक्ति प्रबंधन,भारी मशीनों की खरीद, वित्तीय बजट आदि की व्यवस्था करता है ।

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड है, जिसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में है और कारपोरेट कार्यालय नेयवेली, तमिलनाडु में है । यह कंपनी लिग्नाइट भंडारों के दोहन और उत्खनन, तापीय विद्युत उत्पादन तथा कच्चे लिग्नाइट की बिक्री का भी काम करती है ।

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठन

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्तशासी संगठन हैं :-

(i) कोयला नियंत्रक संगठन का कार्यालय - एक अधीनस्थ कार्यालय ।
(ii) भुगतान आयुक्त का कार्यालय - एक अधीनस्थ कार्यालय ।
(iii) कोयला खान भविष्य निधि संगठन - एक स्वायत्त संगठन ।

कोयला नियंत्रक का संगठन

कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद में है ।

कोयला नियंत्रक निम्नलिखित सांविधिक कार्य करता है-

(क) सीमों/खानों को खोलने तथा पुनः खोलने की अनुमति प्रदान करना

(ख) कोयले का संरक्षण तथा उपयोग :

कोयला संरक्षण और विकास सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में, कोयला नियंत्रक का कार्यालय कोयला खानों द्वारा रेत भराई कार्यों पर वास्तव में व्यय की गई राशि का मूल्यांकन करता है और साथ ही कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत उल्लिखित रेत भराई एवं संरक्षण कार्य हेतु सहायता देने के लिए सी.सी.डी.ए.सी. को आवश्यक सिफारिशें करता है । कोयला कंपनियों में सड़क विकास तथा वैज्ञानिक विकास कार्य के लिए राज-सहायता दी जाती है ।

(ग) उत्पाद शुल्क का संग्रहण

भुगतान आयुक्त

1972-73 में राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के मालिकों अथवा कोयला खानों के समूह को देय राशि का संवितरण करने के प्रयोजन से कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अनुसार भुगतान आयुक्त के कार्यालय की स्थापना की गई थी । शुरू में भुगतान आयुक्त के दो कार्यालय थे एक राष्ट्रीयकृत कोककर कोयला खानों और कोक ओवन संयंत्रों के लिए मुआवजे आदि का निर्धारण करने के लिए जिसका मुख्यालय धनबाद में था और दूसरा राष्ट्रीयकृत नान-कोकिंग कोयला खानों के मुआवजे आदि का निर्धारण करने के लिए जिसका मुख्यालय कोलकाता में था। धनबाद स्थित कार्यालय का पर्याप्त कार्य निपट जाने के बाद उक्त कार्यालय को बन्द कर दिया गया और इसका शेष कार्य भुगतान आयुक्त के कार्यालय, कोलकाता को अन्तरित कर दिया गया ।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन

प्रस्तावना

कोयला खान भविष्य निधि संगठन एक स्वायत्तशासी संगठन है जिसकी स्थापना कोयला खान भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 के तहत की गई है । यह संगठन कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948, कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 का प्रशासन करता है जिसका स्थान कोयला खान पेंशन योजना, 1998 ने ले लिया है जो 31.3.1998 से प्रवृत्त हो गयी है और कोयला खान जमा सहबद्ध बीमा योजना, 1976 को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत तैयार किया गया है ।

इस निधि का प्रशासन एक त्रिपक्षीय निकाय अर्थात न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें (1) केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के प्रतिनिधि (2) नियोक्ता और (3) कर्मचारी शामिल होते हैं । न्यासी बोर्ड कोयला मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है । यह बोर्ड प्रत्येक बैठक में इस संगठन के कार्य की समीक्षा करता है ।

सी.एम.पी.एफ. संगठन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोयला खान पेंशन योजना, 1998 को लागू करना है जो 31 मार्च, 1998 से लागू हुई है । इससे देश के लगभग 8 लाख कोयला कामगारों को लाभ होगा । कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के लागू हो जाने से विगत की परिवार पेंशन योजना, 1971 का प्रचालन बंद हो गया है । तथापि, जो पेंशनभोगी विगत की परिवार पेंशन योजना 1971 के अंतर्गत लाभ उठा रहे थे, वे पुरानी कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करते रहेंगे ।

प्रशासन

कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त कोयला खान भविष्य निधि संगठन के कार्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं । वे कोयलाधारी राज्यों में स्थित 23 क्षेत्रीय कार्यालयों के 1603 स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या की तुलना में 1350 कार्मिकों के जरिए संगठन का प्रशासन चला रहे हैं ।

कोयला खान भविष्य निधि के प्रशासन की लागत भविष्य निधि में सदस्यों तथा नियोक्ता के अनिवार्य अंशदान की कुल राशि के 3 % की दर से नियोक्ताओं पर लगाए गए "प्रशासनिक प्रभार" की उगाही से वहन की जाती है । कोयला खान पेंशन योजना (केवल 68 पद) के प्रशासन की लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है । कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना के प्रशासन की लागत नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों को अदा की गई कुल मजदूरी के 0.1% की दर से उगाही गई अन्य राशि से वहन की जाती है । नियोक्ताओं से वसूल की गई राशि के आधे के बराबर राशि केन्द्र सरकार द्वारा अदा की जाती है ।

अध्याय- 2

कोयला अन्वेषण, संसाधन, संरक्षण, धंसाव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाएं एवं सुरक्षा

कोयला अन्वेषण

देश में कोयला भंडार का अन्वेषण दो स्तरों पर किया जाता है । पहले स्तर पर भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) सतत आधार पर संभावित कोयलाधारी क्षेत्रों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण करता है । क्षेत्रीय अन्वेषण के प्रयासों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रोन्नत (क्षेत्रीय) अन्वेषण करने के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन (एमईसीएल) की सेवाएं भी ली गई हैं जिसकी वित्त व्यवस्था कोयला मंत्रालय ने की है ।

द्वितीय स्तर पर विस्तृत अन्वेषण किया जाता है । सीएमपीडीआईएल प्रत्यक्ष रूप से तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन, राज्य सरकारों एवं निजी अभिकरणों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए खान आयोजना और कोयला भंडारों के दोहन के लिए विस्तृत अन्वेषण करती है । एससीसीएल के कमांड क्षेत्र में विस्तृत अन्वेषण विभागीय तौर पर किया जाता है । उभरती हुई मांग और उसकी अवस्थिति, कोयले की निकासी के लिए अवसंरचना की उपलब्धता तथा कोयले की गुणवत्ता सहित खान विकास की तकनीकी आर्थिकियों जैसे कारणों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत अन्वेषण हेतु लिए जाने वाले विभिन्न परियोजनाओं/ब्लाकों की प्राथमिकताओं का निर्णय लिया जाता है ।

कोल इंडिया लि0 की कोयला कंपनियां और सीएमपीडीआई ने 289 ब्लाकों की पहचान की है जिन्हें अगले 30 वर्षों अर्थात 2036-37 तक (दसवीं योजना के अंतिम वर्ष) के लिए 2006-07 के दौरान उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए सी.आई.एल. द्वारा कायम रखने का प्रस्ताव है । सी.आई.एल. द्वारा कायम इन ब्लाकों को सीआईएल ब्लाक कहा गया है । बाकी अन्य सभी ब्लाक जिन्हें सीआईएल द्वारा नहीं रखा गया है, उन्हें नॉन-सीआईएल ब्लॉक कहा गया है । नॉन-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की कुल आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन किया गया है । कोयला मंत्रालय के विभागीय ई.एफ.सी. ने 70.66 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से 10वीं योजना में नॉन-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की योजना को जारी रखने के सीएमपीडीआई के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है ।

इस समय लगभग 230 ब्लाकों की नॉन-सीआईएल ब्लॉकों के रूप में पहचान की गई है जिनमे से 136 ब्लाकों को कैप्टिव खनन ब्लॉक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है । 136 कैप्टिव खनन ब्लॉकों में से लगभग 87 ब्लाकों का विस्तृत अन्वेषण पूरा हो गया है। क्षेत्रीय अन्वेषण के आधार पर गृहीत खनन के लिए शेष 49 ब्लाकों में से 12 ब्लाक पहले ही आंबटित कर दिए गए हैं। शेष 37 ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण कराया जाना है। अनंतिम रूप से पहचान किए गए 94 नॉन-सीआईएल ब्लॉकों में से 29 नॉन-सीआईएल ब्लॉकों का विस्तृत अन्वेषण पूरा हो गया है तथा दसवीं योजना और बाद की योजनावधि में शेष 65 नॉन-सीआईएल ब्लाकों का विस्तृत अन्वेषण करने का प्रस्ताव है।

नवम्बर, 2003 में कोयला मंत्रालय ने निर्णय लिया कि आगे से कैप्टिव ब्लाकों में सभी अन्वेषण कार्य सीएमपीडीआई अथवा इसकी सीधी निगरानी में किए जाएंगे । जब तक ऐसे उपलब्ध आंकड़ों (उत्खनन योग्य भंडारों के आकलन को मिलाकर) पर खनन योग्य योजना का आधार बनाने के लिए ब्लॉक का पर्याप्त अन्वेषण नहीं कर लिया जाता तब तक किसी कैप्टिव ब्लॉक का आवंटन नहीं किया जाएगा । इन ब्लाकों के विस्तृत अन्वेषण से निजी उद्यमी उत्पादन शीघ्र शुरू कर सकेंगे और इससे समय में पर्याप्त बचत होगी । कोयला मंत्रालय ने भी पहचान किए गए 15 कैप्टिव खनन ब्लॉकों में प्राथमिकता के आधार पर कराए गए उत्खनन योग्य भंडारों के आंकलन सहित विस्तृत अन्वेषण कराए जाने की इच्छा भी व्यक्त की है । इसलिए सीएमपीडीआई ने 93.84 करोड़ रूपए (70.66 करोड़ रूपए मूल+23.18 करोड़ रूपए कैप्टिव ब्लॉकों में 70,000 मीटर की प्राथमिकता ड्रिलिंग के लिए अतिरिक्त) का संशोधित लागत अनुमान प्रस्तुत किया है जो अनुमोदन की प्रक्रिया में है ।

भारत के कोयला भंडार

जी.एस.आई.तथा अन्य एजेंसियों द्वारा 1200 मी. की गहराई तक किए गए अन्वेषण के परिणामस्वरूप दिनांक 1.1.05 की स्थिति के अनुसार देश में कोयले का कुल संचित भंडार 247.85 बिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। कोयला संसाधनों का राज्यवार वितरण तथा इसका श्रेणीकरण निम्नानुसार है-

State	**Coal Resources in Million Tonnes**			
	Proved	**Indicated**	**Inferred**	**Total**
Andhra Pradesh	8263	6079	2584	16926
Arunachal Pradesh	31	40	19	90
Assam	279	27	34	340
Bihar	0	0	160	160

Chhattisgarh	9373	26191	4411	39975
Jharkhand	35417	30439	6348	72204
Madhya Pradesh	7513	8815	2904	19232
Maharashtra	4653	2309	1620	8582
Meghalaya	117	41	301	459
Nagaland	4	1	15	20
Orissa	15161	30976	14847	60984
Uttar Pradesh	766	296	0	1062
West Bengal	11383	11876	4554	27813
Total	**92960**	**117090**	**37797**	**247847**

1.1.2005 की स्थिति के अनुसार भारत के किस्म-वार तथा श्रेणी-वार कोयला संसाधन निम्नानुसार है:-

(in Million Tonnes)

Type of Coal	**Proved**	**Indicated**	**Inferred**	**Total**
(A) Coking :-				
-Prime Coking	4614	699	-	5313
-Medium Coking	11417	11765	1889	25071
-Semi-Coking	482	1003	222	1707
Sub-Total Coking	**16513**	**13467**	**2111**	**32091**
(B) Non-Coking*:-	**76447**	**103623**	**35686**	**215756**
Total (Coking & Non-Coking)	**92960**	**117090**	**37797**	**247847**

* पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी कोयला सहित

अन्वेषण क्रियाकलाप

सीएमपीडीआई ने 2004-05 के दौरान भी अपना विस्तृत अन्वेषण कार्यक्रम जारी रखा । सीआईएल तथा गैर-सीआईएल ब्लॉकों में पावर ग्रेड तथा उच्च ग्रेड के नॉन-कोकिंग कोयले को प्रमाणित करने पर बल दिया गया है । उत्तरी करनपुरा, तवा घाटी, वर्धा घाटी, माकुम और तलचर कोलफील्ड में थोड़ी प्रोन्नत ड्रिलिंग भी की गई है ।

विस्तृत अन्वेषण के उद्देश्य से, सी.एम.पी.डी.आई. ने अधिकांशतः अपने ही ड्रिलिंग संसाधनों को नियोजित किया है। एम.ई.सी.एल. और मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा की राज्य सरकारों के ड्रिलिंग संसाधनों को सीमित ढंग से संविदा के आधार पर नियोजित किया गया। सभी एजेंसियों ने वर्ष 2004-05 के दौरान औसत 53 से 61 ड्रिल किए।

संदर्भाधीन अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों के 20 कोल फील्डों के 81 ब्लाकों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य किया गया।

इसमें सी.एम.पी.डी.आई. द्वारा 15 गैर-सी.आई.एल.ब्लाकों (सी.एम.पी.डी.आई-13 और एम.ई.सी.एल.-2) का विस्तृत अन्वेषण और 5 ब्लाकों का प्रोन्नत अन्वेषण शामिल है।

सी.एम.पी.डी.आई. और इसकी संविदा एजेंसियों द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान कुल 2,01,649 मीटर अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग की गयी है । ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

(क) सीएमपीडीआई - 1,82,621 मीटर (सीआईएल ब्लॉक - 1,17,674 मीटर, नॉन-सीआईएल/कैप्टिव ब्लॉक - 48059 मीटर और प्रोन्नत - 16888 मीटर)

(ख) एमईसीएल - 10,834 मीटर (नॉन-सीआईएल/कैप्टिव ब्लाक)

(ग) राज्य सरकारें - 8194 मीटर (सीआईएल ब्लॉक)

सी.एम.पी.डी.आई. द्वारा प्रोन्नत ड्रिलिंग-सी.एम.पी.डी.आई. ने तिरप कोलियरी तथा माकुम कोलफील्ड की नामचिक नदी और वर्धा घाटी कोलफील्ड की माधेरी नार्थ-वेस्ट ब्लाक के बीच के क्षेत्र में प्रोन्नत ड्रिलिंग जारी रखा । इसके अलावा, नए ब्लाकों अर्थात उत्तरी करनपुरा कोलफील्ड में अशोक करकता पश्चिम, तवा घाटी में बनबहेरा ब्लाक और तलचर कोलफील्ड में रामचन्दानी ब्लाक में भी ड्रिलिंग शुरू कर दी गयी है । वर्ष 2004-05 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 16888 मी. प्रोन्नत ड्रिलिंग की गयी है ।

वर्ष 2005-06 के दौरान, जनवरी, 2005 से दिसम्बर, 2005 तक, कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र में संवर्द्धनात्मक अन्वेषण के लिए 130.47 करोड़ रू. की अनुमानित लागत पर कुल 50 परियोजनाएं शुरू की गईं थी। इनमें से, 34 परियोजनाएं कोयला क्षेत्र में थीं और 16 परियोजनाएं लिग्नाइट क्षेत्र में थी। ड्रिलिंग 6 कोयला क्षेत्र ब्लाकों और 4 लिग्नाइट ब्लाकों में पूरी हो चुकी है। कुल 12 भू-वैज्ञानिक रिपोर्टें कोयला क्षेत्र में प्रस्तुत की जा चुकी हैं और इस अवधि में 5.90 बिलियन टन कोयला संसाधनों का अनुमान लगाया गया है। इसमें से, 5.54 बिलियन टन निर्दिष्ट श्रेणी में हैं और 0.36 बिलियन टन अनुमानित श्रेणी में हैं। लिग्नाइट क्षेत्र में, 8 भू-वैज्ञानिक रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं और 1.44 बिलियन टन संसाधनों को निर्दिष्ट श्रेणी में स्थापित किया गया है।

कोयला बेड मीथेन अध्ययन

कोयला बेड मीथेन (सीबीएम)/कोयला खान मीथेन (सीएमएम) एक उदीयमान ऊर्जा संसाधन है । सार्वभौम रूप से सीबीएम को अब दिए जा रहे महत्व को देखते हुए प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय के परामर्श से भारत सरकार की अनुमोदित नीति के अंतर्गत सीबीएम के विकास के लिए भावी ब्लाकों के आवंटन के लिए कदम उठाए लिए हैं । पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अब तक पांच ब्लाकों का आवंटन करने के लिए पहली बोली में अर्थात रानीगंज पूर्वी ब्लॉक, उत्तरी करनपुरा(पूर्वी), बोकारो, सोहागपुर(पूर्वी) तथा सोहागपुर (पश्चिम) और दूसरी बोली में आठ ब्लॉकों अर्थात उत्तरी करनपुरा (पश्चिम), दक्षिण करनपुरा, बाडमेर-1, बाडमेर-2, बाडमेर-3, सोनहत, सतपुरा तथा वर्धा का आवंटन करने के लिए दो सार्वभौम बोली आमंत्रित की । दो ब्लॉक (झरिया और रानीगंज) नाममात्र के आधार पर ओएनजीसी -सीआईएल के संयुक्त उद्यम को आवंटित किए गए हैं ।

तीसरे दौर की सम्भावी सीबीएम ब्लाकों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पूर्वानुमानित संसाधन और लगभग 9000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में 900 बीसीएम से अभी तक 18 संभावी सीबीएम ब्लाकों की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है, इनमें से 16 ब्लाक विभिन्न एजेन्सियों को अवार्ड कर दिए गए हैं। रूपरेखा प्रमुख रूप से सीएमपीडीआई द्वारा तैयार की जाती है क्योंकि वह कोयला अन्वेषण और खान से संबंधित डाटा तैयार करने हेतु नोडल एजेन्सी है। वर्तमान में सीएमपीडीआई में 460 बीसीएम वाले पूर्वानुमानित सीबीएम संसाधन से 4000 वर्ग कि.मी. में फैले 7 अतिरिक्त सीबीएम ब्लाकों की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

यूएनडीपी/जीईई/जीओआई कोल बेड मीथेन रिकवरी तथा वाणिज्यिक उपयोगिता

खनन (सीएमएम) के साथ सीबीएम को काम में लाने की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने यूएनडीपी/सार्वभौम पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) के सहयोग से 92.43 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से झरिया कोलफील्ड में बीसीसीएल की मूनीडीह तथा सुदामडीह खानों में प्रदर्शन परियोजनाएं शुरू की हैं।

उद्देश्य

इस परियोजना का उद्देश्य कोयले के सुरक्षित उत्खनन के लिए कोयला सीमों को गैस से मुक्त करना तथा भारत में सीबीएम को काम में लाने की आर्थिक व्यवहार्यता का प्रदर्शन करना है। इस परियोजना में गोब्ड क्षेत्रों में मौजूदा खानों के साथ-साथ वहां पर जहां बाद में

खनन करने पर विचार किया जाना है, से उसी स्थान का गैस का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया जाएगा तथा मीथेन को अनुकूलतम रूप से काम में लाने का प्रदर्शन किया जाएगा जो अन्यथा वातावरण में निकल जाएगी। यह परियोजना सीएमपीडीआई तथा बीसीसीएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इसके अक्तूबर, 2006 में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

भारत में कोयला खनन का अधिक प्रचलित तरीका बोर्ड तथा पिलर है। इन पद्धति में खनन आपरेटर इस प्रकार है कि अधिकांश रूप से मीथेन गैस कोयले के उत्खनन के दौरान निकल जाती है तथा इस प्रकार कोल माइन मीथेन (सीएमएम) एवं परित्यक्त खान मीथेन (एएमएम) की गुंजाइश बहुत ही सीमित होती है। तथापि, यूके भारत सीबीएम अन्तरण परियोजना के अंतर्गत भारत के संदर्भ में एएमएम की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए उपाय किए गए हैं। यह परियोजना यू.के. सरकार के व्यापार तथा उद्योग विभाग (डी.टी.आई.) द्वारा प्रायोजित की गई है और मैसर्स वारडेल आर्मस्ट्रोम द्वारा इसकी व्यवस्था की जा रही है, सीएमपीडीआई को इस कार्य को शुरू करने का कार्य दिया गया।

कोयला संरक्षण

कोयले का संरक्षण कोयले के स्व-स्थाने भंडारों की अधिकतम प्राप्ति करता है। भारत में कोयला भण्डार अधिकांशतः मोटी सीमों और उथली गहराई में होते हैं। अधिकतम प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए खान आयोजना तथा प्रचालक के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

भारत में मशीनीकृत ओपनकास्ट खनन अधिक प्रचलित प्रौद्योगिकी है। इस पद्धति द्वारा प्राप्ति की प्रतिशतता स्व-स्थाने कोयला भण्डारों का 90% तक है। ओपनकास्ट पद्धति से कोयले का उत्पादन कुल उत्पादन का लगभग 80% है। निकट भविष्य में इस प्रवृत्ति के बने रहने की सम्भावना है। मोटी सीम के भण्डारों को पहले बोर्ड तथा पिल्लर पद्धति अथवा भूमिगत खनन की अन्य पद्धतियों में विकसित किया गया तो उत्खनन की उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में काफी समय से प्रतीक्षा कर रही थी, अब डब्ल्यूसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल जैसी कुछ खानों में उपयुक्त प्रकार के हैम उपकरण से ओपनकास्ट खनन द्वारा उत्खनन योग्य हो गया है, इनमें अपेक्षाकृत उथले कवर के अंतर्गत भूमिगत खनन किया गया था। एससीसीएल के मामले मे जहां ओपनकास्ट खानों की आयोजना करने की गुंजाइश सीमित है, उच्चतर प्राप्ति की प्रतिशतता के साथ उच्चतर भूमिगत उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमिगत खानों में लोंगवाल तथा ब्लास्टिंग गेलरी पद्धतियों को अपनाया जा रहा है। खनन की लांगवाल पद्धति को कोल इंडिया लिमिटेड एसईसीएल, ईसीएल तथा बीसीसीएल में कार्यान्वित किया

जा रहा है। सतत माइनर प्रौद्योगिकी उत्खनन की उच्च प्रतिशतता और बड़े पैनलों के साथ तेजी से उत्खनन की पेशकश करती है। इस प्रौद्योगिकी को सीआईएल तथा एससीसीएल की और अधिक खानों में लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अतिप्रवण तथा अनियमित कोयला सीम भंडारों, गैसीय सीमों, समीपस्थ तथा बहु खण्डीय सीमों जैसे कोयलाधारी क्षेत्रों में प्रचलित विकट भू-खनन परिस्थितियों के लिए कोयला संरक्षण से ऐसे भडारों के दोहन के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी कुछ उपयुक्त प्रौद्योगिकी को लागू करना आवश्यक है।

रेत भराई

भूमिगत खानों में रेत भराई भी कोयला संरक्षण के अन्य प्रभावकारी उपायों में से एक उपाय है जिसका उपयोग भूमिगत मोटी कोयला सीमों और सतही संरचनाओं, रेलवे लाइनों, सड़कों, नदियों, नालों, जोहड़ों आदि जैसे निर्मित क्षेत्रों के नीचे स्थित कोयला सीमों से कोयले की निकासी के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। जहां कहीं उपरि सीमों से पहले निचली सीमों का उत्खनन किया जा रहा है वहां उपरि सीमों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए भी रेत भराई की जाती है। कोयला सीमों में आग से बचाव के लिए भी रेत भराई की जाती है।

खान में आग और धंसाव नियंत्रण

1972 में कोककर खानों के राष्ट्रीयकरण के समय झरिया कोलफील्ड्स में लगभग 17 वर्गमीटर में 70 सक्रिय आग वाली खानें बतायी गयी थी। 114.57 करोड़ रूपए के अनुमानित परिव्यय से इन आगों को नियंत्रित करने के लिए 1975 से 1988 तक अग्निशमन परियोजनाएं शुरू की गईं। 10 आगों को बुझाया गया। तथापि, इस अवधि के दौरान 6 और आगें लग गईं।

झरिया कोलफील्ड की समस्या से निपटने के लिए एक दीर्घावधिक योजना विकसित करने के उद्देश्य 12.00 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक की सहायता से झरिया खान आग नियंत्रण तकनीकी सहायता परियोजना के अंतर्गत एक निदान अध्ययन कराया गया। इस अध्ययन के दो घटक थे, अग्निशमन कार्यक्रम का विकास और पर्यावरण निगरानी योजना को तैयार करने का काम पूरा हो गया है। इस अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया कि आग क्षेत्र को पर्याप्त रूप से घटाकर 8.9 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है।

सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में झरिया तथा रानीगंज कोलफील्डों में धंसाव और आग की जांच करने के लिए दिसम्बर, 1996 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति ने दिसम्बर, 1997 में अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश कर दी है। इस समिति की सिफारिशें कार्यान्वयन की विभिन्न स्तरों पर है।

1997-98 से भारत सरकार ने आग तथा धंसाव नियंत्रण और अन्य पर्यावरण उपायों के लिए पर्यावरणीय उपाय एवं धंसाव नियंत्रण (ई.एम.एस.सी.) योजनाएं लागू की हैं।

व्यापक रूप से इस समस्या से निपटने के लिए मार्च, 2003 में सचिवों की समिति ने यह निर्णय लिया कि विभिन्न क्रियाकलापों को पूर्ण करने की समय सीमा तथा व्यापक पुनर्वास योजना की रूपरेखा देते हुए कुल कार्य योजना तैयार की जाएगी। तदनुसार, बीसीसीएल तथा ईसीएल के मास्टर प्लान के आधार पर कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं जिसमें इस योजना में शामिल सभी क्रियाकलापों को चरणबद्ध रूप से पूरा करने के लिए 20 वर्षों की समय-सीमा का उल्लेख किया गया। पहले पांच वर्षों के लिए व्यापक क्रियाकलाप निर्धारित कर लिए गए हैं तथा 5 वर्षों के प्रथम चरण में लिए जाने वाले स्थानों की भी पहचान कर ली गई है। तदनुसार बीसीसीएल और ईसीएल के मास्टर प्लान को भी अद्यतन बना लिया गया है।

बीसीसीएल के मास्टर प्लान के लिए 5714.81 करोड़ रूपए तथा ईसीएल के लिए 1769.40 करोड़ रूपए पूंजीगत परिव्यय पर विचार किया गया है। मास्टर प्लान के विभिन्न क्रियाकलापों की वित्त-व्यवस्था पर्यावरणीय उपायों एवं धंसाव नियंत्रण (ई.एम.एस.सी.) योजनाओं के लिए किए गए योजना नियतन, कोयला संरक्षण तथा विकास अधिनियम के अंतर्गत रेत भराई के सीमाशुल्क और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निधियों के आन्तरिक संग्रहण से करने का प्रस्ताव है।

आग तथा धंसाव, स्थायीकरण, पुनर्वास आदि की समस्याओं से निपटने के लिए ईसीएल और बीसीसीएल के अद्यतन किए गए मास्टर प्लानों को क्रमशः दिसम्बर, 2003 तथा अप्रैल, 2004 में तैयार किया गया। इन प्लानों को योजना आयोग ने सैद्धान्तिक अनुमोदन दे दिया है और वे अनुमोदन के लिए सरकार के विचाराधीन हैं। सार्वजनिक निवेश बोर्ड के मसौदा नोट तैयार कर लिए गए हैं और वे प्रक्रियाधीन है।

विभिन्न योजनाओं को दी गई प्राथमिकता के अनुसार मास्टर प्लानों/कार्य योजनाओं को पर्यावरणीय उपायों एवं धंसाव नियंत्रण (ई.एम.एस.सी.)/पुनर्वास, आग तथा धंसाव नियंत्रण

(आर.सी.एफ.एस.) के अंतर्गत अनुमोदित किया जा रहा है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दी गई है :

बीसीसीएल

16.18 करोड़ रूपए की पूंजी से पर्यावरणीय उपाय एवं धंसाव नियंत्रण की आठ योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 6 परियोजनाएं पूरी हो गई है तथा दो योजनाएं कार्यान्वयाधीन हैं। 25.60 करोड़ रूपए की पूंजी से पुनर्वास, आग तथा धंसाव के नियंत्रण की चार योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। दो योजनाओं को संशोधित किया जा रहा है तथा दो योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। बीसीसीएल ने 115.00 करोड़ रूपए की पूंजी की 7 नयी योजनाएं स्वीकृत की हैं। कुल लगभग 16.33 करोड़ रूपए खर्च हो गए हैं। 61.09 करोड़ रूपए के पूंजी निवेश से 4600 घरों (3100 गैर बीसीसीएल अनधिकृत तथा 1500 बीसीसीएल) को हटाने के लिए ईएमएससी निधि के अंतर्गत खतरे वाले मकानों के पुनर्वास की एक प्रदर्शन योजना अनुमोदित की गई तथा यह कार्यान्वयनाधीन है। बीसीसीएल ने 344 मकानों का निर्माण किया है और लगभग 150 परिवार उनमें बस गए हैं। आगे बसाने की कार्रवाई प्रगति पर है। अन्य 1156 मकानों का निविदा कार्य प्रगति पर है।

ईसीएल

अब तक खर्च की गई कुल राशि 9.07 करोड़ रूपए है। ईसीएल में ईएमएससी निधियों के अंतर्गत स्थिरीकरण की 4 योजनाएं पूर्ण हो गई है तथा 6 कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अलावा, सीसीडीए निधि के तहत 2 योजनाएं भी पूरी हो गई हैं। 33.52 करोड़ रूपए के पूंजीगत परिव्यय से 4 पुनर्वास (प्रदर्शन) योजनाएं भी शुरू की गई हैं। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (ए.डी.डी.ए.) ने जनसांख्यिकी सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। स्थिरीकरण, पुनर्वास तथा आग नियंत्रण उपायों के अंतर्गत अब तक 19.22 करोड़ रूपए खर्च किए गए हैं।

सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति जिसमें राज्य सरकारों, सीआईएल, बीसीसीएल, ईसीएल और केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयें/विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं, गठित की गई और यह आवधिक रूप से कार्य की प्रगति की समीक्षा कर रही है।

एस एण्ड टी परियोजनाएं

एक शीर्ष निकाय अर्थात स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) हैं, के माध्यम से कोयला क्षेत्र मे अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलाप प्रशासित किए

जाते हैं। इस शीर्ष निकाय के अन्य सदस्यों में सीआईएल के अध्यक्ष, सीएमपीडीआईएल, एससीसीएल, एनएलसी के सीएमडी, संबंधित केन्द्रित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं के निदेशक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, योजना आयोग तथा शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित अन्य शामिल हैं। स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति के मुख्य कार्य परियोजनाओं की आयोजना, कार्यक्रम, बजट तथा उनके क्रियान्वयन की निगरानी करना है और किए गए अनुसंधान तथा विकास कार्य के निष्कर्षों का अनुप्रयोग चाहना है। सीआईएल के इन-हाउस अनुसंधान तथा विकास कार्य के लिए सीआईएल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में अनुसंधान तथा विकास बोर्ड भी कार्य कर रहा है।

स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति की तीन स्थायी उप-समितियां सहायता करती हैं और प्रत्येक अनुसंधान के तीन संगत प्रमुख क्षेत्रों में से एक कार्य को करते हैं:-

- उत्पादन, उत्पादकता तथा सुरक्षा
- कोयला परिष्करण और उपयोग
- पर्यावरण और पारिस्थितिकी

परियोजना अधिकांशतः अनुसंधन तथा शैक्षिक संस्थान द्वारा स्वतंत्र रूप से अथवा कोयला और लिग्नाइट कम्पनियों के सहयोग से कार्यान्वित की जाती हैं।

सीएमपीडीआई कोयला क्षेत्र में अनुसंधान क्रियाकलापों के समन्वय के लिए एक नोडल अभिकरण का कार्य करता है जिसमें अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, उन अभिकरणों की पहचान करना जो पहचान किए गए क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य शुरू कर सकें, सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तावों पर कार्यवाही करना, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना, बजट अनुमान तैयार करना, निधियों का संवितरण आदि शामिल हैं।

15 दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार 56 अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं चल रही हैं। जनवरी, 2005 से दिसम्बर, 2005 की अवधि के दौरान, कुल 7 एस. एण्ड टी. परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और 3 परियोजनाएं पूर्ण होने के अंतिम चरण में है।

कोयले की धुलाई

2003-04 की तुलना में 2004-05 (अनन्तिम) के दौरान धुले हुए कोयले का उत्पादन और आपूर्ति नीचे दिए अनुसार है -

मद	2004-05 (मि.ट.)	(मि.ट.)	2003-04 (मि.ट.)	(मि.ट.)
	उत्पादन	आपूर्ति	उत्पादन	आपूर्ति
कोकिंग कोयला	48.55	48.51	45.45	45.69
नान-कोकिंग कोयला	94.32	96.80	77.63	75.90
जोड़	142.87	145.31	123.08	121.59

कोल इंडिया लि. 39.88 मिलियन टन प्रतिवर्ष की कुल पूर्ण क्षमता से 19 कोयला वाशरियों का प्रचालन करती है जिसमें से 19.68 मिलियन टन प्रतिवर्ष की कुल पूर्ण क्षमता की 12 कोकिंग कोयला वाशरियों और 20.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष की कुल क्षमता की 7 नान-कोकिंग कोयला वाशरियां हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। कई कोयला वाशरियां बहुत पुरानी हैं। भारत में 1950 के दशक से ही केवल कोकिंग कोयले के लिए कोयले की धुलाई की जाती रही थी। देश में कोकिंग कोयले का भण्डार कुल भण्डार का केवल लगभग 14% है और बहुत सीमित है। इस समय अधिकांश कोकिंग कोयला वाशरियां अच्छी गुणवत्ता के उपरि सीम कोयले के समाप्त हो जाने के कारण अपर्याप्त मात्रा और घटिया कोटि के कोयले के कारण प्रभावित हो रही हैं जिसकी वजह से उपयोग का स्तर घटिया है।

क्र.सं.	**वाशरी**	**क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)**	**चालू/अपवर्तित किए जाने का वर्ष**	**क्र.सं.**	**वाशरी**	**क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)**	**चालू/अपवर्तित किए जाने का वर्ष**
	Coking Coal:						
1.	Dugda-II	2.00	1969	1.	coal Non-coking: Dugda-I	1.00	1961/1999*
2.	Bhojudih	1.70	1962	2.	Lodna	0.48	1991/2002*
3.	Patherdih	1.60	1964	3.	Madhuband	2.50	1999/2003*
4.	Moonidih	1.60	1983		BCCL	3.98	
5.	Sudamdih	1.60	1980	4.	Gidi	2.5	1970/1998*
6.	Mahuda	0.63	1989	5.	Piparwar	6.5	1997
7.	Barora **	0.42	1982	6.	Kargali	2.72	1958/1999*
	BCCL	9.13			CCL	11.72	
8.	Kathara	3.00	1969	7.	Bina, NCL	4.5	1997
9.	Swang	0.75	1970		CIL	20.20	
10.	Rajrappa	3.00	1986				
11.	Kedla	2.60	1997				
	CCL	9.35					

12.	Nandan, WCL	1.2	1984	
	CIL	19.68		

* नान-कोकिंग कोयला वाशरी में परिवर्तित।
** अपेक्षित मात्रा की अनुपलब्धता के लिए अगस्त, 2003 से प्रचालन में नहीं है।

कोयला वाशरियों को कार्य करने की समुचित स्थिति में रखने के उद्देश्य से कुछ पुरानी वाशरियों का नवीकरण करने/आधुनिक बनाने के लिए कार्रवाई कर दी गई है। वाशरियों के नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है जिसे बीसीसीएल जैसी कोयला कम्पनी निधियों की कमी के कारण इस समय खर्च करने की स्थिति में नहीं है।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद, विद्युत क्षेत्र और सीमेंट क्षेत्र के लिए नान-कोकिंग कोयले की मांग में बेतहाशा वृद्धि हुई और इस प्रकार सीआईएल का कोयले का उत्पादन राष्ट्रीयकरण के समय के दौरान 75 मिलियन टन के स्तर से बढ़कर वर्ष 2004-05 के दौरान लगभग 323.6 मिलियन टन तक बढ़ गया। कोयले के उत्पादन में इस तीव्र वृद्धि को खानों के बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत करने तथा उच्च क्षमता वाली ओपनकास्ट खानों के कारण प्राप्त किया गया है।

हाल के वर्षों में सख्त कानून और पर्यावरण प्रदूषण के प्रति बढ़ती हुई जागृति के कारण मुख्यतः विद्युत क्षेत्र से बढ़िया अथवा धुले हुए नान-कोकिंग कोयले की मांग पर्याप्त बढ़ गई है। देश में नान-कोकिंग कोयला वाशरियों की वर्तमान क्षमता लगभग 69.15 मिलियन टन प्रतिवर्ष है जिसमें से सीआईएल 20.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष का प्रचालन करती है और निजी क्षेत्र 48.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष का प्रचालन करता है। निजी क्षेत्र की कुछ और नान-कोकिंग कोयला वाशरियां या तो निर्माणाधीन हैं या फिर प्रस्ताव के चरण में हैं।

सीआईएल की कोयला वाशरियों के कार्य-निष्पादन की मौजूदा स्थिति में सुधार हो रहा है जिसे नीचे दिए गए ब्यौरों से देखा जा सकता है :

<u>कार्य-निष्पादन की मुख्य - मुख्य बातें</u>

- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2004-05 में धुले हुए कोकिंग कोयले के उत्पादन में वृद्धि - 3.10 लाख टन
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2004-05 में कोकिंग कोयला वाशरियों के उत्पादन में वृद्धि - 1.56%

- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2004-05 में कोकिंग कोयला वाशरियों के उपयोग में वृद्धि - 2.89%
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2004-05 में धुले हुए नान-कोकिंग कोयले के उत्पादन में वृद्धि - 16.69 लाख टन
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2004-05 में नान-कोकिंग कोयला वाशरियों के उत्पादन में वृद्धि - 2.82%। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2004-05 में नान-कोकिंग कोयला वाशरियों के उपयोग में वृद्धि - 7.41%

कोयला वाशरियों की स्थापना के लिए सीआईएल द्वारा की गई पहलकदमियां :

1. कोल इंडिया लि. लिंक्ड उपभोक्ताओं को धुले हुए कोयले की आपूर्ति के लिए पट्टे पर/प्रभार्य आधार पर जैसे भी उपलब्ध हो, अवसरंचनात्मक सुविधाएं प्रदान करके नान-कोकिंग कोयला वाशरियों की स्थापना के लिए लिंक्ड उपभोक्ताओं एवं निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन देती है। इस प्रकार की दो वाशरियों का निर्माण हो गया है और 1999 के अंत में सीआईएल की भूमि पर कोरबा कोलफील्ड में प्रचालन में हैं (मौजूदा कुल क्षमता 10 मिलियन टन प्रतिवर्ष)

   एमसीएल के तलचर कोलफील्ड में बीओओ योजना के अंतर्गत अपनी 11 मिलियन टन प्रतिवर्ष की नान-कोकिंग कोयला वाशरी की स्थापना के लिए एपीजीईएनसीओ को मई, 2004 में भूमि पट्टे पर दे दी गई है। पीएसईबी द्वारा एन.के. क्षेत्र में बीओओ योजना के अंतर्गत 3.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की वाशरी की स्थापना के लिए भूमि शीघ्र मुहैया की जाएगी।

2. बीओओ योजना के अंतर्गत वाशरी का निर्माण करने और उसका प्रचालन करने के लिए एसईसीएल तथा वाशरी प्रचालक अर्थात आर एण्ड एस इंजीनियरिंग (इंडिया) प्रा. लि. से प्रस्तावित दीपका वाशरी (6.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष) से धुले हुए कोयले की आपूर्ति के लिए एमएसईबी के साथ समझौतों को अन्तिम रूप देने के लिए बातचीत चल रही है।

3. सीआईएल ने एक सुविधादाता के रूप में लिंक्ड उपभोक्ताओं के लिए बीओओ योजना के अंतर्गत नान-कोकिंग कोयला वाशरियों की स्थापना के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है और इस संबंध में बड़ी मात्रा में उत्तर प्राप्त हुए हैं। इच्छुक वाशरी निवेशकों/प्रचालकों के लिंक्ड उपभोक्ताओं की ओर से कोयले की धुलाई के

लिए उनके साथ सम्पर्क साधने तथा सीआईएल की सहायक कम्पनियों से अवसंरचनात्मक सुविधाओं का लाभ उठाने की सलाह दी गई है। विद्युत क्षेत्र के प्रमुख उपभोक्ताओं को अपने कोयले की धुलाई के लिए वाशरी प्रचालकों के चयन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राप्त अभिरूचियों की अभिव्यक्ति के बारे में भी सूचित किया गया है। परन्तु वाशरी के निर्माण तथा लिंक्ड उपभोक्ताओं को धुले हुए कोयले की आपूर्ति के लिए अभी तक उपयोगिता एवं उनके निवेशक के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है।

4. सीआईएल कोयला कम्पनियों द्वारा अधिसूचित कीमत पर धुले हुए कोयले की आपूर्ति के लिए बीओओ योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सम्बद्ध किए बिना कुछ नान-कोकिंग कोयला वाशरियों की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करने की प्रक्रिया कर रही है।

5. एमसीएल बीओओ योजना के अंतर्गत उड़ीसा में एनटीपीसी की 6.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष की वाशरी के लिए भूमि प्रदान करने की सम्भावना का पता लगा रही है।

निजी क्षेत्र में वाशरी की स्थापना करने के लिए कोयला कम्पनियों की भूमि के आबंटन के लिए क्रियाविधियों को सरल बनाने और इस संबंध में कोयला कम्पनियों से शीघ्र अनुमोदन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश कोयला मंत्रालय द्वारा पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

सुरक्षा

कोल इंडिया लि. द्वारा प्रचालनों में सुरक्षा को प्रधान महत्व दिया जाता है। यह कोल इंडिया लि. के उद्देश्य से ही प्रतीत होता है जहां सीआईएल " सुरक्षा तथा संरक्षण पर उचित ध्यान देते हुए " कोयला खनन संकार्यों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके मद्देनजर कोल इंडिया लि. की एक सुरक्षा नीति बनाई तथा लागू की गई है। सीआईएल ने सुरक्षा नीति तथा अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए प्रत्येक अनुषंगी तथा साथ ही धारक कम्पनी स्तर पर भी एक ढांचाबद्ध आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) बनाया है। इसकी परिणति कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से कोयला खनन गतिविधियों के सुरक्षा परिदृश्य में अत्यधिक सुधार के रूप में हुई है।

अत्यधिक बढ़े हुए उत्पादन के साथ उठाए गए सुरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप 1975 में 233 सांघतिकताओं से 2004 में 70 तक सांघातिकताओं की प्रवृत्ति तथा सांघातिकता दर में

कमी करना संभव हुआ है। वर्ष 1975 की तुलना में वर्ष 2005 (सितम्बर तक) सीआईएल के दुर्घटना आंकड़ों के मध्य तुलना नीचे सारणी में दर्शायी गई है:-

YEAR	FATAL ACCIDENTS		SERIOUS ACCIDENTS		FATALITY RATE		SERIOUS INJURY RATE	
	ACCIDENTS	FATALITIES	ACCIDENTS	INJURIES	PER M.T.	PER 3 LAKH MANSHIFTS	PER M.T	PER 3 LAKH MANSHIFTS
1975	177	233	1456	1515	2.62	0.52	17.03	3.41
2002	62	69	375	397	0.24	0.19	1.37	1.09
2003	56	60	339	354	0.20	0.17	1.18	1.00
2004	66	70	384	396	0.22	0.20	1.23	1.12
2005 (Up to Sept.)	21	22	76	78	0.23	0.25	0.82	0.89

नोट :- डीजीएमएस से समाधान के अधीन

सुरक्षा उपाय

कोल इंडिया सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देता है । सुरक्षित खनन और दुर्घटनाओं में कमी लाना कंपनी के फील्ड प्रबंधकों की एक प्रमुख दिलचस्पी है । सीआईएल ने 2004 में सुरक्षित खनन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

- जल भराव, आग अथवा विस्फोट तथा उसके परिणामों का कार्यान्वयन जैसी मुख्य दुर्घटनाओं के खतरे का आकलन करने के लिए खनन विशेषज्ञों/मैकेनिकल/विद्युत इंजीनियरों द्वारा खानों का सुरक्षा निरीक्षण करने पर जोर देना ।
- सुरक्षा में सुधार के लिए जोखिम आकलन को एक साधन के रूप में जारी रखना
- खानों के निरीक्षणों पर बल दिया गया जिसमें क्षेत्रीय महाप्रबंधकों, ऐजेन्टों/उप-क्षेत्रीय प्रबंधकों/परियोजना अधिकारियों, कोलियरी प्रबंधकों एवं आन्तरिक सुरक्षा संगठन को अधिकारियों जैसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक बैक-शिफ्ट निरीक्षण शामिल है ।
- तीव्र जलभराव के प्रति सावधानी के एक उपाय के रूप में निम्नलिखित उपाय किए गएः-

➢ सतह तथा भूमिगत स्रोत से तीव्र जल-भराव में खतरे का आकलन प्रत्येक खान के लिए किया गया तथा कार्रवाई कार्यक्रम तैयार किया गया और उसे कार्यान्वित किया गया ।

➢ क्षेत्र में सर्वेक्षक दलों द्वारा अथवा बाह्य अभिकरणों द्वारा व्यापक जांच सर्वेक्षण किए गए।

▪ रूफ/साइड फाल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपायों पर जोर दिया गया।

➢ वैज्ञानिक राक-मास-रेटिंग पर आधारित प्रत्येक खनन जिले के लिए सपोर्ट योजनाओं को तैयार करना तथा उनका कार्यान्वयन करना ।

➢ क्विक सेटिंग सीमेंट कैप्सूलों का प्रयोग करके स्टील रूफ बोल्टों/स्टील रोप रूफ स्टिचिंग के प्रयोग पर जोर देना ।

➢ अत्यधिक जलभराव वाली कुछ खानों में रेसिन ग्राउटिंग को लागू किया गया है ।

➢ सपोर्ट कार्मिकों, ड्रेसरों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देना ।

▪ ओपन कास्ट खानों में दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गएः-

➢ प्रक्रिया कोडों तथा ट्रैफिक नियमों का कार्यान्वयन और उनके कार्यान्वयन की मानीटरिंग करना ।

➢ कंपनी के इंजीनियरों द्वारा ठेकेदार के वाहनों/उपकरणों की जांच करना ।

➢ ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए कार्य-स्थल पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

➢ हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी आपरेटरों को आधुनिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण देना ।

➢ स्लोप स्टेबिलिटी अध्ययन आयोजित करना ।

▪ मशीनरीकरण के जरिए कामगारों को जानकारी देकर जोखिम में कमी लाने की दिशा में प्रयास जारी रखना ।

▪ भूमिगत खानों में साइड-डिस्चार्ज लोडरों, लोड-हाल-डम्परों, विद्युत आधारित सपोर्ट लांगवाल प्रौद्योगिकी, सतत खनिक प्रौद्योगिकी द्वारा मैनुअल लोडिंग के स्थान पर मशीनरीकृत लोडिंग करना ।

▪ कामगारों तथा पर्यवेक्षकों को नियमित बेसिक एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया। ठेकेदारों के कामगारों के लिए कार्य स्थल पर ही विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । सपोर्ट मेन, ड्रेसरों एवं पर्यवेक्षकों जैसे विशेष वर्गों के कर्मचारियों के लिए नियमित पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- प्रत्येक कोयला उत्पादक देश के प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में मानकीकृत प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न विषयों पर श्रव्य-दृश्य प्रशिक्षण फिल्में तैयार की गई हैं ।
- निम्नलिखित के माध्यम से आपातकालीन तैयारी करने पर जोर दिया गया है:-
  - आपातकालीन कार्य योजनाएं तैयार करना ।
  - भूमि के नीचे और साथ ही मानचित्रों पर बचाव मार्गों का उल्लेख करना ।
  - अधिकाधिक सुधार के लिए छद्म अभ्यास, विकास बिन्दुओं की मानीटरिंग करना।

श्रमिकों की सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने के लिए श्रमिकों, निरीक्षकों के प्रशिक्षण तथा पुर्नप्रशिक्षण पर बल दिया गया। सीआईएल ने अपने सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में मानकीकृत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वीडियों फिल्म बनाने का एक कार्यक्रम आरंभ किया है और योजना के अनुसार 58 फिल्मों में से 33 को पूरा कर लिया गया है।

कोयला खानों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा

कोयला खानों में सुरक्षा की स्थिति की विभिन्न स्तरों पर लगातार निगरानी की जाती है। खान स्तरीय सुरक्षा समितियों, जहां श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होता है, प्रत्येक खान की सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की जाती है। वर्कमैन निरीक्षक खानों का निरीक्षण करते हैं तथा निरीक्षणों की रिपोर्टों पर सख्ती से कार्रवाई की जाती है। प्रबंधन तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों की द्विपक्षीय समिति प्रत्येक क्षेत्र की सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करती है। अनुषंगी कंपनी मुख्यालय स्तर पर त्रिपक्षीय समिति जिसमें खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, कंपनी के सुरक्षा कार्यनिष्पादन की समीक्षा करती है तथा सुरक्षा मानदण्डों में और सुधार के लिए उपाय सुझाती है। कोल इंडिया सुरक्षा बोर्ड जिसमें कोयला कम्पनियों, श्रमिकों, डीजीएमएस तथा कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, वर्ष में 2 बार समीक्षा तथा सुरक्षा कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार-विमर्श करती है। घातक दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए सीआईएल के सुरक्षा बोर्ड की 39वीं बैठक 12 जून, 2004 को कोलकाता में हुई। कोयला खानों में सुरक्षा की स्थिति की वर्ष में दो बार प्रभारी माननीय कोयला मंत्री जी की अध्यक्षता वाली कोयला खानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। इसकी अंतिम बैठक कोयला और खान राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 13.9.2005 को हुई थी।

खान बचाव सेवाएं

कोल इंडिया लि. की विभिन्न अनुषंगियों में 6 मुख्य बचाव स्टेशन (आरएस) पुनश्चर्या प्रशिक्षण सुविधाओं सहित 18 आरआरआरटीएस बचाव कक्ष पुनश्चर्या प्रशिक्षण सुविधाओं सहित स्थापित किए गए हैं और ये प्रचालनशील हैं।

पुनश्चर्या प्रशिक्षण सुविधाओं (आरआरटी) वाले बचाव स्थलों (आरएस), बचाव कक्षों में आधुनिक उपकरण, उपलब्ध कराए गए हैं। 1080 सैल्फ कन्टेन्ड ब्रीदिंग उपकरण (एससीबीए), 180 रिवाइविंग उपकरण तथा 102 लघु अवधि ब्रीदिंग उपकरण (एसडीबीए) लगाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, कुछ रासायनिक किस्म के आक्सीजन सैल्फ रैस्क्यूअर भी उपलब्ध कराए गए हैं तथा विभिन्न बचाव स्थलों पर रखे गए हैं।

बचाव सेवाओं में योग्य व्यक्तियों को कार्य करने हेतु आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन शुरू किए गए हैं। फील्ड स्वयंसेवकों की कमी को न्यूनाधिक रूप से पूरा कर लिया गया है।

इनफ्रा-रेड इमेजर, पेजिंग सिस्टम आदि जैसे नए टैक्नोलॉजी उपकरण लगाए गए हैं। भूमि के नीचे बचाव/बरामदगी कार्मिकों के बचाव में बचाव दलों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बेतार रेडियो संचार प्रणाली के विकास के लिए प्रशिक्षण जारी हैं।

भूमि के नीचे फंसे खनिकों के बचाव/बरामदगी के लिए एक बड़ी डायमीटर ड्रिल मशीन विदेश से मंगाई गई है तथा सपोर्टिंग उपकरण घरेलू स्रोतों से मंगाए जा रहे हैं। मशीन को ईसीएल के सीतारामपुर बचाव स्थल पर तैयार स्थिति में रखा गया है।

अध्याय-3

उत्पादन, वितरण और कोयला बिक्री बकाया

कोयला उत्पादन

पिछले 5 वर्षों का लक्ष्य तथा कोयला उत्पादन अनुबंध-I (मेघालय के आंकड़े को मिलाकर) में दिया गया है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान कोकिंग तथा नान कोकिंग कोयले का उत्पादन नीचे दिए अनुसार है

(मिलियन टन)

वर्ष	कोकिंग	नान कोकिंग	जोड़
1999-2000	33.25	266.72	299.97
2000-2001	30.90	278.73	309.63
2001-2002	28.67	293.97	322.64
2002-2003	30.49	306.30	336.87
2003-2004	29.40	326.32	355.72
2004-2005	30.22	352.40	382.62

(मेघालय के आंकड़े को छोड़कर)

कोयला कम्पनियों में कोयला भंडारों का ब्यौरा

पिछले 5 वर्षों में कोयला कम्पनियों में उपलब्ध विक्रेय कोयला भंडार नीचे तालिका में दर्शाये गये है :

(मिलियन टन)

Company	31.3.00	31.03.01	31.3.02	31.3.03	31.3.04	31.3.05*
ECL	3.06	2.32	2.55	2.33	2.90	2.968
BCCL	3.28	2.22	2.35	4.14	2.92	2.790
CCL	4.35	3.18	3.77	3.89	4.66	6.133
NCL	1.44	0.77	0.56	1.22	1.77	1.606
WCL	2.32	2.19	1.11	0.77	1.09	2.187
SECL	7.09	6.66	5.67	3.91	3.99	3.739
MCL	5.49	2.93	1.68	2.52	3.14	3.012
NEC	0.58	0.46	0.48	0.47	0.33	0.388
CIL Total	27.61	20.73	18.17	19.25	20.78	22.823
SCCL	1.21	0.95	0.58	0.28	0.27	0.733
Captive Colliery	0.20	0.16	0.13	0.17	0.23	0.22
Grand Total	29.02	21.84	18.88	19.70	23.28	23.578

* अनन्तिम

उपर्युक्त तालिका में विभिन्न कोयला कम्पनियों के विक्रेय कोयला भंडारों को दर्शाया गया है न कि अन्तिम बुक स्टॉक को। अन्तिम स्टॉक विक्रेय स्टॉक से भिन्न है। जबकि विक्रेय स्टॉक ऐसे स्टॉक हैं जिन्हें बेचा जा सकता है, अन्तिम स्टॉक मूलतः बुक स्टॉक होते हैं।

सीआईएल द्वारा कोयले की ई-विपणन

ई-विपणन प्रस्ताव मुख्यतः प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में लिंकेज तथा स्पांसरशिप की भिन्नता के आधार पर नान-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति की प्रणाली को रद्द करते हुए यह निदेश दिया गया था कि ऐसे उपभोक्ताओं को कोयले की बिक्री खुली बिक्री स्कीम के माध्यम से की जानी चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के विरूद्ध सीआईएल द्वारा दायर एसएलपी के पश्चात, सीआईएल ने सर्वोच्च न्यायालय को यह वचन दिया था कि एक पारदर्शी विपणन नीति तैयार की जाएगी। ई-विपणन का प्रयोग इस दिशा में एक प्रयास है। इस पहल के द्वारा यह भी परिकल्पना की गई है कि कोयले की कालाबाजारी, जिसकी शिकायतें बार-बार मिलती हैं, रूक जाएगी और बेईमान व्यापारियों और बोगस उद्योगों द्वारा वर्तमान में जो लाभ इकट्ठा किया जा रहा है, वह इनकी बजाय कोयला कम्पनियों को प्राप्त होगा जिससे उनकी लाभप्रदता और व्यवहार्यता में वृद्धि होगी। इसके अलावा, जिन असली गैर-लिंक्ड उपभोक्ताओं के पास कोयला-आपूर्ति के सरकारी स्रोत नहीं हैं और जिन्हें काला बाजार में जाना पड़ता है, अब उन्हें कोयला आपूर्ति का सरकारी माध्यम मिल जाएगा।

आरम्भ में, परीक्षण के तौर पर दो ई-विपणन भारत कोकिंग कोल लि. में नवम्बर, 2004 से मार्च, 2005 के बीच की गयी थीं और दो परीक्षण ई-नीलामियां नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में भी मार्च, 2005 में की गई थीं। ये ई-विपणन मेटल स्क्रैप एवं ट्रेडिंग कारपोरेशन (एमएसटीसी) और मेटल जंक्शन द्वारा आयोजित की गयी थीं और आईआईएम कलकत्ता को इन विपणनों के परिणाम का साथ-साथ मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था।

सरकार ने अब 2005-06 के दौरान परीक्षण के आधार पर ई-विपणन के माध्यम से कोल इंडिया लि. द्वारा 10 मि. टन कोयले की बिक्री करने का अनुमोदन दे दिया है, इस योजना की वर्ष के अन्त में समीक्षा की जाएगी। तदनुसार, सीआईएल ने अपनी सभी 8 सहायक कम्पनियों में ई-विपणन को तेजी से शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया से प्राप्त अनुभव के आधार पर एक कोयला विक्रय नीति न्यायालय के निर्देशानुसार तैयार की जा रही है।

तदनुसार सरकार ने ई-विपणन हेतु अन्य 10 मिलियन टन कोयले का अनुमोदन दिया है।

अप्रैल–नवम्बर, 2005 के दौरान हुई ई-विपणन के संचयी परिणामों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

बोली लगाने वालों की संख्या	17403
सफल बोली लगाने वालों की संख्या	10525
पेशकश की गयी कुल मात्रा	11.967 मि.ट.
आबंटित की गयी कुल मात्रा	10.212 मि.ट.
कुल आबंटित मात्रा का अधिसूचित मूल्य	1042.600 करोड़ रू.
कुल आबंटित मात्रा का बोली मूल्य	1607.966 करोड़
अधिसूचित मूल्य में प्रतिशत वृद्धि	54.2%
न्यूनतम मूल्य में प्रतिशत वृद्धि	27.9%

उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष निकाय मैसर्स नेशनल को-आपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया (एनसीसीएफ), जो एसएसआई तथा लघु यूनिटों को कोयले का वितरण कर रहा है, को सीआईएल की सहायक कम्पनियों द्वारा भारित औसत ई-विपणन मूल्य के बजाय न्यूनतम मूल्य (अर्थात एक विशेष ग्रेड के अधिसूचित मूल्य से 20% अधिक) पर कोयले की आपूर्ति की जाएगी। राज्य सरकारों को भी, अपने संबंधित उपभोक्ताओं को कोयला एनसीसीएफ के लागू मूल्य पर वितरित करने के लिए प्रतिवर्ष 3 मि.ट. कोयला आबंटित किया गया है।

<u>10वीं (2006-07) तथा 11वीं योजना (2011-12) में कोयला क्षेत्र की मांग-आपूर्ति का परिदृश्य</u>

यद्यपि हाल में स्वदेशी कोयला उत्पादन की विशेष रूप से सीआईएल की सहायक कम्पनियों में 5.40% की वृद्धि दर्ज की गई है, मांग और स्वदेशी आपूर्ति के बीच अंतर कम होता प्रतीत नहीं होता और आने वाले वर्षों में इसका और बढ़ने का अनुमान है। योजना आयोग की संशोधित मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) के अनुसार 10वीं योजना (2006-07) के अंतिम वर्ष के दौरान तथा 11वीं योजना के अंतिम वर्ष के लिए कोयले की मांग क्रमशः 473.18 मिलियन टन तथा 620 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया है। उसी अवधि के दौरान कोयले की आपूर्ति क्रमशः 431.50 मिलियन टन तथा 525 मिलियन टन होने की संभावना है। 10वीं योजना (2006-07) के अंत तक अनुमानित अंतर 41.68 मिलियन टन होगा और यह 11वीं योजना के अंतिम वर्ष में बढ़कर 95 मिलियन टन के स्तर तक पहुंच जाएगा।

कोयले का आयात

सरकार कोयले का आयात सीधे नहीं करती है। वर्तमान आयात नीति के अनुसार उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार और वाणिज्यिक सूझबूझ का उपयोग करते हुए, स्वयं ही स्वतन्त्र रूप से (खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत) कोयले का आयात कर सकते हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) तथा दूसरे इस्पात क्षेत्र के विनिर्माताओं द्वारा भी कोकिंग कोयले का आयात किया जा रहा है। यह मुख्यतः मांग तथा घरेलू उपलब्धता के मध्य अंतर को दूर करने तथा तकनीकी कारणों से समग्र सम्मिश्रण की क्वालिटी को सुधारने के लिए किया जाता है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र, सीमेन्ट संयंत्र, ग्रहीत बिजली संयंत्र, स्पंज आयरन संयंत्र, औद्योगिक उपभोक्ता तथा कोयला व्यापारी ट्रांसपोर्ट लाजिस्टिक तथा वाणिज्यिक सूझ-बूझ तथा निर्यात हकदारी के बदले नॉन-कोकिंग कोयले का आयात कर रहे हैं। कोक का आयात मुख्यतः कच्चा-कोयला विनिर्माताओं तथा मिनी-ब्लास्ट फरनेस का उपयोग करने वाले लोहा तथा इस्पात क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है।

पिछले चार वर्षों के दौरान कोयला तथा कोयला उत्पादों के आयात (कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार) निम्नवत हैः-

(मि. टन में)

Coal	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
Coking Coal	11.11	12.95	12.99	14.57
Non-Coking Coal	9.44	10.31	8.70	11.56
Coke	2.28	2.25	1.90	2.51
Total Import	22.83	25.51	23.59	28.64

कोयला के आयात के कारण

भारतीय कोयला अपने भूगर्भीय स्वरूप में ही बाह्य पदार्थों के साथ मिश्रित होने के कारण पारम्परिक तौर पर उच्च राख तत्व वाला और निम्न कलौरीफिक मूल्य वाला होता है। कोयले के साथ बाह्य पदार्थ के अत्यन्त चिपके होने के कारण इसे हटाना कठिन है। इसलिए गुणवत्ता पर विचार करते हुए कुछ उपभोक्ता कोयला का आयात कर रहे है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों से कोयले का आयात, खासतौर से नान कोकिंग कोयले का आयात, लागत पर विचार करते हुए सीमेंट संयंत्रों जैसे उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है।

आयात शुल्क/आयात की मात्रा

Year	Coking			Non-coking		Total
	Import duty		Quantity (in million tonnes)	Import duty	Quantity (in million tonnes)	Quantity (in million tonnes)
	Less than 12% ash	More than 12% ash				
1992-93	5%	85%	6.32	85%	0.42	6.74
1993-94	5%	85%	6.82	85%	0.57	7.39
1994-95	5%	35%	10.15	35%	1.24	11.39
1995-96	5%	35%	9.37	35%	3.14	12.51
1996-97	5%	22%	10.62	22%	2.56	13.18
1997-98	5%	15%	11.74	15%	4.70	16.44
1998-99	9.2%	19.6%	10.02	19.6%	6.51	16.53
1999-00	9.72%	21.16%	10.99	21.16%	8.71	19.70
2000-01	9.72%	21.16%	11.06	32.6%	9.87	20.93
2001-02	9.2%	19.6%	11.11	30%	9.44	20.55
2002-03	9.2%	19.6%	12.95	30%	10.31	23.26
2003-04	0%	15.0%	12.0	5.0%	9.50	21.50
2004-05	0%	5%	14.83	5%	10.47	25.31

एसईबी से कोल इंडिया लिमिटेड को बकाया देय राशि

31.10.05 की स्थिति के अनुसार सभी क्षेत्रों से सीआईएल को कुल बकाया देय राशि 3226.65 करोड़ रू. है। इसमें से 1300.39 करोड़ रू. विवादित हैं, जबकि 1926.26 करोड़ रू. गैर-विवादित देय राशि है। विद्युत क्षेत्र से वसूल की जाने वाली कुल देय राशि 2844.43 करोड़ रू. है। विद्युत क्षेत्र से विवादित राशि 895.39 करोड़ रू. है, जबकि 1949.04 करोड़ रू. की शेष राशि गैर-विवादित है। क्षेत्र-वार तथा कम्पनी-वार देय राशि का ब्यौरा (अनुबंध-II) में दिया गया है।

इतनी बड़ी बकाया देय राशि कोयला कम्पनियों के आन्तरिक संसाधनों के सृजन को प्रभावित कर रही है, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में रूकावट पैदा कर रही है और उन कम्पनियों को खुले बाजार से पैसे उधार लेने पर मजबूर कर रही है। कोयला कम्पनियों पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्हें अधिक बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।

बकाया राशि की वसूली के लिए उठाए गए कदम

राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया देय राशि की वसूली के लिए सरकार/कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

i) कोल इंडिया लि.(सीआईएल) को अग्रिम भुगतान अथवा साख पत्र ही विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति करने की सलाह दी गई है । (नकद दो और ले जाओ)

ii) कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से बकाया राशि के भुगतान के लिए निरंतर आग्रह कर रही है।

iii) कुछ विद्युत उपयोगिताओं के संबंध में विद्युत बिलों के समायोजन के द्वारा भी देय राशि की वसूली की जा रही है ।

iv) कोयला कंपनियों और एस.ई.बी. के बीच विवादित देय राशि को निपटाने के लिए निर्णायक नियुक्त किए गए हैं ।

v) **केंद्रीय योजनागत सहायता से कटौतियां** राज्य सरकारों को दी जाने वाली केंद्रीय योजनागत सहायता से कटौती तंत्र के माध्यम से कोल इंडिया लि. की 31.12.1996 को बकाया देय राशि की कुछ सीमाओं अधीन कटौती करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया है । जनवरी 2002 तक कुल वसूली 946.17 करोड़ रु.(अनुबंध-III) की हुई है ।

विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति

सी.ई.ए. तथा विद्युत मंत्रालय और रेलवे के परामर्श से योजना आयोग द्वारा यथा निर्धारित वार्षिक कार्य योजना लक्ष्यों से अधिक कोयले की आपूर्ति कोल इंडिया लि. द्वारा की जा रही है । कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लि. ने अपने ठोस प्रयासों से यह सुनिश्चित कर दिया है कि कोयले की कमी के कारण कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है । विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति और संचलन का समन्वय तथा प्रबोधन करने के लिए, संयुक्त सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में, सचिव(समन्वय)मंत्रिमण्डल सचिवालय, द्वारा एक उप समूह का गठन किया गया जिसमें विद्युत मंत्रालय, सी.ई.ए., रेल मंत्रालय और कोयला कम्पनियों तथा एमएमटीसी के सदस्य शामिल थे । महत्वपूर्ण विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करने और उनका जानकारी प्राप्त करने के लिए उप समूह ने अब तक 55 बैठकें

की हैं । जहां भी महत्वपूर्ण विद्युत गृहों को कोयले की लदान और उतराई में अड़चनें हुई थी। समुचित निदेशों और अनुदेशों के माध्यम से उप समूह ने हस्तक्षेप किया।

13.12.2005 की स्थिति के अनुसार विद्युत संयंत्रों पर कोयला स्टाक 14.03 मि.ट. था जो 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार 10.43 मि.ट. से लगभग 3.6 मिलियन टन अधिक है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में 8.12 मि.ट. कोयला स्टाक की तुलना में कोयल स्टाक कुछ बेहतर था। उप-समूह ने यह भी नोट किया कि गंभीर और अति गंभीर संयंत्रों की संख्या भी 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 19 और 7 की तुलना में घटकर क्रमशः 8 और 2 रह गई है। 13.12.2004 को, यह क्रमशः 23 और 11 थी। तथापि, विशेष प्रयासों से, गंभीर और अत्यन्त गंभीर विद्युत गृहों की संख्या घटकर शून्य हो गई है। 1998 के बाद से यह पहली बार हुआ है कि विद्युत गृहों के पास अब पर्याप्त कोयला स्टाक है।

कोयला संवितरण नीति पर एक टिप्पणी

कोयले की आपूर्ति कोर तथा नान-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को की जाती है। कोर क्षेत्र में गृहीत विद्युत संयंत्र (सीपीपी), इस्पात, सीमेंट, रक्षा, उर्वरक और रेलवे सहित विद्युत शामिल है। कागज और एल्यूमीनियम को बाद में जोड़ा गया है। विद्युत और सीमेंट क्षेत्रों को कोयला मंत्रालय में प्रचालनशील स्थायी लिंकेज समिति (एसएलसी) के माध्यम से विद्युत और सीमेंट क्षेत्रों को कोयला आबंटित किया जाता है।

लिंकेज समिति

कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयला लिंकेज का निर्धारण करने के लिए दो प्रकार की लिंकेज समितियां कार्य करती है-

(i) स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि)
(ii) स्थायी लिंकेज समिति (लघु अवधि)

स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि)

एसएलसी (दीर्घावधि) योजना स्तर पर विद्युत, सीमेंट और स्पांज आयरन उपभोक्ताओं की कोयले की आवश्यकता पर विचार करता है और उपभोक्ता संयंत्रों की स्थिति, अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा, समयावधि, कोयला खानों की विकास योजना, परिवहन तंत्र आदि जैसे कारकों की जांच करने के बाद एक युक्तिपरक स्रोत से दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता को

जोड़ती है। विद्युत, सीमेंट और स्पांज आयरन हेतु ये समितियां कोयला मंत्रालय में कार्य करती हैं।

दीर्घावधि लिंकेज समिति की अध्यक्षता अपर सचिव, कोयला मंत्रालय करते हैं और इसमें विद्युत संयंत्रों के लिए दीर्घावधि कोयला लिंकेजों का निर्णय करने के लिए विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, भूतल परिवहन मंत्रालय, योजना आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोल इंडिया लि., सीएमपीडीआईएल और एससीसीएल के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसी प्रकार, सीमेंट संयंत्रों के लिए दीर्घावधि कोयला लिंकेज का निर्णय करने के लिए, समिति की अध्यक्षता अपर सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा की जाती है तथा रेल मंत्रालय, भूतल परिवहन मंत्रालय, योजना आयोग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, कोल इंडिया लि., सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लि. के प्रतिनिधि कोयला उत्पादक कम्पनियों और एससीसीएल के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। इसी तरह, स्पांज आयरन यूनिटों के लिए लिंकेजों का निर्णय किए जाने हेतु, दीर्घावधि समिति की अध्यक्षता अपर सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय करते हैं और योजना आयोग, रेल मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा सीआईएल के अध्यक्ष तथा एससीसीएल और कोयला उत्पादक कम्पनियों के सीएमडी शामिल होते हैं।

विद्युत और सीमेंट के लिए स्थायी लिंकेज समिति (अल्पावधि)

कोयला मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता में कार्यरत एसएलसी में रेलवे, विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सीआईएल, एससीसीएल, कोयला कम्पनियों, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, सीमेंट निर्माता संघ आदि के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। दीर्घावधि कोयला लिंकेज धारी विद्युत और सीमेंट क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की कोयला ढुलाई योजना का निर्णय करने के लिए तिमाही आधार पर एसएलसी (अल्पावधि) बैठकें आयोजित की जाती हैं। एसएलसी योजनाबद्ध लिंकेजों और कोयला ढुलाई के मध्यावधि सुधारों पर भी विचार करती है। यद्यपि, सभी ग्रेडों के कोयले के मूल्य और संवितरण को 1.1.2000 से विनियमित कर दिया गया है, एसएलसी अभी भी एक प्रशासकीय तंत्र के रूप में काम करती है और कोयला उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा परिवहन-संचालकों को एक सामान्य मंच प्रदान करती है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर तापीय विद्युत गृहों को स्थायी लिंकेज समिति द्वारा तिमाही आधार पर कोयले के लिंकेज स्वीकृत किए जाते हैं। सीईए की सिफारिश विद्युत उत्पादन कार्यक्रम, अलग-अलग विद्युत गृहों के पास मूल स्टाक आदि पर आधारित होती है। लिंकेजों का निर्णय करने वाले कारक विद्युत उत्पादन कार्यक्रम,

कोयले की उपलब्धता और रेलवे की ढुलाई क्षमता तथा अन्य पद्धतियों द्वारा ढुलाई की व्यवहार्यता आदि है।

नान-कोर क्षेत्र की कोयला आपूर्तियां :

वैध नान-कोर लिंक्ड उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति विगत लिंकेजों और प्रायोजन तथा अधिकतम अनुमेय कोटे के आधार पर की जाती है।

ईंधन आपूर्ति करार

कोयला कम्पनियों द्वारा की गई अधिकतर कोयला आपूर्तियां सक्षम प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लिंकेजों पर आधारित होती हैं। उपभोक्ता लिंक्ड कोयला कम्पनी से अपना कोयला लिंकेजों के आधार पर प्राप्त करते हैं। तथापि, कई मामलों में यह देखा गया है कि उपभोक्ता लिंक्ड मात्रा नहीं उठा रहे थे और परिणामस्वरूप लिंकेज केवल कागजी लिंकेज ही रह गए थे। लिंक्ड मात्रा को उठाने के लिए लिंक्ड उपभोक्ताओं अथवा कोयले के आपूर्तिकर्ताओं पर कोई कानूनी बाध्यता अथवा दायित्व नहीं था। परिणामतः, कुल लिंक्ड मात्रा तथा अनेक उपभोक्ताओं के लिए वास्तविक उठान के बीच विषमता थी। इस समस्या से निपटने के लिए, कोयला कम्पनियां उपभोक्ताओं के साथ दृढ़ प्रतिबद्ध एफएसए पर हस्ताक्षर करने के लिए जोर दे रही हैं। यद्यपि विगत कई वर्षों में प्रयास किए गए हैं, लेकिन पर्याप्त प्रगति पिछले कुछ सालों में ही हुई है।

स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी), राज्य विद्युत बोर्डों तथा अन्यों के लिए पृथक एफएसए को अंतिम रूप दिया गया है तथा सीआईएल/कोयला कम्पनियां सभी उपभोक्ताओं के साथ एफएसए को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है। एफएसए पूरा किए जाने की अंतिम तिथि को पहले ही 31.12.2005 तक बढ़ाया जा चुका है।

Annexure-I

पिछले 5 वर्षों के दौरान कम्पनी वार कोयला उत्पादन

(In million tonnes)

Company	2000-2001		2001-2002		2002-03	
	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual
ECL	28.00	28.03	20.50	28.55	29.00	27.18
BCCL	29.50	25.97	30.00	25.25	28.00	24.15
CCL	34.00	31.75	36.00	33.81	34.25	36.98
NCL	39.00	41.40	41.50	42.46	44.00	45.10
WCL	33.00	35.20	35.00	37.01	37.00	37.82
SECL	60.00	60.33	63.00	64.12	65.25	66.60
MCL	43.00	44.80	44.50	47.81	48.00	52.23
NEC	0.50	0.66	0.50	0.64	0.50	0.63
Total CIL	267.00	268.14	279.00	279.65	286.00	290.69
SCCL	31.67	30.27	32.38	30.81	32.50	33.24
Captive Collieries	9.40	11.22	11.35	12.18	13.10	12.94
Grand Total	308.07	309.63	322.73	322.64	331.60	336.87

Company	**2003-04**		**2004-05**		**2005-06 (April-November, 2005)**	
	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual
ECL	29.00	28.00	27.30	27.25	16.82	17.46
BCCL	27.50	22.70	22.40	22.31	15.63	13.45
CCL	35.50	37.33	37.40	37.39	24.27	22.66
NCL	46.50	47.03	49.68	49.95	31.92	32.04
WCL	37.25	39.53	41.00	41.41	25.99	26.56
SECL	69.00	71.01	78.40	78.58	51.94	52.18
MCL	53.10	60.05	66.40	66.08	45.60	44.07
NEC	0.65	0.73	0.60	0.63	0.45	0.49
Total CIL	**298.50**	**306.38**	**323.18**	**323.58**	**212.62**	**208.91**
SCCL	**33.50**	**33.85**	**35.00**	**35.30**	**22.54**	**20.93**
Captive Collieries	13.05	15.49	22.91	23.74	17.58	16.17
Grand Total	**345.05**	**355.72**	**381.09**	**382.62**	**252.74**	**246.01**

इसमें मेघालय कोयला शामिल नहीं है

31.11.2005 (अप्रैल-नवम्बर, 2005) की स्थिति के अनुसार सीआईएल, एससीसीएल तथा अन्य द्वारा उत्पादित कोयला 246.01 मि.ट. है। अप्रैल-नवम्बर, 2005 के दौरान सीआईएल तथा एससीसीएल द्वारा विद्युत क्षेत्र को प्रेषण पिछले वर्ष की इसी अवधि हेतु 176.64 मिलियन टन की तुलना में 181.83 मिलियन टन था, जो 3% की वृद्धि को दर्शाता है।

अनुबंध-II

कोयला कम्पनी वार बकाया देय राशि

	As on 1.4.1999			As on 1.4.2000			As on 1.4.2001		
Company	*Disputed*	*Un-disputed*	*Total*	*Disputed*	*Un-disputed*	*Total*	*Disputed*	*Un-disputed*	*Total*
ECL	380.00	269.97	649.97	329.31	659.01	988.32	287.75	959.21	1246.96
CCL	649.51	622.79	1272.30	622.13	495.04	1117.17	519.39	695.15	1214.54
WCL	315.87	310.37	626.24	449.04	346.13	795.17	251.58	515.42	767.00
SECL	235.64	979.06	1214.70	185.09	1231.72	1416.81	144.74	1586.46	1731.20
MCL	289.98	241.19	531.17	408.61	212.63	621.24	363.21	387.48	750.69
BCCL	717.94	451.87	1169.81	456.95	438.46	895.41	386.54	502.97	889.51
NCL	20.95	254.17	275.12	16.40	211.48	227.88	10.63	168.54	179.17
DCC	6.57	29.94	36.51	2.01	32.04	34.05	0.39	32.60	32.99
NEC	5.57	18.06	23.63	2.53	1.91	4.44	2.53	30.71	33.24
Total (CIL)	2622.03	3177.42	5799.45	2472.07	3628.42	6100.49	1966.76	4878.54	6845.30
	As on 1.4.2002			**As on 1.4.2003**			**As on 1.4.2004**		
Company	*Disputed*	*Un-disputed*	*Total*	*Disputed*	*Un-disputed*	*Total*	*Disputed*	*Un-disputed*	*Total*
ECL	276.83	1059.74	1336.57	254.73	896.86	1151.59	301.82	536.31	838.13
CCL	538.46	644.63	1183.09	549.10	692.04	1241.14	315.12	582.67	897.79
WCL	385.21	482.82	868.03	398.20	417.16	815.36	433.22	235.03	668.25
SECL	342.75	395.10	737.85	256.27	617.80	874.07	270.44	548.02	818.46
MCL	292.22	1208.54	1500.76	284.52	1121.60	1406.12	164.68	255.79	420.47
BCCL	365.55	341.65	707.20	369.68	229.39	599.07	204.87	52.34	257.21
NCL	7.05	144.85	151.90	7.97	136.56	144.53	12.18	145.44	157.62
DCC	-	23.10	23.10	0	0	0	0	0.00	0.0
NEC	2.53	26.63	29.16	2.52	-11.02	-8.5	2.52	-19.53	-17.01
Total (CIL)	2210.60	4327.06	6537.66	2122.99	4100.39	6223.38	1704.85	2336.07	4040.92

	As on 1.4.2005			As on 30.11.2005		
Company	***Disputed***	***Un-disputed***	***Total***	***Disputed***	***Un-disputed***	***Total***
ECL	353.55	232.00	585.55	*248.18*	211.53	459.71
CCL	323.99	577.22	901.21	279.77	619.87	899.64
WCL	82.00	546.01	628.01	128.47	406.62	535.09
SECL	162.91	190.39	353.3	138.85	142.08	280.93
MCL	220.06	19.78	239.84	170.65	92.76	263.41
BCCL	440.84	213.09	653.93	296.34	225.98	522.32
NCL	10.94	124.11	135.05	11.50	77.94	89.44
NEC	2.52	-9.62	-7.1	2.52	-16.68	-14.16
Total (CIL)	1596.81	1892.98	3489.79	1276.28	1760.10	3036.38

Annexure-II

बकाया देय राशि

(क्षेत्र वार)

(In rupees Crores)

As on 1.4.99				1.4.2000			As on 1.4.2001		
Sector-wise	*Disputed*	*Un-disputed*	*Total*	*Disputed*	*Un-disputed*	*Total*	**Disputed**	*Un-disputed*	*Total*
Loco	34.72	2.85	37.57	34.89	-0.17	34.72	31.29	2.05	33.34
Power	1919.41	2886.67	4806.08	2020.40	3397.86	5418.26	1513.92	4638.06	6151.98
Steel	611.18	234.19	845.37	363.18	212.43	575.61	373.57	205.06	578.63
Others (Govt.)	35.79	51.06	86.85	38.52	36.87	75.39	39.95	20.73	60.68
Others	20.93	2.65	23.58	15.08	-18.57	-3.49	8.03	12.64	20.67
Total	2622.03	3177.42	5799.45	2472.07	3628.42	6100.49	1966.76	4878.54	6845.30

As on 01.04.2002				1.4.2003			As on 1.4.004		
Sector-wise	*Disputed*	*Un-disputed*	*Total*	*Disputed*	*Un-disputed*	*Total*	**Disputed**	*Un-disputed*	*Total*
Loco	16.63	-2.80	13.83	6.44	-4.11	2.33	5.83	-5.17	0.66
Power	1751.80	4160.35	5912.15	1657.63	4060.45	5718.08	1217.64	2351.85	3569.49
Steel	416.36	145.70	562.06	433.06	92.51	525.57	457.31	34.49	491.8
Others (Govt.)	21.36	41.67	63.03	21.41	43.22	64.63	19.62	20.71	40.33
Others	4.45	-17.86	-13.41	4.45	-91.68	-87.23	4.45	-65.81	-61.36
Total	2210.60	4327.06	6537.66	2122.99	4100.39	6223.38	1704.85	2336.07	4040.92

As on 01.04.2005				As on 30.11.2005		
Sector-wise	*Disputed*	*Un-disputed*	*Total*	*Disputed*	*Un-disputed*	*Total*
Loco	5.86	-7.79	-1.93	5.80	-8.70	-2.9
Power	1114.59	1914.42	3029.01	865.57	1778.19	2644.16
Steel	438.60	38.51	477.11	370.03	57.22	427.25
Others (Govt.)	34.92	10.81	45.73	32.04	33.61	65.65
Others	2.84	-62.97	-60.13	2.84	-100.22	-97.38
Total	1596.81	1892.98	3489.79	1276.28	1760.10	3036.78

Annexure-III

केन्द्रीय विनियोग के माध्यम से सीआईएल की बकाया देय राशि की वसूली

(करोड़ रू. में)

States	Amount released 1997-98	Amount released 1998-99	Amount released 1999-2000	Amount released 2000-01	Amount released during 2001-02 Upto 31.01.2002	Total Amount released
Andhra Pradesh/ APSEB	1.31	1.89	3.80	4.81	5.92	17.73
Bihar/BSEB	1.62	16.14	0.00	0.00	0.00	17.76
Gujarat/GEB	14.51	16.25	17.68	17.76	14.20	80.40
Haryana/HSEB	0.00	3.42	4.70	2.96	2.44	13.52
Karnataka/KPCL	0.97	-0.17	3.10	3.12	2.48	9.50
Madhya Pradesh /MPEB	11.52	7.45	8.63	8.81	7.25	43.66
Maharashtra/ MSEB	51.48	60.32	65.95	65.94	72.22	315.91
Punjab/PSEB	13.85	13.16	15.00	14.85	9.10	65.96
Rajasthan/RSEB	4.97	3.04	0.00	0.00	0.00	8.01
Tamilnadu/TNEB	41.50	22.64	0.00	0.00	0.00	64.14
Uttar Pradesh/ UPRVUNL	39.49	31.78	35.76	37.58	31.72	176.33
West Bengal/ WBSEB	23.95	17.74	0.00	0.00	0.00	41.69
Chattisgarh	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	2.44
Uttaranchal	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	3.88
Total	205.17	193.66	154.62	155.83	151.65	860.93
NTPC	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15.47
DVC	9.23	15.57	18.74	26.23	0.00	69.77
GR.TOTAL	229.87	209.23	173.36	182.06	151.65	946.17

अध्याय - 4

कोयला क्षेत्र की परियोजनाओं का कार्यान्वयन

कोयला परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं प्रबोधन

कोल इंडिया लि. के बोर्ड द्वारा 29.12.1997 को अनुमोदित शक्ति के वर्तमान प्रत्यायोजन के अनुसार, 100 करोड़ रू. तक की लागत वाली कोयला परियोजनाओं को कोल इंडिया लि. के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है और 50 करोड़ रू. तकनीकी लागत वाली कोयला परियोजनाओं को नार्दर्न कोलफील्ड्स लि., वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि. और महानदी कोलफील्ड्स लि. के निदेशक मंडल द्वारा इस शर्त पर स्वीकृत किया जा सकता है कि उस परियोजना को अनुमोदित पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए और अपेक्षित निधि के लिए उपलब्ध कराए गए परिव्यय को कम्पनी के आन्तरिक स्रोतों से लिया जा सकता हो तथा सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत बजट में शामिल की गई योजनाओं पर व्यय किया जाए। तथापि, ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल और सीएमपीडीआईएल के निदेशक मंडल 20 करोड़ रू. तक की कोयला परियोजनाओं को स्वीकृत कर सकते हैं। एससीसीएल निदेशक मंडल 50 करोड़ रू. तक की कोयला परियोजनाओं को स्वीकृत कर सकता है।

100 करोड़ रू. से अधिक की लागत वाली परियोजनाएं सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक 11 अगस्त, 2005 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में, विद्युत तथा कोयला परियोजनाओं के संबंध में योजना आयोग का सिद्धान्ततः अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है। यदि परियोजना को व्यवहार्य पाया जाता है तो परियोजना के पूंजीगत निवेश पर निर्भर करते हुए व्यय वित्त समिति/सार्वजनिक निवेश बोर्ड के विचारार्थ इसकी सिफारिश की जाती है। परियोजना प्रस्ताव को ईएफसी/पीआईबी को प्रस्तुत किए जाने से पहले पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी अनिवार्य है। ईएफसी/पीआईबी से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इसे अनुमोदनार्थ आर्थिक मामले से सम्बद्ध मंत्रीमंडल को भेजा जाता है। कोयला परियोजनाओं के संशोधित लागत अनुमानों के प्रस्तावों पर भी सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है।

कोयला परियोजना का कोयला कम्पनियों में कोलियरी स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर प्रबोधन किया जाता है। जहां भी आवश्यक पाया जाता है निवारक कार्रवाईयां की जाती हैं। 20 करोड़ रू. और उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की तिमाही परियोजना प्रबोधन रिपोर्टें कोयला कम्पनियों द्वारा इस मंत्रालय को तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजी जाती हैं। कोयला मंत्रालय में 100 करोड़ रू. से अधिक की लागत वाली प्रमुख कोयला परियोजनाओं का प्रबोधन तिमाही आधार पर सचिव (कोयला) के स्तर पर किया जाता है। इस बैठक में योजना आयोग, व्यय विभाग, सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और पर्यावरण और वन मंत्रालय के सदस्य भी भाग लेते हैं। ऐसी बैठकें, कोयला कम्पनियों के क्षेत्राधिकार और कमान के भीतर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उनके द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं का संकेत देते हुए, कोयला कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आदानों के आधार पर की जाती हैं। समीक्षा बैठकों में लिए गए निर्णय के आधार पर कोयला मंत्रालय और संबंधित कोयला कम्पनियों द्वारा समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा जब भी कोयला कम्पनियां कोयला परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले किसी लम्बित मुद्दों के समाधान के लिए सरकारी सहायता प्रदान किए जाने हेतु मंत्रालय को अप्रोच करती हैं तो मामले को समुचित स्तर पर संबंधित अधिकारों के साथ मंत्रालय द्वारा उठाया जाता है।

कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के संक्षिप्त ब्यौरे

दिनांक 31.12.2004 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. की कुल 450 खनन परियोजनाओं, जिनकी प्रत्येक की लागत 2 करोड़ रू. तथा इससे अधिक की है, में से 332 परियोजनाएं (जिनमें कोयला भडार समाप्त हुई परियोजनाएं भी शामिल है) पूरी कर ली गई हैं। शेष 118 परियोजनाओं, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है, में से 81 कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं तथा 37 विलंब से चल रही हैं। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) में कुल 90 खनन परियोजनाओं में से 46 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। शेष 44 परियोजनाओं में से 40 कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं तथा 4 विलंब से चल रही हैं। कम्पनी-वार स्थिति निम्नलिखित है :

कम्पनी	कुल परियोजनाओं की सं.	पूरी की गई परियोजनाओ की सं.	चालू परियोजनाएं		
			जोड़	समयानुसार	विलंब से
ई.सी.एल.	61	45	16	12	4
बी.सी.सी.एल.	70	62	8	5	3
सी.सी.एल.	63	46	17	2	15
एन.सी.एल.	19	12	7	6	1
डब्ल्यूसीएल	102	84	18	18	0
एस.ई.सी.एल.	104	64	40	27	13
एमसीएल	31	19	12	11	1
सी.आई.एल.	**450**	**332**	**118**	**81**	**37**
एस.सी.सी.एल	**90**	**46**	**44**	**40**	**4**

दिनांक 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रू. और उससे अधिक की लागत वाली कोयला क्षेत्र में 102 (सीआईएल-70 तथा एससीसीएल -32) चालू परियोजनाएं हैं जिनमें से 16 (सीआईएल-11 और एससीसीएल-5) परियोजनाएं विलंब से चल रही है।

Company	**Category**	**Status**	**No. of projects**	**Total capacity Mty**
CIL	Project costing Rs.100 crores and above	On schedule	7	46.90
		Delayed	1	0.68
			1	2.00
		Sub Total Delayec	2	2.68
	Sub Total		**9**	**49.58**
	Project costing Rs.20 crores to 100 crores	**On schedule**	**43**	**54.78**
		Delayed	2	1.16
			1	0.30
			2	1.07
			1	0.47
			1	0.44
			1	0.90
			1	0.50

		Sub total delayed	9	4.84
	Sub total		**52**	**59.62**
TOTAL CIL			**70**	**109.20**

Company	**Category**	**Status**	**No. of projects**	**Total capacity Mty**
SCCL	Project costing Rs.100 crores and above		NIL	
	Project costing Rs.20 crores to 100 crores	**On schedule**	**27**	**17.31**
		Delayed	1	0.29
			1	0.31
			1	0.61
			2	1.32
		Sub total delayed	5	2.53
TOTAL SCCL			**32**	**19.84**

कोयला मंत्रालय ने पिछले एक वर्ष में निम्नलिखित कोयला और लिग्नाइट परियोजनाओं को अनुमोदित किया है जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए है।

Sl No.	**Name of the Project**	**Capacity**	**Sanction cost (Rs. Crores)**	**Dt. of Sanction**
1	Dipka Expn. OC, South Eastern Coalfields Limited	20.00 Mty	856.59	07/2005
2	Gevra Expn. OC, Mahanadi Coalfields Limited.	20.00 Mty	1339.69	07/2005
3	Bhubaneswari. Opencast , Mahanadi Coalfields Limited	10.00 Mty	336.68	01/2005
4	Kaniha Opencast, Mahanadi Coalfields Limited	3.50 Mty	96.18	01/2005
5	Kulda Opencast, Mahanadi Coalfields Limited	10.00 Mty	302.96	01/2005
6	Rajasthan Lignite Project,Neyveli Lignite Corporation	2.10Mty	254.07	12/2004

7	Rajasthan Power Project,Neyveli Lignite Corporation	2X125MW	1114.18	12/2004
8	Mine-II Expansion, Neyveli Lignite Corporation	4.50Mty	2161.28	10/2004
9	TPS-II Expansion,Neyveli Lignite Corporation	2X250MW	2030.78	10/2004

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-

1. भूमि अधिग्रहण में विलंब तथा पुनर्वास की संबद्ध समस्याएं,
2. उपकरणों की आपूर्ति तथा टर्न-की निष्पादन में विलंब,
3. विपरीत भू-खनन परिस्थितियों के कारण विलंब, और
4. निधियों की कमी तथा अन्य विविध कारण।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के लिए उठाए गए कदम -

क) भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास

1. अधिग्रहण कार्यवाही को शीघ्र निपटाने के लिए राज्य सरकारों के भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के साथ जोर-शोर से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।
2. राज्य प्राधिकारियों अर्थात भूमि राजस्व आयुक्त, भूमि राजस्व सचिव और मुख्य सचिव के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं, ताकि गंभीर समस्याओं का निपटारा किया जा सके।
3. भूमि अधिग्रहण, वनीकरण तथा पर्यावरण संबंधी अनुमोदन की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक मामले में 100.00 करोड़ रू. तथा इससे अधिक की लागत की परियोजनाओं के लिए, 20.00 करोड़ रू. तक की राशि अग्रिम कार्रवाई के रूप में स्वीकृत की जा रही है ताकि सरकार द्वारा परियोजना की स्वीकृति दिए जाने से पूर्व विभिन्न अनुमोदनों के संबंध में अंतर्ग्रस्त प्रक्रिया को आरंभ करने में सहायता मिल सके।

ख) उपकरण आपूर्ति तथा टर्न-की निष्पादन

निम्नलिखित उपायों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के खनन उपकरण निर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना :-

- आपूर्ति के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए कोयला कम्पनियों के कर्मचारियों को उनके कार्य पर तैनात करना।
- निदेशक/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक स्तर पर बारंबार विचार-विमर्श किया जाना।
- सचिव स्तर पर नियमित रूप से पुनरीक्षा बैठकें करना, जिनमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

ग) भू-खनन संबंधी कठिनाइयां

भू-खनन परिस्थितियों के अग्रिम पुर्वानुमान लगाने के लिए आधुनिकतम भू-गर्भीय तथा भू-भौतिकीय अन्वेषण तकनीकें अपनायी गईं।

घ) परियोजना प्रबंधन

1. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संपूर्ण उत्तरदायित्व के लिए प्रत्येक कंपनी में निदेशक (परियोजना तथा आयोजना) की तैनाती की गई है।

2. कोयला मंत्रालय द्वारा परियोजना तैयार करने तथा प्रबोधन के लिए विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं।

3. विभिन्न स्तरों पर प्रबोधन प्रणाली का मानकीकरण किया गया है।

## ङ)	पुनर्स्थापना, पुनर्वास समस्या और पर्यावरणीय स्वीकृति की समस्या को दूर करने के लिए समिति का गठन

कोयला मंत्रालय ने, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के साथ भूमि अधिग्रहण और पर्यावणीय तथा वानिकी स्वीकृति की समस्याओं को दूर करने के लिए एक संस्थात्मक तंत्र को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है। वानिकी स्वीकृति, भूमिअधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास आदि की समस्याओं को हल करने के लिए गठित इस समिति में कोयला मंत्रालय, राज्य सरकार, कोयला कम्पनी और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं।

## च)	परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब को कम करने हेतु विशिष्ट उपायों पर सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में होने वाले विलंब को कम करने के लिए विशिष्ट उपायों का सुझाव देने हेतु प्रधान मंत्री के निदेशानुसार फरवरी, 1994 में मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया गया था। मंत्रियों के समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसकी मुख्य सिफारिशें थीं - संसाधन संबंधी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के पुनः प्राथमिकताकरण और उन्हें संयुक्त/निजी क्षेत्र को शैलविंग अथवा अंतरित किए जाने के लिए परियोजनाओं की पहचान करना। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इन निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए में सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय की सलाह पर कोयला कंपनियां इस संबंध में अगली आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं। जिस परियोजना में लागत आधिक्य तथा समय आधिक्य हुआ है उसमें जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए योजना आयोग में एक तंत्र भी बनाया है। लागत और समय आधिक्य को कम से कम करने के उपायों की समीक्षा करने के लिए सचिवों की समिति की 25.11.2003 को हुई बैठक में यह अभिमत दिया गया कि परियोजना प्रतिपादन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन पर मौजूदा निदेश पर्याप्त है और इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

परियोजना कार्यान्वयन में अपेक्षित सहायता :

1. भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास में राज्य सरकार सहायता करेगी
2. पर्यावरण तथा वन मंत्रालय वन भूमि तथा ईएमपी की शीघ्र स्वीकृति को सुनिश्चित करेगी
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण विनिर्माता समय पर आपूर्ति और आरंभ करना सुनिश्चित करेंगे

पर्यावरण और वानिकी मंजूरी

वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसार सभी प्रस्ताव लोक निवेश बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति को पहले ही पर्यावरण मंजूरी ले लेनी चाहिए। पर्यावरण और वन मंत्रालय की एकल खिड़की नीति के अनुसार वानिकी और पर्यावरण दृष्टि से प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद ही पर्यावरण मंजूरी दी जाती है। इसलिए पर्यावरण वानिकी दृष्टि से की गई पूर्व मंजूरी पर निर्भर है। पर्यावरण मंजूरी पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाता है जो कोयला खनन परियोजनाओं की पर्यावरण प्रबंध योजनाओं की जांच करता है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 दिनांक 24 अक्तूबर, 1980 से लागू हुआ। अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आरक्षित वन भूमि को अनारक्षित अथवा किसी वन भूमि को गैर-वन भूमि के प्रयोजन हेतु इस्तेमाल नहीं करेगा। हालांकि, आरम्भिक वर्षों में (अक्तूबर, 1980 के तत्काल बाद) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के बारे में कुछ अस्पष्टता थी, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस अधिनियम संबंधी सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं को स्पष्ट करके दिशा-निर्देशों को भी जारी किया है। कोयला परियोजनाओं के बारे में कोई स्थान विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण खनन प्रयोजन के लिए वन भूमि का अपर्वतन अपरिहार्य है। कोयला कम्पनी/ परियोजना प्राधिकरण द्वारा स्थानीय डी.एफ.ओ. को वन मंजूरी वाला आवेदन प्रस्तुत किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपेक्षित क्षेत्र, खनन परियोजना का प्रकार (ओपनकास्ट या भूमिगत) अनुप्रवाह लिंकेज के साथ परियोजना का औचित्य और कम्पनी द्वारा आरंभ किए जाने वाले भूमि पुनरूद्धार वनरोपण कार्यक्रम को दर्शाया जाता है। केन्द्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा आवेदन की अंतिम रूप से सिफारिश किए जाने से पहले

डी.एफ.ओ. स्तर पर अनेक प्रक्रिया पहलुओं को पूरा करना होता है। आमतौर पर वन-सम्पदा की गणना तथा प्रतिपूरक वन रोपण के लिए गैर वन भूमि का पता लगाना तथा इसका मूल्य निर्धारण करने की वजह से विलम्ब होता है।

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय पर्यावरणीय/वनीय स्वीकृतियों हेतु प्रक्रियाओं के युक्तिकरण के लिए समय-समय पर समीक्षा बैठकें करता है।

अध्याय - 5

कोयले का मूल्य निर्धारण और रायल्टी

1.1.2000 से पूर्व, केंद्रीय सरकार को कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 की धारा 4 के अंतर्गत, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत लागू है, कोयले की ग्रेडवार तथा कोलियरी-वार कीमतें निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। कोयले के प्रशासित ग्रेड की कीमतें पिछली बार दिनांक 17.6.1994 को संशोधित की गई थीं। दिसंबर 1995, जनवरी 1996 और अप्रैल 1996 में कीमत संबंधी अधिसूचना को संशोधित कर दिया गया है ताकि रन ऑफ माइन, स्टीम तथा स्लैक कोयले के बीच विभेद में वृद्धि की जा सके, परिवहन प्रभारों में वृद्धि की जा सके और सिं.को.कं.लि. की रामागुडंम ओपनकास्ट परियोजना और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की राजमहल ओपनकास्ट परियोजना से उत्पादित कोयले के संबंध में अतिरिक्त कीमतों की व्यवस्था की जा सकें।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी.आई.सी.पी.) की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार द्वारा सभी ग्रेड के कोककर कोयले तथा "ए", "बी " तथा "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को विनियंत्रित करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को दिनांक 22.3.96 से क्रियान्वित किया गया था । बाद में, एकीकृत कोयला नीति पर समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए सरकार ने सॉफ्ट कोक, हार्ड कोक और "डी " ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को विनियंत्रित करने का निर्णय लिया और इस निर्णय को 12.3.1997 से क्रियान्वित किया गया था।

सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. को औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बीआईसीपी) की 1987 की रिपोर्ट में दिए गए कीमत वृद्धि फार्मूले के अनुसार लागत सूचकांक को अद्यतन करके प्रत्येक 6 महीने में ई, एफ तथा जी ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को निर्धारित करने की अनुमति दी जाए और दिनांक 13.3.1997 को को.इं.लि. और सिं.को.कं.लि. को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 का अधिक्रमण करते हुए 1 जनवरी, 2000 को कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 को अधिसूचित किए जाने के बाद कोयले की कीमत को पूर्णतः विनियंत्रित कर दिया गया है। कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 के अंतर्गत अब केंद्र सरकार के पास कोयले के मूल्य के निर्धारण की कोई शक्ति नहीं है।

तथापि, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय को लिखकर यह अवगत कराता रहा है कि विनियामक तन्त्र के अभाव में, कोयला बाजार में मौजूदा एकाधिकार वाली स्थिति से मूल्य स्तरों में मनमानी वृद्धि हो जाएगी जिससे उत्पादन लागत पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और विद्युत शुल्क, जिसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है, भी प्रभावित होगा। विद्युत मंत्रालय, मूल्य निर्धारण के लिए एक स्वतन्त्र विनियामक निकाय नियुक्त करने पर जोर देता रहा है। कई राज्य सरकारों तथा राज्य विद्युत बोर्डों/उपक्रमों ने भी इस मुद्दे को उठाया है।

कोयले के मूल्य-निर्धारण के मुद्दे पर प्रधान मंत्री कार्यालय में हुई बैठक में चर्चा की गयी थी और विचार-विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि " विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले के मूल्य की सिफारिश करने तथा अन्य क्षेत्रों के लिए कोयले का मूल्य निर्धारित करने के तौर-तरीके सुझाने के लिए मामले को टेरिफ कमीशन के पास भेज दिया जाना चाहिए। " टेरिफ कमीशन ने दिनांक 2.8.05 को अध्ययन शुरू किया और इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए फील्ड दौरे किए हैं। सूचना एकत्र करने के लिए आयोग द्वारा सीआईएल तथा एससीसीएल को प्रश्नावलियां भी परिचालित कर दी गयी हैं।

वर्ष 1971 से कोयला खनन का विधायी इतिहास तथा वर्तमान स्थिति

कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 70 के दशक के प्रारंभ में, विद्यमान असंतोषजनक खनन परिस्थितियों जैसे अंधाधुंध खनन, खान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, औद्योगिक असंतोष, खान विकास में निवेश कर सकने में असफलता , मशीनीकरण करने में झिझक आदि के कारण और देश में कोयले की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था।

निजी पट्टाधारियों के कोयला संबंधी सभी खनन पट्टों को समाप्त करके 1973 के कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम को दिनांक 27.5.1976 को संशोधित किया गया, ताकि लोहे और इस्पात के उत्पादन में नियोजित निजी कंपनियों को गृहीत कोयला खनन किए जाने की अनुमति दी जा सके और उन छोटी दूरस्थ पाकेटों को निजी कंपनियों को उप-पट्टे पर दिया जा सके जो आर्थिक विकास के अनुकूल नहीं है और जिनके लिए रेल परिवहन अपेक्षित नहीं है। वर्ष 1993 में, विद्युत उत्पादन, खान से प्राप्त कोयले की धुलाई तथा लौह-इस्पात के उत्पादन के लिए प्रावधान के अतिरिक्त समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित इस प्रकार के अन्य अन्त्य उपयोगों हेतु निजी क्षेत्र को गृहीत कोयला खनन करने की अनुमति प्रदान करने के लिए, इस अधिनियम में पुनः संशोधन किया गया था। तत्पश्चात् सीमेंट उत्पादन

को गृहीत कोयला खनन के प्रयोजन से विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग के तौर पर अधिसूचित किया गया था।

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक की स्थिति

केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भारतीय कंपनियों को गृहीत खनन के मौजूदा प्रतिबंध के बिना देश में कोयला खनन करने और कोयले के अन्वेषण में नियोजित करने की अनुमति देने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने का निर्णय लिया। तदनुसार कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 नामक एक विधेयक को दिनांक 24.4.2000 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था।

इस विधेयक को जाँच और रिपोर्ट के लिए दिनांक 27.4.2000 को उद्योग संबंधी स्थायी समिति और फिर दिनांक 22.11.2000 को ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था । समिति ने राज्य सरकारों, श्रमिक संघों/अधिकारियों की संस्थाओं, व्यापार और वाणिज्य के शीर्ष चेम्बरों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ विस्तार से सभी मामलों पर चर्चा और परामर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो दिनांक 31.8.2001 को संसद के दोनों सदनों में रखी गई । समिति ने सिफारिश की कि भारतीय निजी कंपनियों द्वारा गृहीत खनन के विद्यमान प्रतिबंध के बिना देश में कोयले और लिग्नाइट के अन्वेषण और खनन को सुविधाजनक बनाने के लिए इस विधेयक को पारित कर दिया जाए ।

जब अप्रैल, 2000 में विधेयक राज्य सभा में पेश किया गया तो पांच सेंट्रल ट्रेड यूनियनों द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया गया । तत्कालीन विद्युत और कोयला मंत्री स्वर्गीय श्री पी.आर.कुमारमंगलम ने दिनांक 28.4.2000 को ट्रेड यूनियनों के साथ नए सिरे से विचार विमर्श किया। एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोयला उद्योग के संबंध में, इसे व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से और 6 महीने के अंदर इसे अंतिम रूप देने के लिए जेबीसीसीआई में कार्यरत सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त विचार विमर्श किया जाएगा जिसके लंबित रहने पर संसद में पेश किए गए विधेयक को सरकार द्वारा विचार के लिए नहीं रखा जाएगा । इसके पश्चात् दिनांक 13.12.2000 को तत्कालीन कोयला राज्य मंत्री श्री एन.टी. षणमुगम के साथ एक बैठक की गई और फिर दिनांक 14.12.2000 को वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह के साथ एक बैठक की गई । यह आश्वासन दिया गया कि कोयले की मांग और आपूर्ति तथा कोयला उद्योग के पुनर्गठन के बारे में मामले के सभी पहलुओं पर संशोधन विधेयक को राज्य सभा में विचार के लिए पेश किए जाने से पहले जेबीसीसीआई में प्रतिनिधित्व वाली ट्रेड यूनियनों के साथ चर्चा की जाएगी ।

नवम्बर 2001 में दिए गए हड़ताल के नोटिस के प्रत्युत्तर में और विभिन्न बैठकों में ट्रेड यूनियनों को दिए गए इस आश्वासन कि राज्य सभा में विचार के लिए संशोधन विधेयक के पेश किए जाने से पहले जेबीसीसीआई में प्रतिनिधित्व वाली ट्रेड यूनियनों के साथ कोयले की मांग और आपूर्ति तथा कोयला उद्योग के पुनर्गठन के बारे में मामले के सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी इसके क्रम में भी दिनांक 22.11.01 को मंत्रियों के समूह की बैठक में मामले पर विचार विमर्श किया गया । बैठक में ट्रेड यूनियनों द्वारा यह कहा गया कि कोयला खान(राष्ट्रीयकरण) संशोधन बिल, 2000 को वापस लेने की उनकी मांग अन्य सभी मांगों में सबसे प्रमुख है । ट्रेड यूनियनों से हड़ताल के लिए अपने नोटिस पर जोर न देने का अनुरोध करते हुए, वित्त मंत्री द्वारा यह कहा गया कि कोयला और खान मंत्री दिनांक 25.11.2001 को अलग से ट्रेड यूनियनों से मिलेंगे और तब यूनियनें विशिष्ट मुद्दों पर अधिक विस्तृत चर्चा कर सकती है। ट्रेड यूनियनों को यह आश्वासन दिया गया कि जब बातचीत समाप्त हो जाती है और मंत्रियों का समूह अपना दृढ़ मत बना लेता है तो ट्रेड यूनियनों को लिए गए निर्णय की सूचना दी जाएगी और तब तक संशोधन विधेयक संसद में विचार के लिए पेश नहीं किया जाएगा ।

कोयला और खान मंत्री ने दिनांक 25.11.2001 को ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक की थी । ट्रेड यूनियनों ने कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन बिल 2000 पर अपनी चिंता जताई । अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने यह टिप्पणी की कि केवल निजी क्षेत्र लाभ चाहते हैं और इसलिए वे उन घाटे वाली खानों का प्रचालन नहीं करेंगे जिनका प्रचालन इस समय कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किया जा रहा है । बीमार कंपनियों के पुनरुद्धार का मुद्दा भी चर्चा में उभर कर आया और ट्रेड यूनियनों के खान स्तरों से ऊपर के विभिन्न स्तरों पर शामिल करने के लिए माननीय मंत्री द्वारा एक कार्यक्रम तैयार किया गया ।

दिनांक 1.8.2002 को कोल इंडिया प्रबंधन और कोयला उद्योग के कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सेंट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । उक्त ज्ञापन में दिए गए आश्वासन पर आधारित दिनांक 27.1.2003 को तत्कालीन कोयला और खान मंत्री के स्तर पर ट्रेड यूनियनों और सरकार (कोयला मंत्रालय) के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक की गई । इसके अलावा दिनांक 3.4.2003 को ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों और कोयला मंत्री के बीच एक अन्य बैठक की गई जिसमें ट्रेड यूनियनों द्वारा यह मांग की गई कि मांग और आपूर्ति के अंतर की पुनः जांच की जाए । ट्रेड यूनियनों को यह आश्वासन दिया गया कि इन मुद्दों पर उनके साथ और विचार विमर्श किया जा सकता है । इस बैठक के पश्चात् सचिव(कोयला) और ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ दिनांक 10.6.2003 को

एक बैठक की गई । अनेक बार मंत्रियों का समूह गठित किया गया और अंत में दिनांक 14.2.2003 को इसका पुनर्गठन किया गया ।

श्रीमती ममता बनर्जी तत्कालीन कोयला और खान मंत्री ने कोलकाता में दिनांक 12 जनवरी, 2004 को सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की जिसमें सचिव(कोयला), अध्यक्ष(सीआईएल) और सीआईएल की अन्य सहायक कंपनियों के सी.एम.डी. उपस्थित थे । उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ट्रेड यूनियनों के साथ किसी सहमति पर पहुंचे बिना कोयला खान(राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 2000 को संसद में पेश नहीं किया जाएगा । इसलिए यह विधेयक राज्य सभा में लम्बित है ।

जहां तक विधेयक पर विचार कर रहे मंत्रियों के समूह का संबंध है, नई सरकार के आ जाने से मौजूदा मंत्रियों का समूह अब संगत नहीं है और मंत्रियों के नए समूह का गठन किया जाना आवश्यक होगा । कैबिनेट सचिव से मंत्रियों के समूह का पुनर्गठन करने का अनुरोध किया गया है ।

कोल इंडिया लिमिटेड का कार्य परिणाम

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित लाभ (+) अथवा हुई हानि (-) के बारे में कंपनीवार स्थिति निम्न प्रकार है-

(करोड़ रू. में)

कंपनी	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05(अनं.)**
ईसीएल	- 338.78	- 326.38	- 15.51
बीसीसीएल	- 507.13	- 569.85	-248.03
सीसीएल	384.65	370.38	900.42
एनसीएल	1293.01	1647.06	2020.39
डब्ल्यूसीएल	472.52	743.60	1071.86
एसईसीएल	882.13	1314.22	1573.80
एमसीएल	882.31	1418.60	1581.23
सीएमपीडीआईएल	1.99	1.76	- 58.62
एनईसी/सीआईएल	280.08	1355.97	
उप जोड़	3350.78	5955.36	6825.54
सहायक कंपनियों से लाभांश घटाएं	**(-)485.28**	**(-) 1066.20**	--
जोड़ : सीआईएल	**2865.50**	**4889.16**	--

वर्ष 2003-04 के दौरान सी.आई.एल. को हुई लाभांश आय में, लाभ कमाने वाली चार अनुषंगी कंपनियों नामतः एन.सी.एल., डब्ल्यू.सी.एल., एमसीएल. तथा एस.ई.सी.एल. की सिफारिशों के आधार पर पिछले वर्ष के 485.28 करोड़ रु. के अंतिम लाभांश की तुलना में 1066.20 करोड़ रु. का अंतरिम लाभांश प्राप्त हुआ ।

कोयले पर रायल्टी

रायल्टी पर विधिक प्रावधान

रायल्टी खनिज को हटाने अथवा उसका उपभोग करने के लिए पट्टाधारी द्वारा पट्टेदाता को भुगतान की जाने वाली एक राशि है । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियमन की धारा 9 (1) में यह अपेक्षित है कि एक खनन पट्टाधारी या उसका एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी, ठेकेदार अथवा उप-पट्टाधारी अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्धारित दर पर पट्टे पर दिए गए क्षेत्र से हटाए अथवा उपभोग किए गए किसी भी खनिज के संबंध में रायल्टी अदा करें । एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 9 (3) में केन्द्र सरकार को किसी भी खनिज के संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसमें यथा निर्दिष्ट तारीख से रायल्टी की दरों में वृद्धि करने या कमी करने का अधिकार प्राप्त है । यह संशोधन अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संबंधित खनिज हेतु रायल्टी दर की विशिष्ट प्रविष्टि में संशोधन करके किया जाता है। अधिनियम की धारा 9 (3) का परंतुक केन्द्र सरकार को किसी भी खनिज के संबंध में तीन वर्ष की अवधि में एक बार से अधिक रायल्टी दर बढ़ाने से रोकता है । इस अधिनियम में यह भी अनिवार्यता नहीं है कि प्रत्येक तीन वर्ष के बाद कोयले पर रायल्टी में संशोधन किया ही जाए ।

वर्ष 1971-2002 के दौरान कोयला रायल्टी दरें

1971 में निर्धारित की गई कोयला रायल्टी दरें निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के लिए 1.50 रु. प्रति टन और उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के लिए 2.00 रु. प्रति टन के बीच थी । बाद में कोयले पर रायल्टी की दरों में जुलाई, 1975, फरवरी, 1981, अगस्त, 1991, अक्तूबर, 1994 तथा अगस्त, 2002 को संशोधन किए गए थे । 13.2.1981 , 1.8.1991 तथा 11.10.1994 को निर्धारित कोयला रायल्टी दरों और 16.8.2002 को निर्धारित विद्यमान रायल्टी दरों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है :

(रु. प्रति टन)

कोयला समूह	13.2.81 से प्रभावी कोयला रायल्टी दरें	1.8.91 से प्रभावी कोयला रायल्टी दरें	11.10.94 से प्रभावी कोयला रायल्टी दरें	16.8.2002 से प्रभावी कोयला रायल्टी दरें
समूह-I कोकिंग कोयला एस.जी.-I, II डब्ल्यू.जी.-I	7.00	150.00	195.00	250.00
समूह -II कोकिंग कोयला डब्ल्यू.जी.-II, III नॉन -कोकिंग ए,बी सेमी कोकिंग ग्रेड -I सेमी कोकिंग ग्रेड -II	6.50	120.00	135.00	165.00
कोयला समूह - III कोकिंग कोयला डब्ल्यू. जी.- IV नॉन कोकिंग- सी	5.50	75.00	95.00	115.00
समूह - IV नान- कोकिंग -डी., ई	4.50	45.00	70.00	85.00
समूह -V नॉन - कोकिंग एफ.जी.	2.50	25.00	50.00	65.00
समूह-VI आन्ध्र प्रदेश में उत्पादित कोयला	5.00	70.00	75.00	90.00

(नोट : 1981 की कोयला रायल्टी दरें पश्चिम बंगाल राज्य पर अभी भी इस आधार पर जारी हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयले पर उपकर लगाना जारी रखा है, जिसे अन्य राज्य सरकारों द्वारा हटा लिया गया है)।

रायल्टी दरों को निर्धारित करने की कार्य-प्रणाली

कोयला/लिग्नाइट पर रायल्टी की दरों के निर्धारण के लिए कोयला मंत्रालय अपर सचिव की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन करता है । अध्ययन दल सभी स्टेकधारियों अर्थात उत्पादक राज्यों, उपभोक्ता राज्यों और विद्युत, लौह तथा इस्पात, सीमेंट आदि जैसे

उपभोक्ता क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श करता है और उनके विचार प्राप्त करता है । सभी स्टेकधारियों के विचारों तथा अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन दल अपना मत मंत्रालय को प्रस्तुत करता है । सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात मंत्रालय सरकार के निर्णय (सीसीईए) के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है । तत्पश्चात दिए गए निर्णय को अधिसूचित किया जाता है और रायल्टी की नई दरें ऐसी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होती हैं। उपर्युक्त प्रक्रिया सोद्देश्यपूर्ण, पारदर्शी है तथा इसने अच्छा काम किया है ।

रायल्टी पर 1997 के अध्ययन दल की सिफारिशें

एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 9 (3) केन्द्र सरकार को किसी भी खनिज के संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसमें यथा निर्दिष्ट तारीख से रायल्टी की दरों में वृद्धि करने या कमी करने का अधिकार प्रदान करती है । अधिनियम की धारा 9 (3) का परंतुक किसी भी खनिज के संबंध में तीन वर्ष की अवधि में एक बार से अधिक रायल्टी दर बढ़ाने से केन्द्र सरकार को रोकता है । इस प्रकार प्रत्येक तीन वर्ष में रायल्टी दरें संशोधित करने की कोई अनिवार्यता नहीं है । केन्द्र सरकार के पास रायल्टी दरों को यथावत रखने का विकल्प है जैसा कि 1981-1991 के दौरान किया गया था । कोयला विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में 28.1.1997 को एक अध्ययन दल का गठन किया गया ताकि वे कोयले की रायल्टी दरों के संशोधन से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार कर सकें और सरकार को सिफारिश कर सकें । अध्ययन दल ने यह सिफारिश की कि रायल्टी दरों को मूल्यानुसार आधार पर अर्थात समय-समय पर यथा निर्धारित प्रतिटन कोयले के आधार मूल्य के प्रतिशत के तौर पर अपनाया जाए और कोयला रायल्टी दरों को निर्धारित करने के उद्देश्य से कोयले के विभिन्न समूहों को दो भागों में विभाजित किया जाए । तथापि, 1997 के अध्ययन दल की सिफारिशों को कभी भी क्रियान्वित नहीं किया गया ।

रायल्टी पर 2000 के अध्ययन दल की सिफारिशें

कोयला उत्पादक राज्यों द्वारा की जा रही लगातार मांग के कारण, कोयले पर रायल्टी के संशोधन के मामले पर विचार करने के लिए अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति जुलाई, 2000 में गठित की गई । समिति ने दिसम्बर, 2000 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कोयले पर रायल्टी दरों के निर्धारण के लिए मूल्यानुसार दरों की अपेक्षा टनेज आधार को अपनाने तथा कोयले के सभी ग्रेडों की रायल्टी दरों में वृद्धि की सिफारिश की । तथापि, यह वृद्धि मामूली ही रही है । कोयले पर रायल्टी की संशोधित दरें 16.8.2002 से अधिसूचित कर दी गई हैं ।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कोयला और लिग्नाइट पर रायल्टी की दरों के संशोधन पर विचार करने के लिए सरकार ने 2.6.05 को एक समिति गठित की है। समिति ने प्रश्नावलियों तथा औपचारिक बातचीत दोनों के माध्यम से राज्यों के विचार तथा टिप्पणियां मांगी है। समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय उनके विचारों तथा सुझावों को ध्यान में रखेगी। इस मामले पर अंतिम विचार प्रस्तुत करते समय केन्द्र सरकार भी इनको ध्यान में रखेगी। वर्तमान समिति में कोयला, विद्युत तथा खान मंत्रालय के सदस्य हैं। औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिक्की ति एफआईएमआई के प्रतिनिधित्व होते हैं। समिति सभी स्टेक होल्डरों तथा विशेषज्ञ/विशिष्ट एजेन्सियों के साथ बातचीत करने तथा उनके विचारों/सुझावों से लाभान्वित होने के लिए स्वतंत्र होगी।

इसी बीच, पीएमओ ने दिनांक 7.7.05 के अपने यूओ नोट में सूचित किया है कि इसमें शामिल अड़चनों के मद्देनजर, टनेज आधार की तुलना में यथामूल्य आधार पर कोयले पर रायल्टी के भुगतान के मुद्दे की प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) द्वारा जांच की जा रही है। परिषद की विशिष्ट सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं और प्रधान मंत्री निम्नलिखित के लिए सहमत हो गए हैं :-

i) कोयले पर रायल्टी निर्धारित की जानी है ताकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की संतुलित तरीके से सुरक्षा की जा सके। तदनुसार रायल्टी को विशिष्ट उद्ग्रहण से विशिष्ट तथा यथामूल्य उद्ग्रहणों के संयोजन को स्थानान्तरित किया जा सकता है।

ii) यह नोट किया गया कि हमारी रायल्टी दरें अन्य देशों की रायल्टी दरों की अपेक्षा अधिक हैं। इस बात को रायल्टी की दरें निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाए।

iii) रायल्टी निर्धारण के फार्मूले में एक निर्धारित तथा परिवर्तनशील घटक हो, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :-

	आर	=	ए + बीपी
जहां	आर	=	रायल्टी (रू./टन)
	ए	=	विशिष्ट (निर्धारित) घटक (रू./टन)
	बी	=	यथामूल्य (परिवर्तनीय) घटक (रायल्टी की दर)
	पी	=	कोयले का मूल्य (रू./टन)

उपरोक्त फार्मूला, विशिष्ट घटक जमा एक परिवर्तनीय घटक के रूप में मूल्य में शेयर के अन्तर्गत एक निश्चित न्यूनतम रायल्टी उपलब्ध कराएगा। " ए" तथा " बी" पैरामीटरों को सेट करना पड़ता है ताकि मूल्य परिवर्तन के कारण रायल्टी में मामूली अन्तर को अनुमति देते समय समग्र दर को समुचित स्तर पर बनाए रखा जा सके। इस फार्मूले का निश्चित अंशाकन सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है।

iv) रायल्टी के निर्धारण के लिए मूल्य (पी) वास्तविक बीजक मूल्य हो सकता है।

v) रायल्टी में कोई संशोधन उन राज्यों पर स्वतः लागू नहीं होना चाहिए जो अपने उपकर स्वयं लगाते हैं। ऐसे राज्यों को दी जाने वाली रायल्टी को स्थानीय उपकरों हेतु समायोजित किया जाना चाहिए ताकि समग्र राजस्व को फार्मूला आधारित लाभ तक सीमित किया जा सके।

उपर्युक्त समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले ईएसी की सिफारिश पर विचार करेगी।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इस मंत्रालय के अधीन एक मिनीरत्न कम्पनी है और यह लिग्नाइट खनन एवं विद्युत उत्पादन में लगी है। एनएलसी सभी चार दक्षिणी राज्यों की ऊर्जा आवश्यकताओं के प्रति महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। एनएलसी का उत्पादन कार्य-निष्पादन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

उत्पाद	**यूनिट**	**2004-05**	**2005-06 (अक्तूबर, 2005 तक)**
लिग्नाइट	लाख टन	215.67	126.86
विद्युत (सकल)	मिलियन यूनिट	16746.38	10336.53

अध्याय-6

केप्टिव कोयला खनन ब्लाक

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कोयला खनन अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। 1976 में इस अधिनियम में एक संशोधन के द्वारा नीति में दो अपवाद लागू किए गए अर्थात (i) लोहा तथा इस्पात के उत्पादन में लगी निजी कम्पनियों द्वारा केप्टिव खनन और (ii) अलग-थलग पड़े उन पाकेटों में निजी पार्टियों को कोयला खनन के लिए उप-पट्टा जो आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त न हो तथा जिसमें रेल परिवहन की आवश्यकता न हो। तापीय विद्युत उत्पादन को बढ़ाने तथा VIII वीं योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त तापीय विद्युत क्षमता को सृजित करने की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में 9 जून, 1993 से संशोधन किया गया जिसमें लोहा तथा इस्पात के उत्पादन हेतु केप्टिव कोयला खनन के लिए मौजूदा प्रावधान के अलावा विद्युत उत्पादन, खान से प्राप्त कोयले की धुलाई तथा समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अन्य अन्त्य उपयोगों के लिए केप्टिव खपत के लिए कोयला खनन की अनुमति दी गई है। इस अधिनियम की धारा 3(3)(क)(iii)(4) द्वारा केन्द्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सीमेंट के उत्पादन के लिए केप्टिव कोयला खनन की अनुमति देने के लिए एक अन्य राजपत्र अधिसूचना 15.3.96 को जारी की गई।

इस अधिनियम में जून, 1993 के संशोधन तथा 15.3.96 की राजपत्र की अधिसूचना सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की उन कम्पनियों पर लागू होती है जो केप्टिव खनन के लिए कोयला खनन की इच्छुक हों। कोयला खनन का प्रतिबंध सरकारी स्वामित्व वाली कोयला कम्पनियों जैसे सी.आई.एल. एवं एस.सी.सी.एल. और राज्य सरकारों के खनिज विकास निगमों पर लागू नहीं होता है।

देश में कोयला खनन करने की पात्रता कोयला खनन (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3) के प्रावधानों में निर्धारित की गई है। केप्टिव खपत के प्रतिबंध के बिना भारत में कोयला खनन करने की पात्रता वाली पार्टियां इस प्रकार हैं :-

केन्द्र सरकार, सरकारी कम्पनी (राज्य सरकार की कम्पनी सहित), केन्द्र सरकार के स्वामित्व, प्रबंधन तथा नियंत्रण वाला निगम।

उपर्युक्त सरकारी कम्पनी अथवा निगम जिसके पास कोयला खनन पट्टा है, द्वारा इस शर्त पर किसी व्यक्ति को उप-पट्टा मंजूर किया जाता है कि इस उप-पट्टे में शामिल कोयला भण्डार अलग-थलग छोटे पाकेटों में है अथवा समन्वित पद्धति में वैज्ञानिक एवं आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं हैं तथा उप-पट्टे से उत्पादित कोयले को रेल से परिवहन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3)(क)(iii) के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित क्रियाकलापों में लगी कम्पनी भारत में केवल केप्टिव खपत के लिए कोयले का खनन कर सकती है :

(i) लोहा तथा इस्पात का उत्पादन

(ii) विद्युत उत्पादन

(iii) खान से प्राप्त कोयले की धुलाई, अथवा

(iv) ऐसे अन्य अन्त्य उपयोगों जिनका केन्द्र सरकार अधिसूचना के जरिए उल्लेख करे।

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3)(क)(iii)(4) के आधार पर केन्द्र सरकार में निहित शक्तियों के अन्तर्गत कोयले के केप्टिव खनन के प्रयोजनार्थ एक अनुमोदित अन्त्य उपयोग के रूप में सीमेंट के उत्पादन के लिए 15.3.96 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी। अतः सीमेंट उत्पादक कम्पनियां अब केप्टिव खपत के लिए कोयला खनन करने की पात्र हैं।

उपर्युक्त पैरा 2 और 2.1 में दर्शाए गए किसी भी अनुमोदित अन्त्य उपयोग में लगी कोई भी कम्पनी स्वयं केप्टिव कोयला ब्लाक से कोयले का खनन कर सकती है। कुछ निजी कम्पनियां जिन्हें केप्टिव कोयला ब्लाकों की पेशकश की गई थी, ने कोयला खनन में अनुभव की कमी के आधार पर देश में कोयला खनन करने की अपनी परेशानियां व्यक्त की। ऐसी कम्पनियों द्वारा महसूस की जा रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने निम्नलिखित वितरण की अनुमति दी है :-

(क) कोई कम्पनी जो किसी अनुमोदित अन्त्य उपयोगों से जुड़ी है, एक ऐसी सम्बद्ध कोयला कम्पनी के माध्यम से केप्टिव ब्लाक से कोयले का खनन कर सकती है जिसके गठन का एकमात्र प्रयोजन कोयले का खनन करना है और केप्टिव कोयला ब्लाक से अन्त्य उपयोगकर्त्ता कम्पनी को विशेष रूप से कोयले की आपूर्ति करना है, बशर्ते कि अन्त्य उपयोगकर्ता कम्पनी का सम्बद्ध कोयला कम्पनी में हमेशा कम से कम 26% इक्विटी स्वामित्व हो।

(ख) दो अनुषंगी कम्पनियों वाली एक धारक कम्पनी हो सकती है, अर्थात (i) किसी भी अनुमोदित अन्त्य उपयोगों में जुड़ी कम्पनी और (ii) एक सम्बद्ध कोयला कम्पनी जिसके गठन का एकमात्र प्रयोजन कोयले का खनन करना है और केप्टिव कोयला ब्लाक से अन्त्य उपयोगकर्ता कम्पनी को विशेष रूप से कोयले की आपूर्ति करना है, बशर्ते कि धारक कम्पनी का अन्त्य उपयोगकर्ता कम्पनी तथा सम्बद्ध कोयला कम्पनी दोनों में कम से कम 26% इक्विटी स्वामित्व हो।

जांच समिति नामक एक अन्तर-मंत्रालयी अन्तर-सरकारी निकाय के जरिए निजी पार्टियों को कोयला ब्लाकों का आबंटन किया जाता है। जांच समिति की अध्यक्षता सचिव (कोयला) द्वारा की जाती है और इसमें इस्पात मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सीआईएल, सीएमपीडीआईएल तथा संबंधित राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व होता है। आवेदनकर्ता से आवेदन और उसके अनुलग्नक कोयला मंत्रालय में प्राप्त किया जाता है तथा उसे तब जांच तथा सिफारिश के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा जाता है। उसे सीआईएल/सीएमपीडीआईएल को भी उसकी जांच एवं सिफारिश के लिए भेजा जाता है। जांच समिति में आवेदक को पूर्ण जांच समिति के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। जांच समिति में परामर्श/चर्चा के माध्यम से गुणावगुण के आधार पर कोयला ब्लाक का आबंटन किया जाता है। जांच समिति के उपयोग के लिए आवेदनकर्ता के मार्ग-निर्देश के लिए कोयला ब्लाकों के आबंटन के मार्ग-निर्देश तैयार किए गए हैं और प्राप्त अनुभवों और जांच समिति के विचारों के आधार पर समय-समय पर इसमें आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। उन्हें कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है।

आज की तारीख में, 148 कोयला ब्लाकों की पहचान की गई है और इन्हें कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। केप्टिव खनन के लिए आबंटन हेतु पहचान किए गए 148 कोयला ब्लाकों में से अब तक 89 कोयला ब्लाक आबंटित कर दिए गए हैं। आबंटन का निर्णय ले लिया गया है। चूंकि निर्धारित उपयोगकर्ता उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात और सीमेंट का उत्पादन, विद्युत उत्पादन की ईंधन आवश्यकता को पूरा करने के लिए केप्टिव कोयला ब्लाकों का आबंटन किया जाता है। केप्टिव कोयला ब्लाकों के आबंटन से केन्द्र तथा राज्य

सरकार के राजकोषों में करों, रायल्टी आदि के जरिए राजस्व में योगदान के अलावा अर्थव्यवस्था की इन बुनियादी वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ोतरी करने में सहायता मिलती है। अब तक 8 ब्लाकों में उत्पादन शुरू हो गया है।

28.6.04 से पहले मंत्रालय में केप्टिव खनन के लिए कोयला ब्लाकों हेतु अनेक आवेदन लम्बित पड़े थे। पिछले बकाया आवेदनों को निपटाने के लिए सरकार ने अक्तूबर, 2004 में यह निर्णय लिया कि केवल 28.6.04 लम्बित आवेदन पत्रों पर केप्टिव ब्लाकों के आबंटन हेतु विचार किया जाएगा। आगे आबंटन प्रतियोगी बोली के माध्यम से चयन की नयी प्रक्रिया के अधीन किए जाएंगे। प्रति ब्लाक आवेदनों की बड़ी संख्या जिसकी वजह से चयन एक कठिन कार्य हो गया है, को देखते हुए चयन की प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया अधिक उद्देश्यपरक और पारदर्शी हो सकती है। तथापि, बाद में सरकार ने यह महसूस किया कि प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने की आवश्यकता होगी जिसमें समय लगेगा। इसलिए स्थिति की समीक्षा की गई और सरकार ने फिलहाल जांच समिति के माध्यम से आबंटन की मौजूदा प्रक्रिया के अधीन केप्टिव खनन के लिए कोयला/लिग्नाइट ब्लाकों के आबंटन को जारी रखने का निर्णय लिया।

कोयला मंत्रालय में यह निर्णय लिया गया था कि 20 कोयला ब्लाकों (आबंटन के लिए उपलब्ध 148 ब्लाकों के शेष 59 ब्लाकों में से) तथा 8 लिग्नाइट ब्लाकों जिनकी विस्तृत रूप से जांच की गई है और जो आबंटन के लिए उपलब्ध हैं, जांच समिति के माध्यम से केप्टिव खनन के लिए पेशकश की जाएगी। इसे प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर अधिसूचित किया गया है। इन ब्लाकों के लिए आवेदन करने के संबंध में विस्तृत मार्ग-निर्देश भी कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 31 अक्तूबर, 2005 थी। इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कोयला तथा लिग्नाइट ब्लाकों, दोनों के लिए कई आवेदन पत्र मंत्रालय को प्राप्त हुए हैं। ये प्रक्रियाधीन हैं।

अध्याय - 7

कोयला उद्योग में वेतन समझौता

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता -VII को अंतिम रूप दिए जाने का मामला कोयला उद्योग हेतु संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जेबीसीसीआई) के तत्वाधान में प्रबंधन और कामगारों के प्रतिनिधियों के बीच विचाराधीन है । तथापि, समझौता होने में विलंब और उसमें शामिल विभिन्न मुद्दों के मद्देनजर सरकार ने उद्योग, श्रमिक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में चल रहे वेतन समझौतों से संबंधित व्यापक मुद्दों की निगरानी के लिए माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 16.11.2004 को एक मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया था । मंत्री समूह की दिनांक 24.3.2005 को हुई पहली बैठक में उन्होंने प्रबंधन को अपने विचार प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया । दिनांक 13.4.2005 को हुई अगली बैठक में सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने मंत्री समूह के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए । दिनांक 29.4.2005 को हुई तीसरी बैठक में मंत्रीसमूह ने विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श किया और राज्य मंत्री को ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों और प्रबंधन के साथ आगे चर्चा करने की सलाह दी । तदनुसार राज्य मंत्री ने 3.5.2005 को इन प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया और सभी विवादित मुद्दों को हल कर लिया गया । करार को अंतिम रूप देने के लिए प्रबंधन तथा सेंट्रल ट्रेड यूनियन दोनों 18-19 मई को कोर-ग्रुप की और 29-30 मई, 2005 को जेबीसीसीआई की पूर्ण बैठक आयोजित करने को राजी हो गए ।

तथापि, (i) अनुकम्पा के आधार पर रोजगार (ii) न्यूनतम गारंटीशुदा लाभ और (iii) बकाया भुगतान की पद्धति आदि जैसे विवादास्पद मुद्दों पर प्रबंधन और ट्रेड यूनियन के बीच चर्चा अंतिम चरण पर विफल हो गयी । इस स्थिति की सूचना मंत्रीसमूह को दे दी गई थी ।

सात सूत्रीय मांग को लेकर 5-सेंट्रल ट्रेड यूनियन (18 से 24 जुलाई, 2005 तक) की हड़ताल की सूचना के परिणामस्वरूप कोयला राज्य मंत्री ने सीआईएल की 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों और प्रबंधन के साथ एक बैठक की । दिनांक 9.7.2005 को रात भर हुए काफी लम्बे विचार-विमर्श के पश्चात सौहार्द्रपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान निकाल लिया गया ।

बैठक में हुई सर्वसम्मति के मद्देनजर 5 सेंट्रल यूनियनों ने सप्ताह भर चलने वाली अपनी पूर्व प्रस्तावित हड़ताल पर न जाने का निर्णय लिया । मंत्रीसमूह की बैठक पुनः 14.7.2005 को हुई और समझौते को मंजूरी दे दी । एनसीडब्ल्यूए -7 पर अंतिम करार 15.7.2005 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ ।

भूतपूर्व सैनिक परिवहन कंपनियां

ईएसएम द्वारा कोयले का परिवहन ऊर्जा मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप 1979 में शुरू हुआ था । यह योजना कोयला परिवहन में काफी मात्रा में माफिया संबंधी तत्वों की घुसपैठ, उत्पाद-संघ के गठन तथा परिवहन प्रभारों में परिणामी वृद्धि के कारण शुरू की गई थी । कोल इंडिया लि0 तथा पुनर्स्थापना महानिदेशक (डीजीआर) के बीच 1993 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे । समय-समय पर आवश्यक परिवर्तनों तथा वर्षों के दौरान प्राप्त अनुभव को शामिल करने के लिए कोल इंडिया लि0 (सीआईएल) तथा डीजीआर के बीच 16 अप्रैल, 1999 को एक संशोधित ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

योजना के दो मूल उद्देश्य थे, जो निम्नानुसार हैः-

1. कोयला सहायक कंपनियों को यूनियन मुक्त परिवहन मुहैया कराना ।
2. भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) हेतु उपयुक्त पुनर्वास अवसर मुहैया कराना ।

जिन उद्देश्यों से इन कंपनियों को बनाया गया था उनको प्राप्त करने के संबंध में परस्पर विरोधी विचार है । विगत 2-3 वर्षों में ईएसएम कंपनियों के कार्यकरण के खिलाफ वीआईपी से कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं । एक प्रमुख शिकायत यह थी कि ये कंपनियां निजी व्यवसायों के बेनामी स्वामित्व के अंतर्गत आती हैं । यह विचार किया जा रहा था कि ठेका अवार्ड करने के लिए खुली निविदा प्रणाली शुरू की जाएगी, जिसका डीजीआर द्वारा पुरजोर विरोध किया गया था ।

डीजीआर के अनुरोध और सीआईएल के अध्यक्ष की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2003 में कोयला मंत्री ने निदेश दिया कि सीआईएल को डीजीआर के साथ नए सिरे से समझौता ज्ञापन करना चाहिए और साथ ही सतह से सतह पर ईएसएम कंपनियों की आफ लोडिंग के

संबंध में यथापूर्व स्थिति को बनाया रखा जाएगा । सीआईएल बोर्ड द्वारा शीघ्र ही एक नया समझौता ज्ञापन अनुमोदित किए जाने की संभावना है । इस बीच मंत्रालय ने ईएसएम कंपनियों के कार्यकलाप में अनियमितता की शिकायतों की जांच करने के लिए इस मुद्दे को डीजीआर को भेज दिया है ।

रक्षा मंत्री तथा कोयला राज्य मंत्री के बीच बैठक 6 सितम्बर, 2005 को हुई। बैठक के दौरान कोयला मंत्रालय ने कोयले के परिवहन में ईएसएम कंपनियों के लिए आरक्षित काम के विशिष्ट कोटे वाली निविदा प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया जिसका रक्षा मंत्रालय के पुनर्स्थापना महानिदेशक (डीजीआर) ने विरोध किया । इस बैठक में यह सहमति हुई कि डीजीआर इन कंपनियों के कार्य से संबंधित सभी शिकायतों की जांच करेंगे ।

कोल इंडिया लि0 की पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति

कोल इंडिया लि. ने अपने बोर्ड के अनुमोदन से अगस्त, 2000 में एक संशोधित पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति तैयार की है। यह नीति मुख्य रूप से दो पहलुओं पर आधारित है नामतः (i) कोयला खनन की आर्थिकी (ii) विस्थापित परिवार की सामाजिक सुरक्षा।

सीआईएल की मौजूदा आर. एण्ड आर. नीति में उल्लिखित पुनर्वास और मुआवजे की मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में नीचे सारणी में दिया गया है :-

परियोजना द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की श्रेणी	मुआवजा तथा पुनर्वास हकदारी विकल्प
क(1) व्यक्ति (जिनमें पारम्परिक अधिकारों के अंतर्गत भूमि जोत रहे जन-जातीय व्यक्तियों सहित शामिल है) जिनसे भूमि अधिगृहीत की गई है ।	हकदारी वाले सभी भूस्वामियों को उनसे अधिगृहीत की गई भूमि के लिए आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित भी लागू होगा। **भूमि के एवज में रोजगार** भूमि के एवज में रोजगार पर रिक्तियां भरने के लिए केवल अपवाद वाले मामलों में ही विचार किया जाएगा बशर्ते कि भूमि खोने वाला पात्रता के मानदण्डों को पूरा करता हो और इसे आगे संबंधित सहायक कम्पनियों के निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त हो। रोजगार के मानदण्ड

	निम्नानुसार होंगे :- 1. सहायक कम्पनियां भूमि से वंचित होने वाले लोगों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा घोषित मानदण्डों के अनुसार रोजगार प्रदान करेंगी। 2. यदि राज्य सरकार का रोजगार प्रदान करने के संबंध में कोई मानदण्ड नहीं है तो यह निम्नानुसार विनियमित होगा - प्रत्येक 2 एकड़ भूमि के लिए एक रोजगार। तथापि, सहायक कम्पनियां जो 2 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 3 एकड़ गैर-सिंचित भूमि के लिए एक रोजगार प्रदान कर रही हैं, इसी नीति का पालन करेंगी। 3. रोजगार तभी दिया जाएगा बशर्ते अभ्यर्थी न्यूनतम पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हों और उन्हें उस ट्रेड में न्यूनतम दो वर्ष का प्रशिक्षण करना होगा जिसके बारे में प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने तथा ट्रेड परीक्षा में पास होने के बाद अभ्यर्थियों को उपयुक्त ग्रेड में किसी भी सहायक कम्पनी में रिक्तियों के प्रति रोजगार प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को पहले वर्ष प्रतिमाह 2000/- रूपए और दूसरे वर्ष प्रतिमाह 2500/- रूपए (सब मिलाकर) वजीफे के रूप में दिए जाएंगे। यदि भूस्वामी को रोजगार पीस रेटिड कामगार (यू.जी. लोडर) के रूप में दिया जाता है तो उस पर 2 वर्ष के प्रशिक्षण की शर्त लागू नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हो जाता है तो वह उपर्युक्त दिए गए वजीफे को घटाने के बाद रोजगार के एवज में आर्थिक मुआवजे का पात्र होगा। आर्थिक मुआवजे की दर की तीन वर्ष में एक बार समीक्षा की जाएगी। 4. यदि रिक्तियों के अभाव में रोजगार देना संभव नहीं

	होगा तो अभ्यर्थी को तब तक प्रतिमाह 2500/- रूपए का निर्वाह भत्ता दिया जाएगा जब तक कि उसे किसी सहायक कम्पनी में रिक्ति के प्रति रोजगार प्रदान नहीं कर दिया जाता। मध्यवर्ती अवधि के दौरान अर्थात जब तक कि वह किसी रिक्ति के प्रति नियुक्त नहीं हो जाता, उसे किसी भी सहायक कम्पनी में आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। भूमि अधिग्रहण के लिए रोजगार के एवज में एकमुश्त नकद अनुदान/मौद्रिक मुआवजा निम्नलिखित आधार पर दिया जाएगा। 1. सहायक कम्पनियां संबंधित राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आर्थिक मुआवजा/एकमुश्त नकद अनुदान/वित्तीय पैकेज मुआवजा प्रदान करेंगी। 2. यदि राज्य सरकार में भूमि के बदले रोजगार के एवज में आर्थिक मुआवजा/ वित्तीय पैकेज देने की कोई नीति नहीं है तो आर्थिक मुआवजा निम्नलिखित आधार पर दिया जाएगा - (i) भूमि के पहले एकड़ के लिए यथा अनुपात आधार पर केवल रू. 1,00,000/- (एक लाख रू.) जो न्यूनतम 25,000/- रू. होगा। (ii) भूमि के दूसरे और तीसरे एकड़ के लिए यथानुपात आधार पर केवल 75,000/- रू. (iii) 3 एकड़ से अधिक की भूमि के लिए यथानुपात आधार पर केवल 50,000/- रू. **टिप्पणी** : नौकरी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मुआवजे के उपर्युक्त सभी दावों को छोड़ना होगा और उपर्युक्त मुआवजा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को रोजगार के सभी दावों को छोड़ना होगा।

सीआईएल की आर. एण्ड आर. नीति में यह परिकल्पना की गयी है कि भूमि अधिग्रहण अथवा वासभूमि के लिए दिए जाने वाले मौद्रिक मुआवजे तथा पुनर्स्थापना हेतु वैकल्पिक स्थल के अतिरिक्त कोयला कम्पनी, जहां भी संभव होगा या तो रोजगार अथवा रोजगार के बदले मौद्रिक मुआवजा भी मुहैया कराएगी। अधिकांश परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) रोजगार चाहते हैं जबकि कम्पनियां अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किए जाने की स्थिति में नहीं होती है। इसके कारण परियोजना प्रभावित व्यक्ति अधिगृहीत प्लाट (भूमि) को खाली करने से इन्कार कर देते है और इससे परियोजनाओं में विलंब हो जाता है।

सीआईएल द्वारा प्रस्तावित नीति पर मंत्रालय में चर्चा की गयी थी और इसे माननीय प्रधान मंत्री के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। प्रधान मंत्री कार्यालय ने यह टिप्पणी की है कि यह प्रस्तावित नीति ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति-2003 (एनपीआरआर-2003) से भिन्न है जिसे मंत्रिमंडल की दिनांक 15.1.2004 को हुई बैठक में अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, प्रधान मंत्री कार्यालय ने यह भी नोट किया है कि प्रस्तावित नीति के उक्त खण्ड कुछ राज्यों में प्रचलित नीति के विपरीत हो सकते हैं। इसलिए यह इच्छा व्यक्त की गयी है कि मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति प्रस्तावित नीति की जांच करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। प्रस्ताव सचिवों की समिति को भेज दिया गया है।

अध्याय-8

कोल इंडिया लि. के कर्मचारियों की कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा योजना

प्रस्तावना

हमारे कल्याणकारी क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवारों का हित-कल्याण करना है । कोयला कंपनियां अपने श्रमिकों के कल्याण पर अधिक ध्यान दे रही हैं । कोयला खनिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं । अपनत्व की भावना जगाने तथा कार्य में शामिल करने के उद्देश्य से प्रबंधन द्वारा आवास, चिकित्सा तथा शैक्षिक सुविधाएं इत्यादि प्रदान की जाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कल्याण उपायों के परिणाम इस प्रकार हैः-

(i) आवास

राष्ट्रीयकरण के समय कोल इंडिया तथा इसकी सहायक कंपनियों के पास निम्न-स्तरीय आवासों सहित केवल 1,18,366 मकान थे। इन मकानों की उपलब्धता बढ़कर 4,09,872 (1.12.2004 तक) हो गई है। आवासों की उपलब्धता अब 86.32 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

(ii) जलापूर्ति

कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों ने वर्ष 1973 में राष्ट्रीयकरण के समय 2.27 लाख की जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराने की तुलना में वर्तमान में 22.78 लाख (1.12.04 तक) की जनसंख्या को जलापूर्ति योजना के तहत पेयजल उपलब्ध कराया है ।

(iii) चिकित्सा सुविधाएं

कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियां कोयला क्षेत्रों के विभिन्न भागों में औषधालय स्तर से लेकर केंद्रीय तथा शीर्षस्थ अस्पतालों तक विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं।

कर्मचारियों को चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए को.इं.लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों में 5921 बिस्तरों वाले 88 अस्पताल, 434 औषधालय, 673 रोगी वाहन, विशेषज्ञों सहित 1705 चिकित्सक हैं। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों को स्वदेशी पद्धति की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए को.इं.लि. की सहायक कंपनियों में 15 आयुर्वेदिक औषधालय भी चलाए जा रहे हैं।

(iv) शिक्षा-संबंधी सुविधाएं

शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का मुख्य दायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, कोल इंडिया लिमिटेड कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अपने स्तर पर कुछ स्कूलों जैसे डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय,दिल्ली पब्लिक स्कूल तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अन्य शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त, को.इं.लि. की सहायक कंपनियां कोयला क्षेत्रों में तथा उसके आस-पास चल रहे कुछ निजी प्रबंधन वाले स्कूलों को भी सहायता अनुदान/अवसंरचनात्मक सुविधाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

सी.आई.एल. में निजी स्कूल अध्यापकों की समस्या

विवाद की पृष्ठभूमि

सी.आई.एल. की विभिन्न अनुषंगियों में लगभग 464 निजी रूप से प्रबंधित स्कूल हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों के माध्यम से आंशिक रूप से वित्त-पोषित होते हैं । इन निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों के अध्यापक कोयला खदान शिक्षक मोर्चा की छत्रछाया में कोयला कंपनियों के कर्मचारियों का स्तर प्राप्त करने तथा राज्य सरकार के अध्यापकों के समान वेतन की मांग करने के लिए आंदोलन करते रहे हैं । वे अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिए राजनीति दबाव डलवाने में भी सफल हो गए हैं । तथापि, कोल इंडिया और कोयला मंत्रालय स्पष्ट करते रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और निजी स्कूलों के ऐसे अन्य अध्यापकों के बीच कोई नियोजक -नियोक्ता संबंध मौजूद नहीं है ।

सी.आई.एल. में स्कूल 2 विस्तृत श्रेणियों में है - (क) परियोजना स्कूल और (ख) निजी रूप से प्रबंधित स्कूल । यह अभिकल्पित किया गया था कि एक पी.एस.यू. परियोजना स्कूलों

को आधारभूत संरचना, फर्नीचर आदि उपलब्ध कराएगी और इन स्कूलों द्वारा ली गई फीस और अन्य शुल्कों के अतिरिक्त हुई सभी चालू लागतों का वहन करेगी । **जहां तक अन्य निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों** का संबंध है, एक पी.एस.यू. विशुद्ध रूप से एक कल्याणकारी उपाय के रूप में वित्तीय सहायता के एक साधन के रूप में किसी प्रकार का सहायता अनुदान देता है ताकि इसके कर्मचारियों के बच्चों को आधारभूत शिक्षा आसानी से पहुंच सके । इसका अर्थ किसी भी स्थिति में यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि ये पी.एस.यू. विभागीय स्कूल चला रहे हैं और अध्यापकों को नियोजित कर रहे हैं ।

कई वर्षों से एक तथ्य देखने में आया है जो ईसीएल, बीसीसीएल और सीसीएल के लिए विशिष्टतासूचक है जो झारखंड और पं. बंगाल जहां काफी बेरोजगार है, के कुछ हद तक अविकसित क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्रचालन करते हैं । अनेक छोटे-छोटे स्कूल कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं जो इन कंपनियों के स्वामित्व वाली भूमि अथवा परिसरों में, कोयला खनिकों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्घोषित उद्देश्य से खुलते हैं । प्रारंभ में, वे केवल किसी शेड या ढांचे का उपयोग करने का अनुरोध करते हैं परन्तु धीरे-धीरे उनकी मांगे बढ़ती जाती हैं और वे कोयला कंपनियों से सहायता-अनुदान प्राप्त करने वाले निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों के साथ समानता चाहना शुरू कर देते हैं । केवल इतना ही नहीं, वे पी.एस.यू. में समाहित किए जाने और राज्य सरकार के अध्यापकों के समान वेतन का भुगतान किए जाने की भी मांग करते हैं ।

इन स्कूलों को दिए जा रहे अनुदान की मात्रा को समय-समय पर बढ़ाया गया है। हाल ही में, कोयला एवं खान मंत्री की सलाह पर, कोयला कंपनियों को, 2000 रू. प्रतिमाह प्रति अध्यापक के अनुदान को बढ़ाकर 2500/- रू. करने का सुझाव दिया गया है ।

विधायी विकास

पी.एस.यू. द्वारा इन कदमों को उठाए जाने के बावजूद, निजी प्रबंधित स्कूलों के अध्यापक संतुष्ट नहीं हुए हैं । झारखंड उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिकाओं में, अध्यापकों ने, अन्य बातों के साथ-साथ झारखंड सरकार के अध्यापकों अथवा बीसीसीएल के क्लर्कों के समान वेतनमान दिए जाने अथवा बीसीसीएल में समाहित किए जाने अथवा इन सभी स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा अधिकार में लिए जाने की मांग की थी । माननीय रांची उच्च न्यायालय ने 2000 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2226 के संबंध में दिनांक 10.9.2002 के

अपने निर्णय में बीसीसीएल को उसके द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को बीसीसीएल में समतुल्य लिपकीय ग्रेड के समान वेतन देने का निर्देश दिया ।

उपर्युक्त आदेश से दुखी होकर, बीसीसीएल ने एक अपील दायर की और रांची उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 12.12.2002 के आदेश के माध्यम से 2000 के सीडब्ल्यूजेसी सं. 2226 में पारित अपने पूर्ववर्ती आदेश को स्थगित कर दिया । तदुपरान्त, मामले पर 23.1.2003 को सुनवाई हुई और न्यायालय ने बीसीसीएल के संदर्भ में स्कूली अध्यापकों की सभी समस्याओं को देखने के लिए बीसीसीएल, झारखंड राज्य और निदेशक, इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति गठित करने का निदेश दिया । अन्य बातों के अतिरिक्त, न्यायालय ने समिति को स्कूलों की कार्य-प्रणाली की जांच करने तथा इस बात की भी जांच करने का निदेश दिया कि क्या स्कूलों और कार्य-बल की संख्या को काफी हद तक कम करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके । समिति ने 5.11.2003 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और रांची उच्च न्यायालय ने अपने 21.1.2004 के आदेश में याचिका को खारिज कर दिया और बीसीसीएल द्वारा दायर की गई अपील को कायम रखा ।

महानदी कोलफील्ड्स लि0 के कमांड क्षेत्र में कार्य कर रहे एक निजी रूप से प्रबंधित स्कूल में काम करने वाले कुछ अध्यापकों द्वारा दायर की गई इसी प्रकार की एक रिट याचिका में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 3.12.1999 को आदेश में उड़ीसा सरकार को स्कूल को अपने अधिकार में लेने के भार से मुक्त करने का निदेश दिया । सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त स्कूल को कुछ सहायता-अनुदान देना जारी रखने के एमसीएल के प्रस्ताव को केवल मान्यता दी ।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन

प्रस्तावना

कोयला खान भविष्य निधि संगठन, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत गठित एक स्वायत्तशासी निकाय है । कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त कोयला खान भविष्य निधि संगठन के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं । वे कोयलाधारी राज्यों में स्थित 23 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, 1603 की स्वीकृत क्षमता में से 1350 कार्मिकों को नियोजित करते हुए संगठन को प्रशासित करते हैं ।

संगठन निम्नलिखित योजनाओं को प्रशासित करता है -- कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948, कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 जिसके स्थान पर एक नई योजना नामतः कोयला खान पेंशन योजना, 1998 आ गई है,जोकि 31.3.1998 से प्रभावी हुई हैं और कोयला खान जमा सहबद्ध बीमा योजना, 1976 । ये सभी योजनाएं उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत तैयार की गई हैं ।

संगठन की निधि एक त्रिपक्षीय निकाय से प्रशासित होती हे, जिसे न्यासी बोर्ड कहा जाता है । इसमें निम्नलिखित के प्रतिनिधि शामिल होते हैं- (1) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार (2) नियोजक (3) नियोक्ता/न्यासी बोर्ड कोयला मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है । बोर्ड प्रत्येक बैठक में संगठन की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करता है ।

सीएमपीएफ संगठन के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक कोयला खान पेंशन योजना, 1998 को शुरू किया जाना है जो 31 मार्च, 1998 से लागू हुई है । यह योजना देश में लगभग 8 लाख कोयला श्रमिकें को लाभ देगी । कोयला खान पेंशन योजना, 1998 को लागू किए जाने के बाद से, तत्कालीन परिवार पेंशन योजना, 1971 का प्रचालन बंद हो गया है । तथापि, वे पेंशनभोगी, जो तत्कालीन परिवार पेंशन योजना, 1971 के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे थे, वे पुरानी कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करते रहेंगे ।

अध्याय - 9

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

विदेशी सहयोग

देश की कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन में अग्रणी देशों के साथ निम्नलिखित कारणों से सहयोग किया जाता हैः-

(क) कोयला उद्योग में कार्य-कुशल प्रबंधन और कार्य-क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण आदि हेतु भूमिगत एवं ओपनकास्ट, दोनों ही क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी लाना ।

(ख) उन उपकरणों के आयात के लिए द्विपक्षीय निधियां प्राप्त करना जिनका देश में निर्माण नहीं किया जाता है ।

(ग) निवेश संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त करना ।

इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए फ्रांस, जर्मनी, रूस, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा चीन के साथ कोयले के संबंध में एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया था । कोयला मंत्रालय भी पोलैण्ड के साथ संयुक्त आयोग के लिए नोडल विभाग है । प्राथमिक क्षेत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आधुनिक भूमिगत खनन प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण, उच्च उत्पादक ओपनकास्ट खनन प्रौद्योगिकी को शुरू करना, कठिन परिस्थितियों में भूमिगत खनन कार्य करना, अग्नि नियंत्रण तथा खान सुरक्षा शामिल हैं । भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षित करना तथा प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना भी महत्वपूर्ण विचार है । अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किए जाने से लागत प्रतिस्पर्द्धा आधार पर विदेशी निवेश/सहायता प्राप्त करने पर अधिक बल दिया जा रहा है ।

सी.आई.एल. द्वारा अपनाई जा रही नवीनतम नीति का उद्देश्य वैश्विक निविदा के द्वारा टेक्नोलॉजी के उन्नयन को प्रोत्साहित करना है । यद्यपि द्विपक्षीय सहयोग सीमित है, फिर भी यह नई प्रौद्योगिकी के स्रोतों और प्रक्रिया सुधार की खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना जारी रखे हुए है। वैश्विक निविदा के दृष्टिकोण को एस.ई.सी.एल. तथा डब्ल्यू.सी.एल. में उच्च उत्पादकता वाले सतत खनिकों को प्रारंभ करने के लिए अपनाया गया है । द्विपक्षीय सहयोग की पद्धति को एस.ई.सी.एल. की 3 खानों में पी.एस.एल.डब्ल्यू. खनन प्रारंभ करने के लिए अपनाया गया है ।

फ्रांस के साथ सहयोग

फ्रांस ने विस्फोटन गैलरी तथा लांगवाल सब-लेवल केविंग जैसी उन्नत तकनीक को प्रारंभ करके मोटी सीम के भूमिगत खनन में विशेषज्ञता विकसित की है । इसने ईस्ट कटरास(भा.को.को.लि.) तथा चोरा (ई.सी.एल.) में विस्फोटन गैलरी प्रणाली शुरू करने में भारत की सहायता की है । फ्रांस ने बी.सी.सी.एल. की ईस्ट कटरास खान में सब-लेवल केविंग प्रौद्योगिकी शुरू करने में भी सहायता दी है । फ्रांस ने ई.सी.एल. की कोटाडीह परियोजना में हाई फेस लांगवाल खनन प्रौद्योगिकी शुरू करने में भी सहयोग दिया है । एस.सी.सी.एल. में जी.डी.के.-10 (ब्लाक- बी) तथा जी.डी.के.-8 इन्क्लाइन परियोजनाओं को फ्रांस की सहायता से विस्फोटन गैलरी प्रौद्योगिकी आरंभ करने के लिए आरंभ किया गया था। ये दोनों परियोजनाएं पहले ही पूरी कर ली गई हैं । एस.सी.सी.एल. ने वी.के.-7 परियोजना में विस्फोटन गैलरी प्रणाली आरंभ करने के लिए एक अन्य करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं ।

दोनों देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने तथा विशेष रूप से कोयला उद्योग में सहयोग के क्षेत्र को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से, कोयले के संबंध में एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया था, जो द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत आने वाली विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए वार्षिक बैठक आयोजित करता है । कोयला क्षेत्र में फ्रांस के साथ घटते सहयोग के दृष्टिगत इस कार्यकारी दल को ऊर्जा पर प्रस्तावित कार्यकारी दल के साथ मिलाने का निर्णय लिया गया है । ऊर्जा संबंधी कार्यदल की अभी तक तीन बैठकें हो चुकी हैं और ऊर्जा पर कार्यदल की पिछली बैठक 14 नवम्बर, 2002 को नई दिल्ली में हुई थी ।

यू.के. के साथ सहयोग

जनवरी, 1997 में कोयला क्षेत्र में दोनों देशों के बीच और अधिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत-ब्रिटेन कोयला फोरम (आई.बी.सी.एफ.) का गठन किया गया था । उक्त फोरम भारत सरकार तथा यू.के. के तत्वावधान में दोनों देशों के कोयला उद्योगों के बीच पारस्परिक परामर्श तथा सहयोग का एक मंच प्रदान करता है । समझौता ज्ञापन में विचारित क्रियाकलापों में ये शामिल हैं - अद्यतन प्रौद्योगिकी की जानकारी का आदान-प्रदान करना, सूचना के आदान-प्रदान हेतु बैठकों का आयोजन करना, उपयुक्त परियोजनाओं के साथ-साथ वित्त पोषण की पद्धतियों की पहचान करना, भारतीय कोयला उद्योग में और अधिक कार्य-कुशल प्रबंधन हेतु अनुकूल प्रौद्योगिकी की शुरूआत करना तथा कार्य-दक्षता का विकास करना आदि । इन उद्देश्यों के अनुपालन में अब तक ग्यारह बैठकें हो चुकी हैं । आई.बी.सी.एफ. की ग्यारहवीं

बैठक 26 नवम्बर, 2004 को कोलकाता में हुई। अगली बैठक के लिए परस्पर सुविधाजनक तारीख और स्थान का निर्णय बाद में लिया जाएगा।

पोलैंड के साथ सहयोग

14 जनवरी, 2004 से पूर्व कोयला मंत्रालय आर्थिक, व्यापारिक , वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के संबंध में भारत-पोलैंड संयुक्त आयोग के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा था । इस संयुक्त आयोग की पिछली (14वीं) बैठक जनवरी, 1996 में हुई थी । इस आयोग की 4 उप-समितियां हैं - (1) कोयला खनन तथा विद्युत (2) व्यापार,(3) उद्योग और (4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी।

कोयला क्षेत्र में पोलैंड के साथ जो परियोजनाएं पहले शुरू की गई थी उन्हें पूरा कर लिया गया है । पोलैंड कोयला उद्योग ने भूमिगत खनन, वाशरी निर्माण, तापीय विद्युत उत्पादन, खान सुरक्षा तथा बचाव के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता की पेशकश की है। कोयला क्षेत्र में भारत-पोलैंड सहयोग को और बढ़ाए जाने हेतु दोनों पक्षों ने कोयला क्षेत्र के लिए एक कार्यदल का गठन करने का निर्णय लिया था । भारत-पोलैंड के कोयला संबंधी कार्यदल की अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं । पिछली बैठक 3-4 सितम्बर, 2002 को नई दिल्ली, भारत में हुई थी ।

विदेश मंत्रालय ने 14 जनवरी, 2004 के अपने अर्धशासकीय पत्र सं. 184/एफ.एस./ 2004 के तहत वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) को, भारत की ओर से आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-पोलैण्ड संयुक्त आयोग के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है । कोयला मंत्रालय में 22 नवम्बर, 2004 को पौलेंड के शिष्टमंडल के साथ एक बैठक हुई। अगली बैठक की तारीख और स्थान परस्पर सुविधा के अनुरूप यथा-समय तय किया जाएगा ।

रूस के साथ सहयोग

पूर्ववर्ती यू.एस.एस.आर., कोल इंडिया लि0 को निगाही ओपनकास्ट परियोजना (नार्दर्न कोलफील्ड्स लि0), खड़िया ओपनकास्ट परियोजना (नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.), झांजरा भूमिगत परियोजना (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.) आदि के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान कर रहा था । इन परियोजनाओं के लिए आयातित उपकरण की लागत को उपलब्ध ऋण द्वारा वित्त-पोषित किया

गया, जबकि तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित भुगतान द्विपक्षीय व्यापार योजना के अंतर्गत भारतीय रूपए में किया गया ।

कोयला संबंधी भारत-रूस कार्यदल की अब तक 9 बैठकें हुई हैं। तलचर, ईब-घाटी और कोरबा कोलफील्ड्स की मास्टर प्लानिंग को रूस के सहयोग से पूरा किया गया है।

सी.एम.पी.डी.आई. तथा "जिपरोशखट" के बीच सहयोग को इन संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापन के नवीकरण द्वारा अधिक सशक्त बना दिया गया है तथा इसे सी.एम.पी.डी.आई. तथा वी.एन.आई.एम.आई. के बीच स्थापित किया जा रहा है ।

रूसी पक्षकार ने यह सूचित किया है कि यदि भारतीय पक्षकार इच्छुक हों तो वे एक अलग समझौते के माध्यम से भौतिक-रसायनिक शिथिलन के आधार पर मोटी और खड़ी भारतीय कोयला सीमों के खनन पर विचार करने तथा निर्दिष्ट कोयला भंडारों का आवश्यक विवरण उपलब्ध कराने की स्थिति में है । भारतीय पक्षकार इन पद्धतियों का अधिक ब्यौरा प्राप्त करने का इच्छुक है ।

कजाकिस्तान के साथ सहयोग

कजाकिस्तान के औद्योगिक तथा अभिनव विकास, जिसमें कोयला परियोजनाएं भी शामिल हैं, की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में कजाकिस्तान गणराज्य के दूतावास से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

मोजाम्बिक के साथ सहयोग

मोजाम्बिक एक संस्थागत ढांचा बनाए रखने के लिए उत्सुक है जिसके माध्यम से दोनों सरकारों के बीच कोयला क्षेत्र में सतत तकनीकी सहयोग तथा पारस्परिक सहायता स्थापित की जा सकती है । सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि0 (एस.सी.सी.एल.), सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0 (सीएमपीडीआईएल) तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) ने अन्वेषण, योजना/व्यवहार्यता रिपोर्ट/परियोजना रिपोर्ट, सर्वेक्षण, खनन पद्धतियां तैयार करने तथा तापीय विद्युत गृहों के निर्माण, प्रारंभ, प्रचालन और रख-रखाव में अपनी सेवाएं प्रदान करने की पेशकश की है।

एक संयुक्त कार्यदल मोजाम्बिक के साथ संयुक्त कार्यदल को बल देने की संभावना की जांच करने के लिए गठित किया जा रहा है ताकि निवेश अवसरों को व्यापार कार्यों में परिणत किया जा सके । आर्थिक कार्य विभाग भी मोजाम्बिक में कोयले की खनन रियायत प्राप्त करने की भारतीय विकास पहलकदमी के एक भाग के रूप में कोयला खनन को शामिल करने की संभावना की जांच करता है ।

विदेश मंत्रालय के परामर्श से आगे तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं ।

विदेशों में कोयला परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण

चार अधिकारियों वाली कोल विदेश टीम ने प्रचालनरत खानों/कार्यान्वयनाधीन नई परियोजनाओं तथा हरित क्षेत्र वाले कोयला ब्लाकों में स्टेक अधिगृहीत करने की संभावना का पता लगाने के उद्देश्य से मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे तथा मोजाम्बिक का दौरा किया।

दक्षिण अफ्रीका में सीमित कोकिंग कोयला भंडार हैं, इसलिए केवल निम्न राख तत्व वाले तापीय कोयले के लिए अवसर विद्यमान हैं। सीआईएल को अवगत कराया गया है कि बीएचपी बिलियन, रियो टिंटो अथवा एनाग्लो कोल जैसे कोयला एमएनसी के पास संयुक्त पहल करने के अधिक संसाधन नहीं हैं। अतः दक्षिण अफ्रीका में नीतिगत प्रवेश के अवसर,, ब्लैक इकोनोमिक इम्पावरमेंट (बीईई) संगठन, जो कोयला क्षेत्र में कार्यरत हैं, के साथ भागीदारी के माध्यम से विद्यमान है।

सीआईएल में, कुम्बा रिसोर्सिज, आईसिज्वे, शान्डुका जैसी उन प्रमुख बीईई कोयला कम्पनियों के साथ बैठकें की थी जिन्होंने सीआईएल के साथ भागीदारी करने के मुद्दे की जांच करने का अपना इरादा व्यक्त किया है।

कोल इंडिया लि., मैसर्स जिम्बाब्वे विद्युत आपूर्ति प्राधिकरण (जेडईएसए) होल्डिंग्स प्रा.लि., जो जिम्बाब्वे सरकार के आर्गेनाइजेशन का एक उपक्रम है, के साथ दो कोयला ब्लाकों के अन्वेषण तथा विकास में भागीदारी करने के प्रगामी चरण पर है।

कोल इंडिया लि. भी अन्वेषण अधिकार प्राप्त करने के लिए ब्लाक का पता लगाने की प्रक्रिया में है, इसने उन कई कम्पनियों, जिनके पास कोयलाधारी टेट प्रान्त का अन्वेषण लाइसेन्स प्राप्त है, के साथ भागीदारी करने के लिए वार्ता भी शुरू की है।

कनाडा के साथ सहयोग

कोयला संबंधी भारत-कनाडा कार्यदल की बैठक 24-30 जून, 2003 के दौरान कनाडा में हुई थी । तत्कालीन संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार तथा सी.एम.डी., ई.सी.एल. के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने बैठक के दौरान ई.सी.एल. की राजमहल विस्तार परियोजना के बारे में चर्चा की थी।

चीन के साथ सहयोग

कोयले पर भारत-चीन संयुक्त कार्यदल की 10वीं बैठक 10-11 नवम्बर, 2005 का संघाई, लोक गणराज्य चीन में हुई । चीनी शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री झाओ टीचुई, कार्य सुरक्षा राज्य प्रशासन (एस.डब्ल्यू.ए.एस.) कोयला खान सुरक्षा राज्य प्रशासन (एस.ए.सी.एम.एस.), चीनी गणतंत्र के प्रशासक द्वारा किया गया और भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री पी.सी.पारख, सचिव(कोयला)ने किया । बैठक की कार्य-सूची निम्नलिखित थीः-

1. 9वें भारत चीन सेशन के सम्पन्न मुद्दों की समीक्षा ।
2. भारतीय भूमिगत खानों में लांगवाल तथा शार्टवाल प्रौद्योगिकी का प्रयोग ।
3. पिल्लरों के निष्कर्षण की लांगवाल/शार्टवाल पद्धति को अपनाना ।
4. गहरी शाफ्ट सिंकिंग के लिए प्रौद्योगिकी ।
5. सी.बी.एम. में संयुक्त अनुसंधान/पायलट परियोजनाएं ।
6. यू.सी.जी. में संयुक्त अनुसंधान/पायलट परियोजनाएं ।
7. क्षमता निर्माण में सहयोग ।
8. निवेश के अवसर ।
9. कोयले का द्रवीकरण ।
10. खनन श्रमिकों का पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्वास ।

अध्याय-10

आयोजना

योजना आयोग द्वारा 2005-06 के लिए कुल कच्चे कोयले की मांग मूलतः 445.65 मिलियन टन (मिडलिंग का 3.64 मिलियन टन) निर्धारित की गई है और अखिल भारतीय कोयला उत्पादन का लक्ष्य 405.38 मिलियन टन (सीआईएल-343.00 मिलियन टन, एससीसीएल-36.00 मिलियन टन और अन्य 26.38 मिलियन टन) निर्धारित किया गया है। मध्यावधि समीक्षा के दौरान कुल कच्चे कोयले की मांग 448.73 मि.ट. (मिडलिंग का 3.33 मिलियन टन) अनुमानित की गयी है और अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 404.78 मि.ट. (सीआईएल-345.81, एससीसीएल-36.00 मि.ट. अन्य - 22.97 मि.ट.) अनुमानित किया गया है। कोयले की आपूर्ति और मांग के बीच के अन्तर को भंडार की उपलब्धता और कोयले के आयात के माध्यम से पूरा किया जाएगा। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने लिग्नाइट उत्पादन का लक्ष्य 20.40 मिलियन टन निर्धारित किया है ।

कोयला और लिग्नाइट के लिए वर्ष 2005-06 का योजनागत परिव्यय मूल रूप से 4001.40 करोड़ रू. (एनईसी के लिए निर्दिष्ट किया जाने वाले बजटीय प्रावधान का 10% मिलाकर) निर्धारित किया गया था। मध्यावधि समीक्षा के दौरान इसे संशोधित करके 3164.76 करोड़ रू. कर दिया गया है । कम्पनी वार/योजना वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(करोड़ रू. में)

कम्पनी/योजनाएं	राशि (ब.अ.)	राशि (सं.अ.)
कोल इंडिया लि.	2814.00	2224.00
एससीसीएल	395.00	395.00
एनएलसी (खान)	274.44	250.70
एनएलसी (विद्युत)	365.56	117.30
एस एंड टी	20.08	14.85
क्षेत्रीय अन्वेषण	49.88	52.89
पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण	44.86	30.41
विस्तृत ड्रिलिंग	18.81	22.76
कोयला नियंत्रक	0.22	0.22

सूचना प्रौद्योगिकी	3.00	3.00
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	0.00	35.85
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एकमुश्त प्रावधान	15.20	17.78
सकल जोड़	4001.40	3164.76

अध्याय-11

कोल इंडिया लिमिटेड तथा एन.एल.सी. में बोर्ड स्तरीय नियुक्तियां

कोल इंडिया लि., इसकी सहायक कंपनियों तथा एन.एल.सी. लि. में बोर्ड स्तरीय पदों को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशों पर तथा ए.सी.सी. के अनुमोदन से भरा जाता हैं । 17-11-2005 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि., इसकी सहायक कंपनियों तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के सी.एम.डी/ कार्यकारी निदेशकों की पदधारिता अनुबंध-I में दी गई है :

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तरीय रिक्त पदों के बारे में स्थिति नीचे दर्शायी गई है :

(19.12.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	पद का नाम	तारीख जिससे रिक्त है	स्थिति
1	निदेशक(तकनीकी) सीएमपीडीआईएल	4.2.2005	श्री जी.एस. चुग के पदमुक्त हो जाने के परिणामस्वरूप रिक्ति हुई। 2-4 मई, 2005 को हुए साक्षात्कार के आधार पर पी.ई.एस.बी ने श्री आर.पी. सिन्हा के नाम की सिफारिश की है। 9.5.2005 को सतर्कता अनुभाग ने सीवीसी से उनकी क्लीयरेंस प्राप्त करने का अनुरोध किया है। सीवीसी ने सतर्कता क्लीरेंयस पर रोक लगा दी। पीईएसबी को दूसरा नाम बताने का अनुरोध किया गया। पीईएसबी ने श्री एस.आर. घोष के नाम की सिफारिश की। सीआईएल से सूचना प्राप्त हो गई है। सतर्कता स्वीकृति प्राप्त होनी बाकी है।
2.	निदेशक(तकनीकी) बीसीसीएल	1.5.2005	पीईएसबी ने 19.11.04 को श्री एन. प्रसाद के नाम की सिफारिश की थी। इस प्रस्ताव को 1.6.05 को एसीसी को भेजा गया। एसीसी की सिफारिश पर पीईएसबी को दूसरे उम्मीदवार का नाम बताने का अनुरोध किया गया। पीईएसबी ने श्री आर.पी. सिन्हा के नाम का सुझाव दिया। श्री

			सिन्हा के आवश्यक दस्तावेजों सहित फाइल ईओ के भेजने के लिए राज्य मंत्री के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई। दुबारा इस प्रस्ताव को 22.9.05 को ईओ को भेजा गया। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने 26.10.05 को पीईएसबी पेनल को समाप्त कर दिया। सीआईएल को नाम भेजने का अनुरोध किया गया है। पीईएसबी ने 22.11.05 को साक्षात्कार आयोजित किया और श्री एस.एन. कटियार की दिनांक 24.11.05 के पैनल के माध्यम से सिफारिश की। सीआईएल से सूचना मांगी गई और सतर्कता अनुभाग से सतर्कता स्वीकृति मांगी गई। सीआईएल से सूचना प्राप्त हुई है।
3.	निदेशक (तकनीकी) सीएमपीडीआई	1.2.2006	2-4 मई, 2005 को हुए साक्षात्कार के आधार पर पीईएसबी ने श्री एस. चक्रवर्ती के नाम की सिफारिश की। 9.5.05 को सतर्कता अनुभाग को सीवीसी का अनुमोदन प्राप्त करने का अनुरोध किया गया। सीवीसी का अनुमोदन प्राप्त हो गया। प्रस्ताव को 6.7.05 को ईओ को भेज दिया गया जिसे इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया कि इस मामले को रिक्ति होने के दो महीने पहले भेजा जाए। नई सतर्कता स्वीकृति मांगी गई है और इसकी प्रतीक्षा है।
4.	निदेशक(वित्त) एनसीएल	1.2.2006	पीईएसबी ने 14.2.2005 को यह रिक्ति परिचालित की। सीआईएल से प्राप्त 22 उम्मीदवारों के नामों को पीईएसबी को भेजा गया है। पीईएसबी ने 25-26 जुलाई, 2005 को साक्षात्कार लिया। पीईएसबी से पैनल प्राप्त किया गया तथा सतर्कता अनुमोदन लिया गया तथा सीआईएल से श्री एस.एन. चौधुरी के संबंध में दस्तावेज मांगे गए। फाइल कोयला राज्य मंत्री को प्रस्तुत की गई है। 15.9.05 को प्रस्ताव को ईओ को भेजा गया। नियुक्ति आदेश 8.11.05 को जारी किए गए परन्तु वे केवल 1.2.2006 को तथा इसके बाद कार्यभार सम्भालेंगे।
5.	निदेशक(वित्त) ईसीएल	1.4.06	पीईएसबी ने 21.4.05 को रिक्ति परिचालित की। सीआईएल को 28.4.05 को नाम भेजने के लिए कहा गया। 31 उम्मीदवारों के नाम 26.5.05 को

			पीईएसबी को भेजे गए। पीईएसबी ने 25-26 जुलाई, 2005 को साक्षात्कार लिया। पीईएसबी से पैनल प्राप्त किया गया, सतर्कता अनुमोदन प्राप्त किया गया और श्री ए.के. सिन्हा के बारे में सीआईएल से दस्तावेज मांगे गए। दिसम्बर, 05/जनवरी, 06 में फाइल प्रस्तुत करनी है। नई सतर्कता स्वीकृति मांगी जा रही है।
6.	सीएमडी एसईसीएल	1.6.06	श्री एम.के. थापर के पदमुक्त होने के परिणामस्वरूप रिक्ति के संबंध में 4.1.05 को पीईएसबी को सूचित कर दिया गया। पीईएसबी ने कार्य का ब्यौरा परिचालित किया है। सीआईएल को आन्तरिक उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए कहा गया। 30 उम्मीदवारों के नाम पीईएसबी को भेजे गए। पीईएसबी ने 22.11.05 को साक्षात्कार आयोजित किया और 24.11.05 के पैनल के माध्यम से श्री बी.के. सिन्हा की सिफारिश की। सीआईएल से सूचना मांगी गई और सतर्कता अनुभाग से सतर्कता स्वीकृति मांगी गई। सीआईएल से सूचना प्राप्त हो गई है।
7.	निदेशक(तकनीकी) ईसीएल	1.7.05	श्री डी. चक्रवर्ती के पदमुक्त होने के परिणामस्वरूप रिक्ति हुई। 1.7.05 को पीईएसबी को रिक्ति की सूचना दी गई। सीआईएल से आन्तरिक उम्मीदवारों के नाम मांगे गए। 24.10.05 को पीईएसबी को 40 नाम भेजे गए। पीईएसबी ने 22-24/11/05 को साक्षात्कार आयोजित किया और 24.11.05 के पैनल के माध्यम से श्री ए.के. पॉल की सिफारिश की। सीआईएल से सूचना मांगी गई और सतर्कता अनुभाग से सतर्कता स्वीकृति मांगी गई। सीआईएल से सूचना प्राप्त हुई है।
8.	सीएमडी, सीआईएल	1.10.06	श्री शशि कुमार के 30.9.06 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण होने वाली रिक्ति के बारे में पीईएसबी को 4.8.05 को सूचित किया गया। पीईएसबी ने 20.10.05 की रिक्ति परिचालित की। सीआईएल ने 2 नाम भेजे और अभी तक एनएलसी से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। एनएलसी को अनुस्मारक भेजा गया है।
9.	निदेशक(वित्त)	1.7.06	श्री डी.के. वर्मा के 30.6.06 को सेवानिवृत्त के

	सीआईएल		कारण होने वाली रिक्ति से पीईएसबी को 4.1.05 को सूचित किया गया। सीआईएल से आन्तरिक उम्मीदवारों के नाम मांगे गए। 14.10.05 को 4 उम्मीदवारों के नाम पीईएसबी को भेजे गए। पीईएसबी ने 22.11.05 को साक्षात्कार लिया और 24.11.05 के पैनल के माध्यम से श्री एस. भट्टाचार्य की सिफारिश की। सीआईएल से सूचना मांगी गई और सतर्कता अनुभाग से सतर्कता स्वीकृति मांगी गई। सीआईएल से सूचना प्राप्त हो गई है।
10.	निदेशक(कार्मिक) डब्ल्यूसीएल	29.10.06	श्री एस.ए. यूसूफ का कार्यकाल पूरा हो जाने के फलस्वरूप होने वाली रिक्ति के बारे में 2.9.05 को पीईएसबी को सूचित कर दिया गया है।
11.	निदेशक(तकनीकी) सीआईएल	1.1.2007	श्री एल. झा की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप होने वाली रिक्ति के बारे में 2.9.05 को पीईएसबी को सूचित कर दिया गया है।
12	निदेशक(पी एण्ड आईआर) सीआईएल	1.6.07	श्री मोहम्मद सलीमउद्दीन की सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली रिक्ति के बारे में पीईएसबी को 2.9.05 को सूचित कर दिया गया है।
13.	निदेशक(तकनीकी) सीसीएल	1.1.2007	श्री एम.एम. सिंह की सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली रिक्ति के बारे में पीईएसबी को 2.9.05 को सूचित कर दिया गया है।
14.	निदेशक(कार्मिक) सीसीएल	1.6.2007	श्री अजय कुमार की सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली रिक्ति के बारे में पीईएसबी को 2.9.05 को सूचित कर दिया गया है।
15.	सीएमडी ईसीएल	1.4.2007	श्री डी. चक्रवर्ती की सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली रिक्ति के बारे में पीईएसबी को 2.9.05 को सूचित कर दिया गया है।
16	सीएमडी डब्ल्यूसीएल	1.5.2007	श्री जी.एस. चुग की सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली रिक्ति के बारे में पीईएसबी को 2.9.05 को सूचित कर दिया गया है।
17	निदेशक (तकनीकी) एसईसीएल	1.5.2007	श्री टी.पी. श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली रिक्ति के बारे में पीईएसबी को 2.9.05 को सूचित कर दिया गया है।
18	निदेशक (कार्मिक) एसईसीएल	1.10.2007	श्री के.के. श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली रिक्ति के बारे में पीईएसबी को 2.9.05 को सूचित कर दिया गया है।
19	सीएमडी	1.9.2007	श्री अभिराम शर्मा की सेवानिवृत्ति के कारण होने

	एमसीएल		वाली रिक्ति के बारे में पीईएसबी को 2.9.05 को सूचित कर दिया गया है।
20	निदेशक (वित्त) एमसीएल	1.2.2007	श्री बी.एम. नाग की सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली रिक्ति के बारे में पीईएसबी को 2.9.05 को सूचित कर दिया गया है।
21	निदेशक (तकनीकी) सीएमपीडीआईएल	1.8.2007	श्री पी.के. कंचन की सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली रिक्ति के बारे में पीईएसबी को 2.9.05 को सूचित कर दिया गया है।
22	निदेशक (तकनीकी) एनसीएल	1.8.2006	श्री ए.एन. सिंह की सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली रिक्ति के बारे में पीईएसबी को 2.9.05 को सूचित कर दिया गया है। पीईएसबी ने 8.8.05 को रिक्ति परिचालित की। 16 नाम पीईएसबी को 24.10.05 को भेज दिए गए। पीईएसबी ने 22-24/11/05 को साक्षात्कार आयोजित किया और 24.11.05 के पैनल के माध्यम से श्री पी.के. सक्सेना की सिफारिश की। सीआईएल से सूचना मांगी गई और सतर्कता अनुभाग से सतर्कता स्वीकृति मांगी गई। सीआईएल से सूचना प्राप्त हो गई है।
23	निदेशक (तकनीकी) एसईसीएल	1.10.06	श्री सी.एल. श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली रिक्ति के बारे में पीईएसबी को 2.9.05 को सूचित कर दिया गया है। रिक्ति पीईएसबी ने परिचालित की है। पीईएसबी को नाम भेज दिए गए हैं। पीईएसबी ने 22-24/11/05 को आयोजित किया और 24.11.05 के पैनल के माध्यम से श्री वी. शॉनी की सिफारिश की। सीआईएल से सूचना मांगी गई और सतर्कता अनुभाग से सतर्कता स्वीकृति मांगी गई। सीआईएल से सूचना प्राप्त हो गई है।
24	निदेशक (वित्त) बीसीसीएल	4.10.05	श्री के. रंगानाथन की निदेशक (विपणन) सीआईएल के रूप में पदोन्नति के कारण होने वाली रिक्ति को 15.10.05 को पीईएसबी को सूचित कर दिया गया है। पीईएसबी ने 25.10.05 को रिक्ति परिचालित की। सीआईएल से आंतरिक उम्मीदवारों के नाम प्राप्त हो गए हैं। पीईएसबी को भेज दिए गए है। पीईएसबी द्वारा 26.12.2005 को साक्षात्कार आयोजित किया जाना निर्धारित है।

कोयला नियंत्रक संगठन और भुगतान आयुक्त के कार्यालयों में कर्मचारियों की कटौती

कोयला नियंत्रक का संगठन में कर्मचारियों की कटौती

व्यय सुधार आयोग ने यह सिफारिश की थी कि-

" कोयला नियंत्रक के कार्यालय में कार्य काफी कम हो जाने के कारण इस कार्यालय को सीधे समाप्त किया जा सकता है और कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 के अंतर्गत कोयला नियंत्रक के कार्य आराम से निबटाए जा सकते हैं ।

मंत्रालय के विचार/टिप्पणियां

कोयला नियंत्रक का संगठन समाप्त किए जाने की स्थिति में इसे कोयला विकास प्राधिकरण के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है । कोयला संरक्षण विकास (सीसीडी) अधिनियम की धारा 7 में अधिनियम की धारा 6 के तहत स्वदेशीय कोयले पर लगे उत्पादन शुल्क की बराबर की दर पर सभी आयातित कोयला, हार्ड कोक तथा सोफ्ट कोक पर सीमा शुल्क लगाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दिया गया है । वर्तमान में सी.सी.डी. अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जा रहा है । राजस्व विभाग ने कोयला विभाग को सी.सी.डी. अधिनियम की धारा 7 के तहत सीमा शुल्क वसूल करने के लिए अपनी निजी एजेंसी स्थापित करने की सलाह दी है । सी.सी.डी. अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रस्तावित कोयला विकास प्राधिकरण द्वारा लगाए जाने वाले सीमा शुल्क की जांच की जाएगी। कोयला तथा लिग्नाइट परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, वन तथा पर्यावरणीय अनुमति के लिए एकल खिड़की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित कोयला विकास प्राधिकरण का उपयोग किया जाए ताकि निजी कंपनियां संबंधित राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार के विभागों में ऐसे मामलों की पैरवी न कर सकें ।

भुगतान आयुक्त के कार्यालय में कर्मचारियों की कटौती

व्यय सुधार आयोग ने यह सिफारिश की है कि -

" कोयला मंत्रालय को भुगतान आयुक्त के शेष कार्य को एक वर्ष के भीतर समाप्त करने की योजना बनानी चाहिए । शेष अनिर्णीत मामलों के संबंध में कार्रवाई मंत्रालय में की जानी चाहिए और विधि मंत्रालय से आवश्यक परामर्श करने के बाद इसे अंतिम रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए ।"

मंत्रालय का विचार है कि " अभी तक 204 ऐसी कोलियरियां हैं जिनके लेखे बंद किए जाने हैं । इसके अलावा 10.20 करोड़ रु. की राशि संवितरण के लिए लंबित पड़ी है । इसके साथ ही, पूर्ववर्ती कोलियरी स्वामियों के मुआवजे के भुगतान के विवादों से संबंधित अनेक ऐसे अदालती मामले हैं जिनके संबंध में भुगतान आयुक्त द्वारा कार्रवाई की जा रही है । इसको ध्यान में रखते हुए, भुगतान आयुक्त के कार्यालय को, रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के अनुसार, एक वर्ष के अंदर बंद करना संभव नहीं है ।"

व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) की सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक बैठक अपर सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में हुई और विभाग को कोयला नियंत्रक तथा भुगतान आयुक्त के कार्यालय में पदों को समाप्त करने की ई.आर.सी. सिफारिशों को पूर्णतः कार्यान्वित न कर पाने के लिए सचिवों की समिति(सीओएस) के साथ इस मामले को उठाने की सलाह दी गई थी। तथापि, मंत्रिमंडल सचिवालय ने अवलोकन किया कि कोयला मंत्रालय व्यय विभाग द्वारा उन्हें सूचित किए निर्णयों/टिप्पणियों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है। कोयला नियंत्रक के कार्यालय तथा भुगतान आयुक्त के कार्यालयों को समाप्त करने से छूट देने के बारे में सिफारिश सं. 12 के संबंध में हमारे प्रस्ताव तथा 40 पदों को समाप्त कर कोयला नियंत्रक के कार्यालय के कर्मचारियों को 217 से घटाकर 177 करने एवं सिफारिश सं. 12 में किए गए उल्लेख के अनुसार 17 सचिवालयी पदों को समाप्त करने के साथ-साथ 17 तकनीकी पदों के सृजन की अनुमति देने के संबंध में व्यय विभाग ने बताया कि उन्हें कोयला नियंत्रक को जारी रखने के बारे में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है बशर्ते कि कर्मचारियों की संख्या 177 पदों से अधिक न हो। जहां तक सिफारिश सं. 13 का संबंध है, यह अनुरोध किया गया कि भुगतान आयुक्त के कार्यालय को दो वर्ष के लिए तब तक जारी रखने की अनुमति दी जाए जब तक कि सिफारिश में किए गए उल्लेख के अनुसार बकाया मामलों की संख्या में कमी न हो जाए, व्यय विभाग ने बताया कि उन्हें इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि मौजूदा 22 पदों की कर्मचारियों की संख्या से बकाया कार्य दो वर्षों के भीतर पूरा हो जाता है और शेष कार्य दो वर्ष के बाद कोयला नियंत्रक को अन्तरित कर दिया जाता है।

व्यय विभाग द्वारा किए गए प्रस्ताव की सशर्त स्वीकार्यता को देखते हुए कोयला नियंत्रक के कार्यालय से सीसीओ की पुनर्संरचना के लिए एक संशोधित प्रस्ताव की मांग की गई है।

Annexure-I

INCUMBENCY OF CMDS/FUNCTIONAL DIRECTORS OF CIL, ITS SUBSIDIARIES AND NLC

1. Coal India Limited, Kolkata

Sl. No.	Name of Post	Name of incumbent S/Shri	Date of Birth	Date of superann-uation	Date of appointment	Tenure ending date
1.	CMD	Shashi Kumar	30.09.1946	30.09.2006	29.03.2005	30.09.2006
2.	Director(Technical)	L.Jha	19.12.1946	31.12.2006	10.3.2005 (AN)	31.12.2006
3.	Director(P&IR)	Md. Salimmudin	01.06.1947	31.05.2007	22.12.2003 (AN)	31.05.2007
4.	Director(Finance)	D.K.Verma	15.06.1946	30.06.2006	01.09.2002	30.06.2006
5.	Director(Marktg)	K.Ranganath	01.07.1952	30.6.2012	04.10.2005	03.10.2010

2. Bharat Coking Coal Limited

1.	CMD	P.S. Bhattacharyya	27.02.1951	28.02.2011	20.11.2003	19.11.2008
2.	Director(Technical)					
3.	Director(Technical)	D.K.Basu	10.05.1948	31.05.2008	12.08.05(AN)	31.05.2008
4.	Director(Finance)					
5.	Director(Personnel)	D.C.Garg	12.11.1954	30.11.2014	15.10.2004	14.10.2009

3. Central Coalfields Limited

1.	CMD	R.P.Ritolia	08.07.1948	31.07.2008	28.01.2005(AN)	31.07.2008
2.	Director(Technical)	M.M.Singh	18.12.1946	31.12.2006	28.10.2004	31.12.2006
3.	Director(Technical)	B.K.Sinha	10.7.1948	31.7.2008	13.3.2005(AN)	31.7.2008
4.	Director(Finance)	A.K.Sarkar	15.04.1951	30.04.2011	06.10.2004(AN)	6.10.2009
5.	Director(Personnel)	Ajay Kumar	06.05.1947	31.05.2007	16.12.03(AN)	31.05.2007

4. Eastern Coalfields Limited

1.	CMD	D. Chakraborty	16.03.1947	31.03.2007	30.06.2005	31.03.2007
2.	Director(Technical)	U.S. Upadhyay	25.01.1949	31.01.2009	14.08.2005	31.01.2009
3.	Director(Technical)					
4.	Director(Finance)	M.L.Sethia	03.03.1946	31.03.2006	31.07.1997 (AN)	31.03.2006
5.	Director(Personnel)	A. Chattopadhyay	5.1.1948	31.1.2008	19.10.2004	31.1.2008

5. Western Coalfields Limited

1.	CMD	G.S.Chug	30.4.1947	30.4.2007	4.02.2005	30.4.2007
2.	Director(Technical)	P.Nandan	03.07.1949	31.07.2009	01.05.2004	30.04.2009
3.	Director(Technical)	K.K.Sharan	01.06.1948	30.06.2008	12.08.05(AN)	30.06.2008
4.	Director(Finance)	S.Bhattacharya	4.1.1950	31.1.2010	6.10.2004(AN)	6.10.2009
5.	Director(Personnel)	S.A.Yusuf	14.12.1947	31.12.2007	29.10.2001	28.10.2006

6. Northern Coalfields Limited

1.	CMD	V.K.Singh	05.07.1948	31.07.2008	05.02.2004 (AN)	31.07.2008
2.	Director(Technical)	R.N.Roy	4.12.1947	31.12.2007	1.11.2004	31.12.2007
3.	Director(Technical)	A.N.Singh	20.7.1946	31.7.2006	17.9.2004	31.7.2006
4.	Director(Finance)	A.K.Das	31.01.1946	31.01.2006	24.07.1998	31.01.2006
5.	Director(Personnel)	S.K.Bartiyal	1.1.1948	31.12.2007	9.11.2005	31.12.2007

7. South Eastern Coalfields Limited

1.	CMD	M.K.Thapar	30.05.1946	31.05.2006	1.10.2002	31.05.2006
2.	Director(Technical)	C.L.Srivastava	10.09.1946	30.09.2006	02.08.2003	30.09.2006
3.	Director(Technical)	T.P.Srivastava	3.04.1947	30.04.2007	01.03.2004	30.04.2007
4.	Director(Finance)	P.N.Das	21.4.1948	30.4.2008	31.10.2005(AN)	30.04.2008
5.	Director(Personnel)	K.K.Srivastava	12.9.1947	30.9.2007	23.9.2004	30.9.2007

8. Mahanadi Coalfield Limited

1.	CMD	Abhiram Sharma	06.08.1947	31.08.2007	01.3.2005	31.08.2007
2.	Director(Technical)	V.K.Jain	24.09.1948	30.09.2008	01.10.2005	30.09.2008
3.	Director(Finance)	B.M.Nag	16.01.1947	31.01.2007	01.08.2002	31.01.2007
4.	Director(Personnel)	G.D.Gulab	08.02.1949	28.02.2009	1.02.2004	31.01.2009

9. Central Mine Planning and Design Institute Limited

1.	CMD	S.Chaudhuri	16.12.1947	31.12.2007	9.03.2005(AN)	31.12.2007
2.	Director(Technical)	S.L.Soni	06.01.1946	31.1.2006	15.1.2004(AN)	31.1.2006
3.	Director(Technical)	P.K.Kanchan	05.07.1947	31.12.2007	8.8.2005	31.12.2007
4.	Director(Technical)					
5.	Director(Technical)	N.C.Jha	2.1.1952	31.1.2012	1.11.05	31.10.2010

10. Neyveli Lignite Corporation Limited

1.	CMD	S.Jayaraman	10.05.1948	31.05.2008	01.07.2002	30.06.2007
2.	Director(Mines)	K.S. Anandan	05.04.1948	30.04.2008	01.09.2002	31.08.2007
3.	Director(Finance)	J.N.Prasanna Kumar	04.09.1949	30.09.2009	07.03.2003	06.03.2008
4.	Director(P&P)	A.R.Ansari	01.07.1952	30.06.2012	19.09.2003(AN)	19.09.2008
5.	Director(Personnel)	R.Narasimhan	16.09.1947	30.09.2007	04.01.1996	03.01.2006
6.	Director(Power)	V.Sethuraman	17.03.1950	31.03.2010	01.05.2005	31.03.2010

अध्याय - 12

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

मंत्रालय का हिंदी अनुभाग संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में हुई प्रगति का प्रबोधन करने के लिए जिम्मेदार है । कोयला मंत्रालय ने अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्तशासी निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ मिलकर राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार और प्रसार के अपने प्रयास जारी रखें हैं। मंत्रालय के साथ-साथ उसके नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्तशासी निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारी/कर्मचारी संघ की राजभाषा नीति के सांविधिक प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।

मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रोत्साहन योजनाएं चलाई गई हैं और समय-समय पर विशेष अपील/परिपत्र भी जारी किए जाते हैं । हिंदी में टिप्पण और मसौदा लेखन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, मंत्रालय के सभी अधिकारियों/अनुभागों में द्विभाषी मानक प्रारूप, शब्दकोष आदि वितरित किए गए हैं ।

मंत्रालय की वैबसाइट द्विभाषिक रूप (हिंदी/अंग्रेजी) में तैयार कर ली गई है और इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है ।

मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन सभी अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्तशासी निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति सुचारू रूप से कार्य कर रही है। उक्त समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं और इन बैठकों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने पर बल दिया जाता है ।

माननीय कोयला तथा खान राज्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय की प्रतिष्ठित उच्च-स्तरीय हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक 18 नवम्बर, 2005 को बुलाई गई। इस बैठक के दौरान माननीय मंत्री ने " कोयल " गृह - पत्रिका के 5वें अंक का विमोचन किया। समिति के सदस्यों ने पत्रिका की प्रशंसा की तथा इसे और अधिक उपयोगी बनाने का सुझाव दिया।

मंत्रालय ने राजभाषा विभाग के अनुदेशों के अनुसार प्रतिवर्ष हिंदी पखवाड़े का आयोजन जारी रखा है ।

हिंदी में कार्य करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की झिझक को दूर करने के लिए समय-समय पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन भी किया जाता है ।

अध्याय - 13

सतर्कता संबंधी कार्यकलाप एवं उपलब्धियाँ

सतर्कता ढांचा

कोयला मंत्रालय अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले दस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा एक स्वायत्तशासी निकाय के सतर्कता प्रशासन और मंत्रालय के स्टाफ के संबंध में सतर्कता निगरानी तथा पर्यवेक्षण का कार्य करता है । संयुक्त सचिव(कोयला) सह-मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय के सतर्कता ढांचे के प्रमुख है जिनकी इस कार्य में निदेशक(सतर्कता) एवं सतर्कता डेस्क सहायता करते हैं । कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनियों और एन.एल.सी. के सतर्कता स्कंधों के प्रमुख पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं । सी.एम.पी.एफ. संगठन में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) है। इन यूनिटों का गठन केंद्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार एवं संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है । सी.आई.एल., इसकी सहायक कंपनियों, एन.एल.सी. और सी.एम.पी.एफ. का सतर्कता संबंधी ढांचा **अनुबंध - I** में दिया गया है ।

कोयला और लिग्नाइट के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निगरानी प्राधिकारी होने के कारण मंत्रालय ने इन संगठनों में प्रचलित प्रक्रियाओं और पद्धतियों को कारगर बनाने पर पर्याप्त ध्यान दिया ताकि उनकी कार्य प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा सके और इस प्रकार भ्रष्टाचार के अवसरों को न्यूनतम किया जा सके। सतर्कता विभागों की कार्यपद्धति के प्रभावी पर्यवेक्षण और प्रबोधन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों का संयुक्त सचिव/मुख्य सतर्कता अधिकारी स्तर पर परस्पर विचार विमर्श होता रहता है ।

कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनियों, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन और कोयला खान भविष्य निधि संगठन के सतर्कता विभागों के कार्यों को निगरानी करता है । सी.आई.एल. का सतर्कता विभाग सहायक कंपनियों के सतर्कता स्कंधों के कार्यकलापों का समन्वयन कार्य भी करता है और साथ ही कोयला मंत्रालय तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए सूचना/आंकड़े आदि संकलित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है । सतर्कता विभाग केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं और निवारक एवं दंडात्मक सतर्कता संबंधी सभी पहलुओं पर कोयला एवं लिग्नाइट कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सलाह देते हैं ।

निवारक सतर्कता

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संवेदनशील कार्यक्षेत्रों में प्रक्रियाओं और पद्धतियों में पारदर्शिता लाने, एकरूपता लाने और उन्हें कारगर बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किए गए है-

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में सभी सहायक कम्पनियों ने प्रकाशन कार्यान्वित किया है-वेबसाइट में निविदा दस्तावेजों को डाल दिया है।

(ख) इस वर्ष कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) के खरीद मैनुअल, संविदा मैनुअल तथा सिविल मैनुअल को संशोधित किया गया है और उन्हें प्रकाशित किया गया है। पूर्ववर्ती मैनुअलों की कमियों और त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए ये समीक्षाएं की गई। इसके अलावा, सीआईएल (मुख्यालय) के सतर्कता विभाग ने बिक्री तथा मार्किटिंग विभाग को सलाह दी है कि वह अपने कार्यों में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय/सीआईएल द्वारा जारी संगत परिपत्रों और दिशा-निर्देशों के एक संग्रह का संकलन करें।

(ग) सीआईएल (मुख्यालय) के सतर्कता विभाग ने सीटीई की तर्ज पर सतर्कता अधिकारियों के एक दल का गठन किया है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ इन अधिकारियों के साथ आवश्यक चर्चा के बाद उसने अध्ययन और निरीक्षण करने शुरू कर दिए। इस वर्ष कोर समूह ने अध्ययन और निरीक्षण किए तथा (i) लदान सड़क निर्माण के अवार्ड और निष्पादन, (ii) संविदात्मक कोयला परिवहन पद्धति तथा (iii) विभागीय प्रोन्नत समिति द्वारा अपनायी गई क्रियाविधियों से संबंधित अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की।

(घ) एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की त्रैमासिक समीक्षा करना ।

(ड.) संवेदनशील विभागों की पहचान करना तथा लंबे समय तक संवेदनशील पदों पर बने रहने वाले कर्मचारियों का स्थानांतरण करना ।

(च) कार्य के प्रति जानबूझकर चूक, धोखेबाजी, कदाचार, लापरवाही आदि का पता लगाने के लिए अचानक निरीक्षण करना ।

(छ) सी.आई.एल. के सतर्कता द्वारा कार्यशालाएँ संचालित की जाती हैं तथा निवारक सतर्कता के लिए दिशानिर्देश तैयार/संशोधित किए जाते हैं ।

(ज) ओपन कास्ट खानों में, डीजल प्रदान करने वाली यूनिटें प्रदान करना, विस्फोटक खपत, सिविल कार्य, कोयले की सड़क पर ही बिक्री और कलपुर्जों की अधिप्राप्ति जैसे उद्योग के भ्रष्टाचार प्रवण क्षेत्रों में सतर्कता निरीक्षणों में तेजी लाई गई है ।

कोयला कंपनियों के प्रचालन की विभिन्न शाखाओं में अधिक पारदर्शिता लाने और विवेक अथवा संरक्षक के क्षेत्रों को कम करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

संवेदनशील पदों की पहचान करने के लिए मंत्रालय में भी कार्रवाई की गई है। संवेदनशील पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है और इस कार्रवाई के एक भाग के रूप में, कुछ स्थानांतरण कर दिए गए हैं।

दंडात्मक कार्रवाई

मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है। जांच के आधार पर विभाग द्वारा मौजूदा वर्ष के दौरान कोयला कंपनी एक बोर्ड स्तरीय अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियां शुरू की गई। दो मामलों में दण्ड भी दिया गया।

जांच, विभागीय जांच पड़ताल हेतु लिए गए मामलों, जिन मामलों में दंड लगाया गया, निलंबित किए गए अधिकारियों की संख्या, सी.बी.आई. द्वारा दर्ज नियमित मामलों की संख्या और कोयला कंपनियों, एन.एल.सी. और सी.एम.पी.एफ द्वारा संवेदनशील पदों से स्थानांतरित किए गए अधिकारियों की संख्या (दिसम्बर, 2005 तक) का संक्षिप्त विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

Annexure-I

सतर्कता संगठन का ढांचा

	Executives	Non- Executives	Total
1. Eastern Coalfields Limited	13	15	28
2. Bharat Coking Coal Limited	11	28	39
3. Central Coalfields Limited	19	15	34
4. Western Coalfields Limited	08	11	19
5. South Eastern Coalfields Limited	11	10	21
6. Northern Coalfields Limited	08	07	15
7. C.M.P.D.I.L.	05	05	10
8. Mahanadi Coalfields Limited	05	04	09
9. Coal India Limited (HQ)	12	19	31
10. Neyveli Lignite Corporation	14	47	61
11.Coal Mines Provident Fund Organisation	1	3	4